


“कौटिलीय अर्थशास्त्र में विवाह एवं उत्तराधिकार— एक समीक्षात्मक अध्ययन”

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध -



अनुसंधानकर्ता

राम चन्द्र तिवारी

संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निर्देशक

डा० शंकर दयाल द्विवेदी

संस्कृत-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संस्कृत - विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

सन् 1993

विषया नुक्रमिका

१क	पुरोवाक्	०५, ७
१ख	शोध-विषय का चयन एवं महत्त्व	०८, ८
१ग	शब्द-सूची	०८, ६
1-	प्रथम अध्याय- अर्थशास्त्र का स्वल्प एवं महत्त्व	1- 43
2-	द्वितीय अध्याय- प्रा. भारतीय संस्कृत वाङ्मय विवाह की अन्वयणा	44 - 89
3-	तृतीय अध्याय- अर्थशास्त्र में विवाह	90 - 125
4-	चतुर्थ अध्याय- धर्मग्रन्थों में उत्तराधिकार की अन्वयणा और तत्सम्बन्धी विमर्श ।	126 - 142
5-	पंचम अध्याय- अर्थशास्त्र में उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम और तत्सम्बन्धी विमर्श ।	143 - 163
6-	षष्ठ अध्याय- अधिनियमों में वर्णित उत्तराधिकार एवं विवाह तथा कौटिल्य ।	164 - 182
7-	उपसंहार	183
8-	सन्दर्भग्रन्थ सूची एवं पात्रिका सूची	184 - 190

"पुरोवाक्"

प्रकृति की रंग-विरंगी फुलवारी, मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंगों आदि की अद्भूत सृष्टि को देखकर, सूर्य चन्द्र तारों तथा षड् भ्रजुओं को यथासमय चक्कर लगाते देखकर ऋषियों ने हृदय की पावन गुहा में समय-समय पर जिस अमृतमय राशि के दर्शन किये थे, उन्हीं के सम्बन्ध में ऋक्तन्त्र-" ब्रह्मा वृहस्पतये-प्रोवाच, इन्द्रो-भरद्वाजाय, भरद्वाजः ऋषिभ्योः ऋषयो ब्राह्मणैः-यः " जिसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम शब्दोपदेश वृहस्पति, को वृहस्पति ने, इन्द्र को इन्द्र ने ऋषि भरद्वाज ने ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों को शब्दोपदेश किया । "शब्दो वै ब्रह्म" शब्द ब्रह्म है, जो अनेक अक्षरों के संयोगादि से निष्पन्न है । भूतल के जीवधारियों तो अक्षर-तत्त्व से अनभिज्ञ हैं । में भी इसका अपवाद नहीं । ऐसी अनभिज्ञता की दशा में अभिज्ञता का स्नान कराने वाले निर्देशक गुरुवर्य डॉ० शङ्कर-दयाल द्विवेदी के लिए तो "यमेव विधा शुचि प्रवन्त मेधाविन ब्रह्मवर्योपपन्नम्" है । तथा जिन्होंने अपनी मेधावी शक्ति का इस शोध रूपी याग में सोमरस का प्राक्ण किया, उनके प्रति मैं नतमस्तक हूँ । वैदिक मन्त्रों के द्रष्टा डॉ० हरिशङ्कर त्रिपाठी संस्कृत विभाग, एवं डॉ० अटाशङ्कर तिवारी दर्शन विभाग ने जो मुझे शोध-कार्य के प्रति सम्बल दिया एतदर्थ मैं उनका शर्णी होकर उन्हें प्रणाम करता हूँ । अज्ञोदय काल में पुष्प की सुरोभ विकिरणों वाले प्रो० एवं विभागाध्यक्ष डॉ० सुरेश चन्द्र पाण्डे ने जो अपनी मूल्यवान् सम्मति दी, तथा अन्य गुरुजन जिन्होंने समय समय पर सहयोग दिया उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ ।

(२)

इस शोध विषय को प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ उसमें ममतारूपी माँ का स्नेह पूज्य पिता श्री लाल जी तिवारी का "या विदा सा विमुक्तये" की धारणा तथा आर्थिक सहयोग, एवं स्वर्गीय पूज्य आजा जी श्री माताकेर तिवारी, पत्नी नीलम तिवारी, जिन्होंने सूर्योदय ए' सूर्यास्त में आजीवन व्रतोपासना किया, अनुज कृष्ण चन्द्र तिवारी जिन्होंने गृहागमन पर स्वादिष्ट उदुम्बर फल आ जलाघानयन किया । पुत्र अंशु पुत्री श्रवा का जो स्नेहिल व्यवहार मिला वह सब शोध कार्य की परिपूर्णता के लिये पाथेय बन गया । अतएव ममतामूर्ति माँ, आकाश तुल्य पिता, तथा पग पग में स्मरण आने वाले आजा जी को हृदय से प्रणाम प्रकट करता हूँ । अन्तस्थल में नीलम की तरह कान्ति विकीर्ण करने वाली पत्नी, नीलम तिवारी, जलोपचारक अनुज कृष्णचन्द्र तिवारी पुत्र अंशु पुत्री श्रवा को भी आशीर्वाद देता हूँ ।

शोध प्रबन्ध में पुस्तकीय सहयोग प्रदान करने वाले डा० राजमन धर द्विवेदी, डा० जान्धार दुबे तथा चलोचित्र का काम करने वाले राजेश मिश्र, ओजाश्रयी धनश्याम तिवारी, प्रतिभाशाली अनुरामाचारी दुबे, अनिल सिंह, तथा आल सखा राम प्रकाश पाण्डेय, अरुण कुमार तिवारी एवं आर्थिक सहयोग देने वाले डा० दिनेश कुमार द्विवेदी बेधिवेत्ता, अधिवक्ता हाईकोर्ट जटारकर पाण्डेय, टंकण करने वाले जय सिंह तथा उत्साह को आजीवन ज्योतिष के माध्यम से ^{संयोजित} ~~संयोजित~~ करने वाले शोध-छात्र दिव्यकान्त शुक्ल इतिहास विभाग इलाहाबाद, उपायुक्त श्री रामसुरत द्विवेदी इन सभी शुभ चिन्तकों का जो इसमें सहयोग मिला, उनमें अड़ों को प्रणाम, सम्मक्षियों को नमस्ते जोटों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ ।

शुभमस्तु ।

दिनांक - 6-9-93

राम चन्द्र तिवारी

॥ राम चन्द्र तिवारी ॥

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

"शोध विषय का चयन एवं महत्त्व"

माँ सरस्वती का आगम अत्यन्त व्यापक है । इस ममतामयी माँ का हृदय इतना विखाल है, दयार्द्र है तथा हितकारी है कि इसने अपनी व्यापकता में भारत को ही नहीं अपितु सम्पूर्ण चराचर जगत को समाहित कर लिया है । जहाँ तक संस्कृत वाङ्मय-क्षेत्र का प्रश्न है, उसकी उपयोगिता एवं व्यापकता को कथमपि अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि इस ममतामयी माँ ने ऐसे-ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनसे सम्पूर्ण धरित्री धन्य हो उठी है । महामनीषी कौटिल्य भी इसी परम्परा का निर्वहन करते हैं । यद्यपि यह सच है कि कौटिल्य महात्मान् राजनीतिज्ञ थे तथापि उनकी व्यापकता मानव जीवन के इतर क्षेत्रों में भी थी । जिसके द्वारा आप ने भारतीय मानव जीवन का महान उपकार किया ।

जहाँ तक प्रस्तुत शोध-विषय के चयन एवं महत्त्व का प्रश्न है, वह अत्यन्त स्पष्ट है । यद्यपि सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय अपनी बहुपक्षीय विक्षोभताओं से मण्डित है तथापि कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का भी विक्षोभ स्थान है । प्रस्तुत यह ग्रन्थ भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का आधार है । यही कारण है कि विश्व के अनेक विद्वानों ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है ।

एक प्रश्न उठता है कि माँ सरस्वती के आगम में विद्यमान विभिन्न महामनीषी कवियों के होते हुए मैंने कौटिल्य-काव्य को ही अपने शोध का विषय क्यों बनाया ? यद्यपि इस प्रश्न का संक्षिप्त एवं सर्वमान्य उत्तर यह है कि मैं

"भिन्नसंचिर्हलोकः" का हिमायती हूँ तथापि मेरी इस सचि के पीछे पर्याप्त कारण हैं। प्रथम तो मुझे कौटिल्य की महनीयता ने प्रभावित किया। द्वितीय, अर्थशास्त्र में वर्णित विवाह एवं उत्तराधिकार के अध्ययन से विवेक नीवन ज्ञान विन्दुओं पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना थी। तृतीय, प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन के मूल्यों में हो रहे विरपरिवर्तन ने भी मुझे प्रभावित किया। चौथे कारण के रूप में अपनी सामाजिक जीवन के प्रति लगाव ने भी मुझे इस क्षेत्र में जानने के लिए प्रेरित किया। अन्तिम कारण के रूप में मैं अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को मानता हूँ। ये ही कतिपय कारण ऐसे थे जिन्होंने मुझे माँ सरस्वती के चरणों में स्वकीय शोध कार्य स्वी पुष्पाञ्जलि अर्पित करने का सौभाग्य प्रदान किया।

प्रस्तुत शोध-विषय को मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए षड्ध्यायों में विभक्त किया है। प्रथम अध्याय में अर्थशास्त्र के स्वरूप एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में भारतीय संस्कृत वाङ्मय में विवाह की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित विवाह को तृतीय अध्याय का विषय बनाया गया है। धर्म ग्रन्थों में उत्तराधिकार की अवधारणा और तत्सम्बन्धी विमर्श को चौथे अध्याय का विषय बनाया गया है। अर्थशास्त्र में उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम और तत्सम्बन्धी विमर्श पर पंचम अध्याय में विवेचन किया गया है। छठे एवं अन्तिम अध्याय में वर्णित विवाह एवं उत्तराधिकार का सम्यक् विवेचन अधिनियमों के अनुसार प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है। तदुपरान्त उपसंहार प्रस्तुत किया गया है। सक्षिप में यही शोध विषय की रूप रेखा है।

शब्द सूची

1-	शु० वे०	-	शुग्वेद
2-	तै० सं०	-	तैत्तिरीय संहिता
3-	अथ० वे०	-	अथर्ववेद
4-	शु० आ०	-	शतपथ ब्राह्मण
5-	ता०म०	-	ताण्डय महा ब्राह्मण
6-	ऐ० आ०	-	ऐतरेय ब्राह्मण
7-	औ०गृ०	-	औधा यन गृहसूत्र
8-	वृ०गृ०	-	वृहस्पति गृहसूत्र
9-	का० गृ०	-	कात्यायन गृहसूत्र
10-	आ० गृ०	-	आश्वलायन गृहसूत्र
11-	आप० गृ०	-	आपस्तम्ब गृहसूत्र
12-	गो० ध०	-	गोष्मिन् धर्मसूत्र
13-	तै० उ०	-	तैत्तिरीयपनिषद्
14-	नार० उ०	-	नारायणोपनिषद्
15-	मनु०	-	मनुस्मृति
16-	या०	-	याज्ञवल्क्य स्मृति
17-	वा०	-	वाशिष्ठ
18-	वि०	-	विमलाक्षरा

19-	महा० क० प०	-	महाभा रत कण्व पर्व
20-	स्मृ० च०	-	स्मृतिचिन्द्रिका
21-	वृह०	-	वृहत्तपा रासर
22-	हिरण्य०	-	हिरण्यकेशी
23-	रा०	-	रामायण
24-	विष्णु० पु०	-	विष्णु पुराण
25-	रघु०	-	रघुवंश
26-	का०	-	कामसूत्र
27-	हर्ष०	-	हर्षचरित
28-	आ०भा०रा०चि०	-	आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन
29-	कौ० अर्थ०	-	कौटिलीय अर्थशास्त्र
30-	हि० सं०	-	हिन्दू संस्कार
31-	धर्म० इ०	-	धर्मशास्त्र का इतिहास
32-	वै०सा० सं०	-	वैदिक साहित्य और संस्कृति
33-	हि० वि०	-	हिन्दू विधि
34-	मु० वि०	-	मुस्लिम विधि

॥ प्रथम अध्याय ॥

अर्थात् का स्वल्प एव महत्त्व

अर्थशास्त्र का स्वरूप, एवं महत्त्व

इस न्हावर जगत् का अनिवार्य सत्य है-न्हावरता । सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जिसे पूर्णरूप से नित्य कहा जा सके । आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु इस न्हावरता एवं परिवर्तनशीलता के विचरन्तन सत्य से शास्त्र है । यहाँ यह विचार प्रासङ्गिक है कि तो फिर विधाता की इस लीलामयी सृष्टि का प्रयोजन क्या है ? क्या उसका यह प्रयास मात्र लीला है ? निष्प्रयोजन है ? यदि सभी वस्तुएँ न्हावर हैं, कोई, वस्तु विरस्थायी नहीं है, तो फिर, जगत् में विद्यमान विभिन्न समाजों में घटित होने वाली घटनाओं का क्या होगा ? क्या आने वाली पीढ़ी उससे कोई शिक्षा नहीं लेती । यदि मानव जन्म मात्र आहार, निद्रा, मैथुन तक की सीमित है तो व्यक्ति चार्वाकीय सिद्धान्त को अपना कर स्वयं की भौतिक तृप्ति करता रहे । यदि व्यक्ति के जीवन का मात्र लक्ष्य है - छाना पीना और मर जाना तो कोई, ज्ञात नहीं, और यदि उसको जन्म लेना निष्प्रयोजन न होकर सप्रयोजन है जीवन लक्ष्यहीन न होकर सलक्ष्य है, और इस न्हावर जगत् में उसके लिए कुछ ऐसा मूल्य अक्षय है जो न्हावर तत्त्वों से परिवृत्त होते हुए भी नित्यवत् है तो उसके जीवन का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है ।

यदि निरपेक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रकट होता है कि इसमें सत्य अक्षय विद्यमान हैं कि इस जगत् में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन का उद्देश्य छाने पीने तथा मर जाने तक है, स्वार्थपूर्ति करना ही उनका लक्ष्य है तथा समाज को दिशा देना या न देना- आदि काम ^{का} कोई विशेष महत्त्व उनके लिए नहीं है ।

किन्तु, वहीं यह भी उतना ही सत्य है कि इस विश्व में कतिपय व्यक्ति अक्रय है - जिन्के जीवन का उद्देश्य स्वार्थमात्र न होकर परार्थ भी है उनका जीवन इस पाँच भौतिक शरीर का आह्वय पोषण करना ही नहीं है, अपितु वे अपने यशःशरीर के लिए जीते हैं, परार्थ उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है तथा यही तथ्य उनके जीवन को सतत संचालित करता रहता है ।

और, जहाँ तक इस देवाभिलाषित पावन भारत भूमि की बात है- इसने तो अपनी कुक्षि से अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, जिसने इतिहास को एक नयी दिशायेँ दी है, समाज को नई दिशा देते हैं, तथा स्वकीय यशःकाया से अन्य लोगों के लिये सदैव प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं । महामहिम कौटिल्य भी इसी पावन परम्परा में अपना स्थान रखते हैं । उनके अर्थशास्त्र में प्राचीन भारतीय समाज एवं संस्कृति विपुल आभा से संविलित होकर केवल भारतभूमि को ही नहीं वरन् समूचे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं । इससे कौटिलीय अर्थशास्त्र की महत्ता का निदर्शन भारत भूमि से बाहर भी हो जाता है ।

अर्थशास्त्र का रचना काल

"अर्थशास्त्र" कौटिल्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ है जिसमें उपवृद्ध हेतु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचारों ने आधुनिक भारतीय और पश्चिमी विद्वानों को चकित कर दिया है । अर्थशास्त्र की रचना और रचनाकार के सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं हैं । इस सम्बन्ध में ज्ञानी का मत है कि कौटिल्य

का अर्थशास्त्र एक धोखा देने वाली चीज है, जिसे कि सम्भवतः तीसरी शताब्दी ईसवी में तैयार किया गया था । अर्थशास्त्र का रचनाकार कोई मन्त्री नहीं था वरन् एक सिद्धान्तशास्त्री था । कौटिल्य नाम झूठा है क्यों कि परम्परागत स्रोतों में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता । मेगस्थनीज ने कहीं भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है । इसी प्रकार पतञ्जलि ने अपने "महाभाष्य" में कहीं भी कौटिल्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है, जब कि चन्द्रगुप्त एवं अन्य मौर्यों का उल्लेख किया है । मिस्टर जाली के अतिरिक्त डॉ० आर० भण्डारकर, ए० बी० कीथ, विण्टरनिट्ज आदि विद्वानों का मत है कि यह पुस्तक चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन के परचात् ईसाई युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में लिखी गयी ।

जाली, कीथ एवं विण्टरनिट्ज कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्य मन्त्री की कृति नहीं मानते हैं । यह कथन कि उस व्यक्ति के लिए जो आदि से अन्त तक एक वृहद साम्राज्य के निर्माण में लगा रहा, इस पुस्तक का लिखना सम्भव नहीं था, किन्तु निराधार है । पूँजा जा सकता है कि सायण एवं माधव को कैसे इतना समय मिला कि वे विपत्तियों से घिरे रहकर भी वृहद ग्रन्थों का निर्माण कर सके ?

परन्तु डॉ० रामाशास्त्री, गनपति शास्त्री, एन०एन०ला सिन्ध तथा जायसवाल आदि विद्वान् उपर्युक्त मत से सहमत नहीं हैं । उनका मत है कि अर्थशास्त्र का रचना-काल चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन काल ही है । अर्थशास्त्र वही ग्रन्थ है जिसकी रचना चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री कौटिल्य ने मौर्य राजाओं के पथ प्रदर्शन के लिए की थी ।

डा० श्यामलाल पाण्डेय का कथन है कि प्रस्तुत अर्थशास्त्र चाहे मौर्य काल की रचना हो, चाहे उसके परचाव किसी समय का नवीन संस्करण हो, परन्तु इतना अक्षय मानना पड़ेगा कि इस अर्थशास्त्र में राजशास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है, मौर्यकालीन ही है।" ~~अर्थशास्त्र=राजनीति शास्त्र की स्वना-~~

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि कोटिल्य ने इस ग्रन्थ का नाम राजनीति शास्त्र न रहकर "अर्थशास्त्र" क्यों रखा ? कोटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया है कि वे दण्ड का विवेचन कर रहे हैं। दण्डनीति शब्द प्राचीन काल से भारत में राजनीति से सम्बन्धित विद्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। छु ने राजनीति विद्या को दण्ड नीति की संज्ञा दी है। कोटिल्य ने अपने ग्रन्थ का नामकरण का स्पष्टीकरण किया है, उन्का कहना है कि - " मनुष्यों की जीविका के अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।"

जहाँ तक अर्थशास्त्र के स्वरूप का प्रश्न है- वह अत्यन्त स्पष्ट है। परम विद्वान् कोटिल्य ने विविध विषयक विचारों को सुष्ठु रूप देकर उसे एक विपुल ग्रन्थ का रूप दिया है। अर्थशास्त्र का स्वरूप अत्यन्त व्यापक एवं स्पष्ट है। कोटिल्य ने स्वकीय अर्थशास्त्र को विभिन्न अधिष्करणों एवं प्रकरणों में विभक्त करके एक स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया है। उपर्युक्त कोटिलीय अर्थशास्त्र में 15 अधिष्करण विद्यमान हैं। प्रत्येक अधिष्करण में कुछ प्रकरण हैं जिनमें विविध विषयों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित अधिष्करणों को निम्नवत् गिनाया जा सकता है।

- 1- विनयाधिकारिक ।
- 2- ऋक्ष प्रचार ।
- 3- धर्मस्थीय ।
- 4- कण्टकरोधन ।
- 5- योगवृत्त ।
- 6- मण्डलयोनि ।
- 7- षाडगुण्य ।
- 8- व्यसेनाधिकारिक ।
- 9- अभियास्त्यक कर्म ।
- 10- साडधामिक ।
- 11- वृत्तसंध ।
- 12- आवलीयस ।
- 13- दुर्गलम्भोपाय ।
- 14- औपनिषदिक ।
- 15- तन्त्रयुक्त ।

पुनःच उपर्युक्त अधिकरणों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरण हैं जो विविध विषयों को स्वयं में समेटे हैं । सम्पूर्ण प्रकरणों की संख्या 180 है, किन्तु यह विभाग ऋषियों के विभाग से - व्यत्यस्त ॥ ॥ हो जाता है ।

जहाँ तक अर्थाशास्त्र में वर्णित विषयों का प्रश्न है- यह तथ्य सुस्पष्ट है । अर्थाशास्त्र ने स्वयं में अनेकों विषय-विचारों को ग्रहण करके प्राचीन भारतीय संस्कृति

- 1- विनयाधिकारिक ।
- 2- ऋक्ष प्रचार ।
- 3- धर्मस्थीय ।
- 4- कण्टकरोधन ।
- 5- योगवृत्त ।
- 6- मण्डलयोनि ।
- 7- षाड्गुण्य ।
- 8- व्यसेनाधिकारिक ।
- 9- अभियास्त्यक कर्म ।
- 10- साड्ध्यामिक ।
- 11- वृत्तस्थ ।
- 12- आवलीयस ।
- 13- दुर्गलम्भोपाय ।
- 14- औपनिषादिक ।
- 15- तन्त्रयुक्त ।

पुनश्च उपर्युक्त अधिकरणों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकरण हैं जो विविध विषयों को स्वयं में समेटे हैं । सम्पूर्ण प्रकरणों की संख्या 180 है, किन्तु यह विभाग ऋषियों के विभाग से - व्यत्यस्त ॥ ॥ हो जाता है ।

जहाँ तक अर्थाशास्त्र में वर्णित विषयों का प्रश्न है- यह तथ्य सुस्पष्ट है । अर्थाशास्त्र ने स्वयं में अनेकों विषय-विचारों को ग्रहण करके प्राचीन भारतीय संस्कृति

को उपकृत किया है । भारतवासी ही नहीं वरन् समूचा विश्व इसमें वर्णित विविध विषयों से विविध रूपों से उपकृत हुआ है - अधिकरण -कृत से अर्थशास्त्र में वर्णित विषयों को निम्नवत् अवलोकित किया जा सकता है ।

प्रथम प्रकरण का नाम है - विनयाधिकारिक । इस अधिकरण में मुख्य रूप से एक राजकुमार को दिये जाने वाले विनय एवं तत्तशिक्षण विषयक विषयों को स्थान दिया गया है । इन विषयों में विद्याविषयक विचार आन्वीक्षी एवं त्रयी विद्या का वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त वाता एवं दण्डनीति, वृद्धजनों की संगति, कामक्रोधादि षड् दुर्गुण रूप अन्तरशत्रुओं का परित्याग, सदाचारी राजा की जीवन चर्चा, अमात्योंकी नियुक्ति, मन्त्रियों एवं पुरोहित की नियुक्ति अमात्य-आचरण-परीक्षा, आदि विषय वर्णित हैं । इसके अतिरिक्त गुप्तचरों से सम्बन्धित विविध विषय यथा-गुप्तचरों की नियुक्ति क्यों तथा कैसे की जाय १, गुप्तचरों की क्या योग्यता होनी चाहिए, इत्यादि विषयों को भी महामहिम राजनीतिशास्त्री कौटिल्य ने अपनी लेखनी का विषय बनाया है ।

राजा स्वकीय देश के कृत्य-अकृत्य की कैसे रक्षा करे, शत्रु देश के कृत्याकृत्य को कैसे मिलाये, एवं मन्त्राधिकार विषयक विषय भी उस महान कवि की लेखनी से नहीं वच सके । इसके अतिरिक्त सन्देशवाहक के रूप में राजदूतों को शत्रुदेश में भेजना, राजपुत्रों से राजा की रक्षा, राजकुमार एवं राजा का सम्बन्ध राजा के कार्य, राज-भवन का निर्माण एवं आत्मरक्षा का प्रबन्ध आदि विषयों को भी इस महान् विभूति ने अपनी पावन राशि का विषय बनाकर विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

दूसरे अधिकरण का नाम है - ऋयक्ष प्रचार । इसमें जनपदों की स्थापना उत्तरभूमि को उपयोगी बनाने का विधान, दुर्ग-निर्माण, दुर्ग से सम्बन्धित राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों का निर्माण कोषगृह का निर्माण, कोषाध्यक्ष का कर्तव्य, समाहर्ता, अक्षपटल से सम्बन्धित गणनिक उच्चाधिकारियों के चरित्र की परीक्षादि विषयों का वर्णन किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सुवर्णाध्यक्ष के कर्तव्य, खान से सम्बन्धित विषय, पण्याध्यक्ष कुप्याध्यक्ष, आयुधागारध्यक्ष, तौल एवं माप से सम्बन्धित ऋयक्ष आदि का वर्णन भी इस अधिकरण में मिलता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के ऋयक्षों यथा-सूत-व्यवसाय का ऋयक्ष, कृषि-विभागाध्यक्ष, आञ्कारी विभाग का ऋयक्ष, क्यस्थान का ऋयक्ष, केयालयों का ऋयक्ष, पशु विभाग का ऋयक्ष, अवादि भाग का ऋयक्ष तथा गजशाला का ऋयक्ष का भी वर्णन मिलता है । सेना से सम्बन्धित विषय यथा- हस्तिसेना, रथसेना एवं पैदल सेना का भी विषय इस अधिकरण में समाहित है ।

इसके अतिरिक्त मुद्राविभाग, चारागाह विभाग तथा नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन भी इस अधिकरण का विषय बनाया गया है ।

धर्मस्थीय नामधारी तीसरे अधिकरण में शर्तनामों का लेखन प्रकार एवं तत्सम्बन्धी विवादों का निर्णय, विविध वैवाहिक विषय, उत्तराधिकार विषयक विषय, गृह-निर्माण एवं उस्का विक्रय, कृषि भूमि एवं उससे सम्बन्धित विवाद, श्रृण लेना धरोहर सम्बन्धी नियम, दास एवं श्रमिक सम्बन्धी नियम, स्व-स्वामि-सम्बन्ध साहस, वाक्-पाठ्य, दण्ड पोष्य, एवं दूत से सम्बन्धित कुछ विषय अपना स्थान बनाये हुए हैं ।

चौथे अधिकरण जिसका नाम है कण्टकाधन, में कौटिल्य के कतिपय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारों को स्थान मिला है । इसमें शिल्पियों एवं व्यापारियों से प्रजा की रक्षा, देवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा, गूढषडयन्त्रकारियों से प्रजा की रक्षा, गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन, चौर्यविषयक अनेकविषय, सरकारी विभागों का निरीक्षण, शुद्ध एवं चित्र नामक द्विविध दण्ड, कुमारी कन्या से संभोग करने पर देय दण्ड एवं अतिचार से सम्बन्धित दण्ड आदि का वर्णन किया गया है ।

योगवृत्त नामक पाँचवें अधिकरण में राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्ड व्यवस्था, कोष का अधिकाधिक संग्रह, भृत्यभरण-पोषण, राज्य-कर्मचारियों का राज्य के प्रति व्यवहार, व्यवस्था का यथोचित पालन, विपत्ति काल में राज-पुत्र का अभिषेक एवं एकच्छत्र राज्य की प्रतिष्ठादि विषयों को वर्णन किया गया है ।

छठे अधिकरण जो मण्डलयोनि नामक शीर्षक से जाना जाता है, में प्रकृतियों के गुण, तथा शान्ति एवं उद्योग से सम्बन्धित विषय हैं ।

षाडगुण्य नामधारी 7वें अधिकरण में षडगुणों का उद्देश्य और क्षय, स्थान एवं वृद्धि का निश्चय, बलवान् का आश्रय, विभिन्न राजाओं से सम्बन्ध, यान-विवार विभिन्न सन्धियाँ, शत्रु व्यवहार एवं अन्य अनेक विषय वर्णित हैं ।

प्रकृतियों का व्यवसन एवं उनका प्रतिकार, राजा एवं राज्य व्यसन, सामान्य पुरुष व्यसन, विभिन्न वर्ग, तथा सेना एवं मित्र-व्यसन नामक अनेक विषय व्यसनाधिकारिक नामक 8वें अधिकरण हैं ।

9वें अधिकरण में आक्रमण, सैन्य संगठन, मुकाबला, क्षमव्यय एवं लाभ विचार, विभिन्न आपत्तियाँ एवं उनके प्रतिकारों से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन किया गया है ।

साहाय्यिक नामक दशम अधिकरण में युद्ध एवं सेना से सम्बन्धित विषय हैं यथा- छावनी निर्माण, कूटयुद्ध, सेना प्रयाण, युद्ध योग्य भूमि, पदाति, अवस्थ, तथा हस्ति सेनाओं के कार्य एवं व्यूह निर्माणादि विषय वर्णित हैं ।

11वें अधिकरण में भेदक प्रयोग एवं उपासुदण्ड-नामक विषय वर्णित हैं । इस अधिकरण को "वृत्तसंघ" के नाम से जाना जाता है ।

आवलीयस नामक 12वें अधिकरण में दूतकर्म, मन्त्रयुद्ध, सेनापतिबध एवं राजमण्डल की सहायता, शस्त्र रस तथा अग्नि का गूढ़ प्रयोग, तथा विविध उपायों द्वारा विध्योपलब्धि आदि का वर्णन किया गया है ।

दुर्गलम्होपाय नामक 13वें अधिकरण में जो विषय वर्णित हैं उनमें, उपजाप, कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना, गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास,

शस्त्रु दुर्ग पर अधिकार करना, तथा विजित देश में शांति संस्थापना विषयक विविध विषय वर्णित हैं ।

ओपनिषदिक नामधारी 14वें अधिकरण में शस्त्रुवध, प्रलम्भनयोग, प्रलम्भयोग में ओषधि एवं मन्त्र का प्रयोग तथा शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों के प्रतिकारादि का वर्णन है ।

अन्तिम अधिकरण, 15वें जिसे "तन्त्रयुक्त" नाम से अभिहित किया जाता है, में ग्रन्थ की योजना दी गई है जिसमें सोदाहरण 32 तन्त्रयुक्तियों का वर्णन है जिन्का उपयोग अर्थ-विचार में किया जाता है ।

महत्त्व

प्राचीन भारत की राजनीति और शासन के क्षेत्र में आचार्य कौटिल्य-रचित अर्थशास्त्र अपना अप्रतिम स्थान रखता है । इतना ही नहीं, यदि इसे "विक्रकोश" की उपाधि से भी अभिहित किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । यद्यपि कौटिल्य द्वारा विरचित इस पावन ग्रन्थ का प्रधान विषय राजनीति एवं शासन सम्बन्धी अवधारणायें ही हैं ; तथापि यदि इसका गहन अध्ययन किया जाय तो यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि इसकी परिधि यहीं तक सीमित नहीं है । इसने अपनी सीमाओं में राजनैतिक विषय तो समेटे ही हैं, इसके अतिरिक्त इसमें धर्म, कर्म, शिक्षा नीति, समाज-विकास, कृषि और यहाँ तक कि मन्त्र-तन्त्रादियों को भी स्थान दिया है, जिसके कारण इसकी महत्ता में चार चाँद लग गये हैं । इस प्रकार अर्थशास्त्र में यदि एक तरफ राजनीति एवं शासन-प्रधान विषय अपनी स्थिति बनाकर आज भी भारतराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं विभिन्न धार्मिक विषय भी धर्म-प्राण देवाभिलषित भारत भूमि का उपकार कर रहे हैं । यदि समाजोपयोगी विभिन्न विषयों से सम्बद्ध अर्थशास्त्र समाज का हित साधन कर रहा है तो विभिन्न अर्थप्रधान विषयों द्वारा भारतीय मनीषा उपकृत हो रही है । यदि अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न साहित्य शास्त्रीय विषयों के परवर्ती काल के अनेक कवि बहुविध उपकृत हुए हैं

इतना ही नहीं

इसमें यंत्र-तंत्र विखरे विभिन्न दार्शनिक विषयों द्वारा इसके दार्शनिक महत्त्व पर भी प्रकाश पड़ता है ।

इस प्रकार इन सर्वांगीण एवं सर्वतोन्मुखी विविधताओं से समन्वित अर्थशास्त्र की महत्ता को निम्न विन्दुओं अन्तर्गत देखा जा सकता है ।

- 1- धार्मिक महत्त्व ।
- 2- सामाजिक महत्त्व ।
- 3- आर्थिक महत्त्व ।
- 4- राजनैतिक महत्त्व ।
- 5- साहित्यिक महत्त्व ।
- 6- ऐतिहासिक महत्त्व ।

1- धार्मिक महत्त्व -

भारत सदा से ही एक धर्मप्राण देश रहा है । धर्म, इसके प्रत्येक अंग में समाया हुआ है । धर्म से रहित किसी वस्तु की कल्पना करना विशेष कर भारत के किण्व में स्वयं में हास्यास्पद लगता है । भारतीय कवि एवं लेखक धर्म से रहित विषयों को छुने का साहस नहीं कर सका है । आचार्य कोटिल्य ने भी इसी परम्परा का सार्थक निर्वह करने का प्रयास किया है ।

यद्यपि अर्थशास्त्र एक राजनीति प्रधान ग्रन्थ है जिसमें विभिन्न राजनीति

विषयक विषय भरे पड़े हैं, तथापि यदि सम्यक् रूप को देखा जाय तो स्पष्ट होता है इन्हीं विषयों में विभिन्न धर्म विषयक विषय भी अपना स्थान बनाये हुए हैं। विभिन्न तथ्यों के अवलोकन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि अर्थाशास्त्र में वर्णित विभिन्न विषय की धर्मानुप्राणित हैं।

अर्थाशास्त्र में वर्णित विभिन्न धर्मों के विषयों की महत्ता पर प्रकारा-
डालने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि प्राचीन भारतीय मनीषा का धर्मविषयक
विचार क्या था ? उनका धर्म से अभिप्राय क्या था ? वे धर्म पालन आवश्यक
क्यों मानते थे ? इस क्रम में कौटिल्य का तद्विषयक विचार कैसा था ? आदि।

प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन करने पर हमें धर्म की भिन्न-
भिन्न परिभाषाओं के दर्शन होते हैं। कहीं पर सत्य को धर्म कहा गया है तो
कहीं अहिंसा को। कहीं अस्तेय धर्म है तो कहीं शौच। कहीं इन्द्रियों को का-
में रखना आवश्यक अताकर उसे धर्म माना गया है तो धीः, विद्या, सत्य, आदि
को धर्म शब्द से अभिहित किया गया है। इसी प्रकार महाभारतकार महर्षि
व्यास ने उक्त सभी तथ्यों के समन्वित रूप को धर्म की व्यापक परिभाषा से समलंकित
किया है। यथा -

"अहिंसासत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमहो धो दारुणं धर्म लक्षणम्" ।।

वस्तुतः उपरोक्त सभी लक्षण व्यक्ति के सदाचरम के द्योतक हैं । यही कारण है कि महाभारतकार को "आचारो हि परमो धर्मः" कहना पड़ा । आचार्य प्रेमिनि वेदों में निहित प्रेरणाया, चोदना, को धर्म का प्रधान लक्षण मानते हैं । उनके अनुसार "चोदना लक्षणोऽर्थः धर्मः" । पुनः चोदना की व्याख्या करते हुए उनका कहना कि जो कर्म या अर्थ व्यक्ति को किसी सत् कर्म की तरफ प्रेरित करे वही चोदना है ।

पुनश्च महाभारतकार का कहना है कि जिससे समाज, व्यक्ति एवं प्रजायें धारण की जायें वही धर्म है - धर्म शब्द /धृ धातु से निकला है । धर्म से ही प्रजा का धारण एवं संरक्षण होता है जिससे समस्त प्रजा या मानव समाज का धारण या संरक्षण किया जाय वही धर्म है ।

इतना ही नहीं, नारायणीयोपनिषद् में तो धर्म को समस्त संसार का आधार बताया गया है तथा कहा गया है कि जगत् में जनता धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है, धर्म से पाप दूर किया जाता है, सभी धर्म में निश्चिन्त है, इसी कारण लोग धर्म को "परम" ज्ञानते हैं ।² इतना ही नहीं महाभारतकार तो

1- धारणाद धर्ममित्याहुः धर्मो धारपते प्रजाः ।

यत्स्याद धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ -महाभारत अर्णवपर्व 69/59

2- "धर्मो निश्चयः जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्षन्ति, धर्मेण पापं अपनुदति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्माद् धर्मं परमं वदन्ति"

नारायणीयोपनिषद् ।

यहाँ तक कहते हैं कि धर्म से अर्थ कामादि का सेवन किया जाता है ।¹

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय मनीषा के लिए धर्म एक ऐसी संजीवनी थी जिसके बिना व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की मंगल कल्पना असम्भव थी । यही कारण था कि महामनीषी कौटिल्य ने भी विभिन्न धार्मिक विषयों एवं उपदेशों को अपने पावन ग्रन्थ में स्थान दिया है ।

आचार्य कौटिल्य धर्म के अहिंसा विषयक लक्षण को कितना आवश्यक मानते थे इसका वर्णन उन्हीं के शब्दों में निम्नवत् है ।

"अहिंसा धर्म का लक्षण है । सज्जन पुरुष अपने शरीर को भी पराया ही मानते हैं । इसी लिए मांस भक्षण उसके लिए अनुचित है ।"²

पुनश्च कौटिल्य कहता है कि सदाचार {धर्म} से आयु एवं धन दोनों की वृद्धि होती है ।³

1- धर्मादर्शश्च कामश्च किमर्थं मनसेष्यते । महाभारत

2- अहिंसा लक्षणो धर्मः । स्वशरीरमपि परशरीरं मन्यते साधुः । मांसभक्षणं मयुक्तं सर्वेषाम् ।

{गेरोला का} -अर्थशास्त्र, तन्त्रयुक्ति नामक 15वाँ अध्याय, पृ० 982

3- आचारादायुर्वर्धते कीर्तिश्च ।

15वाँ अध्याय पृ० 974

कौटिल्य भी वेदविरहित धर्म को ही धर्म मानते हैं । उनके अनुसार वेद स्वीकृत धर्म ही वास्तविक धर्म है, जैसे भी हो धर्म का आचरण करना चाहिए । मीठी एवं सत्य वाणी व्यक्ति को स्वर्ग ले जाती है । सत्य से अद्वक कोई तप नहीं है । सत्य ही स्वर्ग का साधन है । सत्य पर ही संसार टिका है, सत्य से ही जल बरसता है । झूठ से अद्वक कोई पाप नहीं है । आदि ।

उपर्युक्त उपादेयता के कारण ही कौटिल्य ने धर्म को सभी का भूषण, कहा है ।²

"क्रोध" रूप धर्म के लक्षण के विषय में कौटिल्य का कहना है कि क्रोध- न करने वाले व्यक्ति की सर्वथा विजय होती है । यदि अपकारी व्यक्ति पर क्रोध करना हो तो पहले क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए । बुद्धिमान मनुष्य

1- न वेद वाहयोधर्मः । कदाचिदपि धर्म निषेकेत् ।

स्वर्गं नयति सुकृतम् ।

नास्ति सत्यात् परं तपः ।

सत्यं स्वर्गस्य साधनम् ।

सत्येन धार्यति लोकः ।

सत्यात् वर्षति लोकः ।

नान्ततात् पातकं परम् ।

अर्थः

अर्थशास्त्र 015वां अधिकरण ५0972

2- सवेणां भूषणं धर्मः ।

सूत्र-मित्र, गुरु एवं प्रियजनो के साथ व्यर्थ का विवाद नहीं करते हैं ।¹

विद्यारूप धर्म-लक्षण के विषय में कौटिल्य का कहना है कि अर्थ तो सबके लिए आवश्यक है, किन्तु निर्धनों के पास धन कहाँ । उनका तो वस एक ही धन है -वह है विद्या जो कि चोरों के द्वारा भी नहीं चुराई जा सकती, विद्या द्वारा ही उयाति मिलती है, जो कि अविनाशकर है ।²

इस चराचर जगत् में स्थित कोई प्राणी दुःख नहीं चाहता । हर व्यक्ति सुख की कामना करता है । सुखरूप प्रयोजन के बिना वह किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता । कौटिल्य इस तथ्य से सुपरिचित थे । यही कारण है

1- सर्व जयत्यक्रोधः ।

यद्यप्रकारिणि कोपः कोपे कोपएव कर्तव्यः ।

मतिमत्सु सूत्रमित्र गुरुवल्लभेषु विवादो न कर्तव्यः ।

-अर्थाशास्त्र की तन्त्रयुक्ति

पृष्ठ - 969

2- विद्याधनमधनाम् ।

विद्याचोरेरपि न्याहया ।

विद्ययाऽयापिता उयातिः ।

यथा शरीरं विमरयति ।

वही पृष्ठ-966

कि उन्होंने धर्म को सुख का मूल माना है । धर्म का मूल अर्थ है । अर्थ का मूल्य राज्य है । राज्य का मूल इन्द्रिय-जय है तथा इन्द्रिय जय का मूल विनय है ।¹

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि कोटिलीय अर्थशास्त्र राजनीति प्रधान ग्रन्थ है । इसका प्रधान लक्ष्य सदराज नीति एवं सुशासन पर प्रकारा डालकर समाज एवं राष्ट्र में सुख-समृद्धि एवं शान्ति की स्थापना करना है लेकिन उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोटिलीय धर्म की महत्ता को अस्वीकृत न कर सके । यही कारण है कि उन्हें निम्नवत् कहना पड़ा । -

"धर्म ही संसार को धारण किये हैं । धर्माधर्म दोनों मृत पुरुष के साथ जाते हैं । राज्य एवं दान धर्ममूलक होते हैं । धर्म द्वारा लोकों को जीता जा सकता है ।"²

1- सुखस्य मूलं धर्मः ।

धर्मस्य मूलमर्थः ।

अर्थस्यमूलम् राज्यम् ।

राज्यमूलमिन्द्रियावयः ।

इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः ।

प०संख्या

2- धर्मेण धार्यते लोकः ।

प्रेतमापि धर्माधर्माविजुगच्छतः ।

धर्मेण जयति लोकान् ।

सामाजिक महत्त्व

जहाँ तक अशास्त्र के सामाजिक महत्त्व का प्रश्न है, वह सुस्पष्ट है । अशास्त्र में तात्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परम्पराओं की सुस्पष्ट व्याख्या मिल जाती है । भारतीय संस्कृति के विविध तत्वजीवन-दर्शन, सदाचार वर्णश्रमधर्म, पारलौकिकी भावना, पुनर्जन्म, राष्ट्रीय प्रेम चतुराश्रम, स्त्रीपुरुष के अधिकार, परिवार के विभिन्न सदस्य, सती-प्रथा, दहेज, विवाह, पुनर्विवाह, नागरिक कार्य- तथा काम क्रोधादि शत्रुओं आदि अशास्त्र के पन्नों में यत्र-तत्र बिखरे हैं । जिनके अध्ययन से उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्ता का निदर्शन हो जाता है ।

प्राचीन भारतीय मनीषियों का जीवन दर्शन कैसा था ? क्या वे मात्र भौतिकवादी दृष्टिकोण का अन्धसमर्थन चार्वाकों की तरह करते थे ? अथवा उनका कोई आध्यत्मिक दृष्टिकोण था ? धर्मार्थकाम ही उनके लिए सेव्य था ? अथवा इनके द्वारा उनकी जीवनदृष्टि पारलौकिकी भावना- मोक्ष के प्रति भी थी ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर कौटिलिय अशास्त्र में बिखरी विभिन्न पक्तियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है ।

भारतीय जीवनदर्शन के आधार तत्व धर्मार्थ एवं काम के विषय में

भी आचार्य कोटिन्य के बड़े सुस्पष्ट विचार हैं । कोटिन्य कहता है कि व्यक्ति को काम का भी सेवन करना चाहिए, सर्वथा सुखरहित जीवनयापन नहीं करना चाहिए, परस्पर अनुबद्ध धर्म अर्थ एवं काम का सन्तुलित उपभोग करना चाहिए ।¹ इतना ही नहीं, कोटिन्य आगे कहता है कि त्रिवर्ण का असन्तुलित उपभोग अत्यन्त दुःखदायी सिद्ध होता है ।² कोटिन्य इस त्रिवर्ण में स्थित अर्थ को प्रधान मानता है तथा कहता है कि अर्थ ही धर्म एवं काम के मूल में है ।³ पुरुषार्थों की महत्ता कितनी अधिक थी इस बात का स्पष्ट उल्लेख अर्थाशास्त्र में हुआ है । अर्थाशास्त्र में कहा गया है कि यह ग्रन्थ व्यक्ति को धर्म अर्थ एवं काम में प्रवृत्त करता है, रक्षा करता है तथा अर्थविरोधी अधर्मों को नष्ट करता है ।⁴

1- धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत ।

न निःसुखः स्यात् ।

समं वा त्रिवर्गमन्योन्यमनुबन्धम् ।

अर्थाशास्त्र, प्रथम अधिकरण, पृ० 24

2- एकोद्दयत्सा खेवितो धर्मार्थाकामानामात्मान्मिस्तरौ च पीडयति ।

अर्थाशास्त्र प्रथम अधिकरण पृ० 24

3- अर्थैव प्रधान इति कोटिन्यः । अर्थमूलो हि धर्मकामादिदत्ते ।

वही पृ० 24 ।

4- धर्ममर्थं च कामं च प्रवृत्तयति पाति च ।

अधर्मार्थी न उषानिदं शास्त्रं निहन्ति च ॥

अर्थाशास्त्र 15वां अधिकरण पृ० 944

अर्थशास्त्र की पारलोकिक दृष्टि की अत्यन्त व्यापक धरातल पर स्थित है। कहा गया है कि इस शास्त्र द्वारा इह लोक एवं परलोक की प्राप्ति एवं रक्षा होती है।¹

वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्त्व हिन्दू समाज में लगभग अनादि कार्य से है। प्राचीन भारत में व्यष्टि एवं समष्टि के क्रिया क्षेत्रों को एक दूसरे से भिन्न माना गया है, किन्तु उसकी पूर्णता पारस्परिक समन्वय में ही ज्ञाई गई है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था से मर्यादित समाज को सुदृढ़ और मुक्तिदायी बनाया है। यह मर्यादित वर्णाश्रम व्यवस्था अपने-अपने धर्म के पालन में ज्ञाई गई है।²

गीता की भाँति अर्थशास्त्र में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि चतुर्वर्णों का उल्लेख करते हुए अनेक कर्तव्यों का निर्देश किया गया है।

1- एवं शास्त्रमिदं युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः ।

अवाप्तो पालने चोक्तं लोकस्यास्यपरस्य च ॥

अर्थशास्त्र, 15वाँ अधिःकरण

पृ० 944

2- चतुर्वर्णाश्रमो लोको राजा दण्डेनपालितः

स्वधर्मकर्मभिः रतो वर्तते स्वेषु वैश्वसु ।

अर्थशास्त्र, प्रथमः अधिःकरण

पृ० 17

यथा - "ब्राह्मण का धर्म ऋययन-ऋयापन, यज्ञ-याजन, तथा दान देना एवं लेना है । क्षत्रिय का धर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना शस्त्रजल से जीविकोपार्जन एवं प्राणियों की रक्षा करना । वैश्य का धर्म पढ़ना, यज्ञ करना दान देना, कृषि कार्य पर्यपालन एवं व्यापार करना है तथा शूद्र का धर्म है कि ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य की सेवा करे, छेती पर्यपालन एवं व्यापार करे तथा शिल्प, गायन वादन चारण एवं भाट का काम करे ।" ¹ इस प्रकार अर्थाशास्त्र चतुर्वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिल जाता है ।

इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थाशास्त्र में ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यास नामधारी चतुराश्रमों को वर्णन किया गया है । चतुराश्रम के विषय में बताते हुए कौटिल्य निम्नवत् कहता है -

गृहस्थ अपनी परम्परा के अनुकूल कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करे, सगोत्र तथा असगोत्रसमाज में विवाह न करे । श्रुगामी न हो । देव पित्र अतिथि एवं भृत्यजनों को देकर ही अन्न में भोजन करे । ²

1- स्वधर्मो ब्राह्मणस्याऋययनमऋयापनं, यजनं याजनं दानं प्रातिग्रहश्चेति ।

क्षत्रियस्याऋययनं यजनं, दानं, शस्त्राजीवो, भूतरक्षणं च ।

वैयस्याऋययनं यजनं दानं कृषिपर्यपाल्ये वणिज्या च ।

शूद्रस्य द्विजातिः शूद्रा वार्ता कास्कुशीलव कर्म च ।

अर्थाशास्त्र-प्रथम अधिकरण पृ० 12/13

2- गृहस्थस्य स्वकर्माजीवस्तु न्येरसमाविर्भवेवाह्यमृतशमित्वं देवपित्रतिथि भृत्येषु

त्यागः शेष भोजनं च । प्रथम अधिकरण पृ० 13

ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह नियमित स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र ऋषे, स्नान करे, शिखाटन करे, गुरु के समीप रहे, गुरु की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र अथवा अपने समान शाखाध्यायी के निकट रहे ।¹

कौटिलीय अर्थशास्त्र में इसी प्रकार वानप्रस्थी एवं सन्यासाश्रम से सम्बन्धित नियम एवं कर्म दिये गये हैं । वानप्रस्थी के विषय में आचार्य का कहना है कि "वह ब्रह्मचर्य पूर्ण रहे, भूमि पर शयन करे, जटा मृगचर्म को धारण करे, अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करे, देव पितर एवं अभ्यागतों की सेवा करे तथा वन्यखाद्य पर निर्भर रहे"²

इसी प्रकार सन्यासाश्रमियों के विषय में भी आचार्य ने कतिपय निर्देश किया है । सन्यासी के धर्म के विषय में उनका कहना है कि "उसका धर्म

1- ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायोऽग्निकार्याभिक्रान्ते यत्तत्त्वमाचार्ये प्राणित्तर्का वृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणिवा ।

प्रथम अधिकरण पृ० 13

2- वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौ शयया, जटाऽग्निधारणमग्नि होत्राभिक्रान्ते, देवतापित्रार्थं तिथि पूजा, वन्यखाहारः ।

प्रथम अधि० पृ० 13

हे - "जितेन्द्रिय होना, किसी भी सांसारिक कार्य को न करे, निष्कन्चन बना रहे, एकाकी रहे, प्राण रक्षामात्रार्थ स्वल्पाहार करे, समाज में न रहे, जंगल में भी एक स्थान पर न रहे तथा मनवचन तथा कर्म से बाहर एवं भीतर से पवित्र रहे ।¹

इस प्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य ने अर्थाशास्त्र में वर्णाश्रम की अतीव महत्ता उपवर्णित की है । कौटिल्य स्वयं कहता है कि पवित्र आर्यमर्यादा में अवस्थित वर्णाश्रम धर्म में नियमित तथा त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा सदा सुखी रहती है ।²

इसी प्रकार प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक तत्व यथा-विवाह, विवाह का उद्देश्य, स्त्रीदशा, उत्तराधिकार " राष्ट्रप्रेम नागरिक कर्तव्यादि का वर्णन भी आचार्य कौटिल्य के अर्थाशास्त्र में किया गया है । जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज पर देखा जा सकता है । विभिन्न सामाजिक मान्यताओं एवं परम्पराओं को विक्रिण्डित करने में समाज अमर्यादित हो जाता है जिससे

1- परिज्राजकस्य संपतेन्द्रियत्वमनारम्भो निष्कन्चनत्वं सङ्गत्यागो भैक्षमनेकत्राण्यवासो जाह्याभ्यन्तरं च शौचम् ।

प्रथम अधिकरण पृ० 13

2- व्यविस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः

त्रयया हि रक्षितौ लोकः प्रसीदति न सीदति

प्रथम अधिकरण पृ० 14

अनेक प्रकार की सामाजिक विकृतायें उत्पन्न होती हैं । इसी कारण प्राचीन भारतीय मनीषियों ने विभिन्न प्रकार के दण्डों की व्यवस्था की थी । यथा कुवारी कन्या से सम्भोग करके यदि कोई व्यक्ति सामाजिक परम्पराओं एवं नियमों का अतिक्रमण करता था तो उसके लिए हस्तकर्तनादि जैसे कठोर, दण्ड-विधान विहित थे । तथा मर जाने पर प्राणरण्ड विहित था ।¹ इसी प्रकार विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न दण्ड विहित थे ।

इस प्रकार, यदि हम निरपेक्ष दृष्टि से विचार करें तो एक तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि कोटिन्य ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों को अपने पावन ग्रन्थ में स्थान दिया है, जिससे अद्यापि भारतीय जनमानस उपकृत हो रहा है ।

1- सर्वाणामप्राप्तफला कन्यां प्रकुर्वतो हस्तकर्तनुः शतो वा दण्डः, मृताया कथः ।

चौथाधिकरण पृ० 478

आर्थिक महत्त्व

प्राचीन भारतीय मनीषियों ने अर्थ को भी एक पुरुषार्थ माना है । अर्थ के बिना सारा जगत शून्य है । महामनीषी कोटिल्य भी इसी परम्परा का निर्वह करते प्रतीत होते हैं । यद्यपि अर्थशास्त्र एक राजनीति प्रधान ग्रन्थ है जिसमें तद सम्बन्धी विविध विषय सन्निहित हैं, जिनके माध्यम से राजयोत्कर्षरूप लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है । तथापि अर्थ के बिना इस लक्ष्य के पूर्ण होने में बहुविध शक्याये हैं । इसी कारण कोटिल्य ने राजनीति प्रधान विषयों के अन्तर्गत अर्थ प्रधान विषयों का वर्णन करके उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है ।

"कोटिल्य की साम्राज्य-व्यवस्था का आर्थिक ढाँचा औद्योगिक आधार भूमि पर खड़ा है । कोटिल्य की अर्थनीति के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं । प्रथम-राज्य द्वारा संचालित उद्योग । दूसरे के अन्तर्गत निजी उद्योगों को लिया जा सकता है तथा तीसरे के अन्तर्गत निम्न सिद्धान्त हैं जिसके अनुसार समस्त उत्पादन वितरण एवं उपभोग पर शासन सत्ता का नियन्त्रण बना रहेगा" ।¹

1- गैरोलाकृत हिन्दी अनुवाद, अर्थशास्त्र भूमि का भाग, पृ० 48

गेरोला साहब ने अर्थशास्त्र के माहात्म्य के विषय में निम्नक्त कहा है -

"धर्म, दर्शन, काव्य, कला और अर्थ आदि विज्ञानों में साहित्य के अंग हैं उनमें धर्म अर्थ-काम एवं मोक्ष, इस त्रिचतुष्टय की उपयोगिता पर अनेक प्रकार से विचार किया गया है। अर्थशास्त्र चूंकि ऐतिहिक जीवन से सम्बद्ध क्रिया व्यापारों की ही विवेचना प्रस्तुत करता है, अतः उसमें मोक्ष को छोड़ कर त्रिवर्ग के सम्बन्ध में ही स्पष्टरूप से प्रकाश डाला गया है। धर्म, अर्थ एवं काम- इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध बताते हुए कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि उसमें अर्थ की ही प्रमुखता है। शेष दोनों धर्म तथा काम अर्थ पर ही निर्भर है। इसी लिए त्रिवर्ग की समुचित उन्नति के लिए अर्थ की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है"।¹ इसी प्रकार राष्ट्रोन्नति के लिए भी अर्थ की महत्ता के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि राष्ट्र की समुचित उन्नति, एवं सुरक्षा के लिए विज्ञानों में भी उपाय बताये गये हैं उनमें कोष का प्रमुख स्थान है। इसी लिए कोष-विभाग के कर्मचारियों से लेकर कोषकी सुरक्षा, उसकी वृद्धि के उपाय, उसके आये के साधन एवं क्षय के कारणों पर कौटिल्य ने विस्तार से प्रकाश डाला है।

1- गेरोलाकृत अर्थशास्त्र का हिन्दी अनुवाद, भूमिका भाग पृष्ठ संख्या 49

अर्थशास्त्र का आर्थिक माहात्म्य का निदर्शन इसी तथ्य से हो जाता है कि विभिन्न नामान्तरों वाले अनेक अधिकारी उसी रूप में भारतीय प्रशासन में अपना स्थान आज भी बनाये हुए हैं। अर्थशास्त्र में अर्थ-विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को समाहर्ता कहा गया है। इसके अतिरिक्त सन्निधाता, स्थानिक, गोप, प्रदेष्टा, अक्ष पटलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अर्थकारिणिक, कार्मिक गणनिष्पद्य साहय्यान्क, आदि का वर्णन भी अर्थशास्त्र में मिलता है। ये सभी अधिकारिनाम किञ्चिदन्तर के साथ आज भी अपना स्थान बनाये हुए हैं। इससे अर्थशास्त्र के आर्थिक महत्त्व का निदर्शन हो जाता है।

इतना ही नहीं अपितु अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्धित तमाम ऐसे विषय लिखे हैं जिन्का प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान राजनैतिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रकोष को सुदृढ़ करने के विषय में दिखाई पड़ता है। यथा विभिन्न प्रकार के करारोपण करना। आज भी उत्पादकता से जुड़े अन्यान्य उपक्रमों से कर सृष्टि के द्वारा राजकोष सुदृढ़ किया जाता है। राज्य की आर्थिक अवस्था पर ही उसकी उन्नति के सभी साधन निर्भर हैं। इस लिए राजकोष की पूर्ति के लिए अर्धदण्ड, नागरिकों द्वारा प्राप्त राज्यांश, कृषिकर, उपज कर। अन्निकर धार्मिक कर, वणिक् कर आदि का विधान था।

आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थशास्त्र में विभिन्न करों का तो विधान किया गया है । कोटिन्य राष्ट्र के लिए दुःखदायी वस्तुओं पर अत्याधिक कर लगाने की काल्पनिक करते हुए कहता है कि -

"जो वस्तुएँ राष्ट्र के लिए दुःखदायी, निरर्थक एवं मात्र शोक के लिए हों, अपर अत्यधिक कर लगाना चाहिए ।"

कोटिन्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह दुष्टपुरुषों का धन उसी प्रकार ले ले जिस प्रकार वाटिका से पके फलों को ले लिया जाता है । किन्तु धर्मात्मा पुरुषों का धन वह उसी प्रकार छोड़ दे जिस प्रकार कच्चे फल को छोड़ दिया जाता है । क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों से वसूला गया धन प्रजा के कोप कारण बनता है ।²

कोटिन्य ने खाने के अस्मात् कम हो जाने पर कोष सन्वय करने को कहा है तथा इसके लिए प्रजा पर पुनर्भारोपण के लिए उसकी अनुमति लेना

1- अर्थशास्त्र पंचम अधिकरण, प्रकरण 90, अध्याय 2

2- पक्वं पक्वमिवारामात् फलं राज्यादवाप्नुयात् आत्मच्छेदभयादामं वर्जयेत् कोपकारकम्"

आवश्यक जताया है ।¹ जिसका प्रमाण "याचेत" शब्द देता है । इसी प्रकार नटों, नर्तकों, गायकों एवं क्लेयायों पर भी कर लगाने की व्यवस्था थी । इनके लिए विधान था, कि ये अपनी कमाई का अर्ध भाग कर के रूप में दें ।²

राज्यकर एक जार लिया जाय अथवा जार-जार । इस विषय में आचार्य कोटिल्य का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यकार एक जार ही लेना चाहिए किन्तु यदि कतिपय कारणों पर अपेक्षित कोष न हो सके तो राजा को पुनः कोष पूर्ति करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए राजा अथवा समाहर्ता को किसी बहाने का आश्रय लेकर जनता से धन की याचना करनी चाहिए न कि जबरदस्ती । इस योजना में लगे लोग जनता को दिखाने के लिए अधिक से अधिक धन दें ताकि जनता की उनसे प्रेरित होकर राजा की याचना पर अधिक से अधिक धन देने का प्रयास करे ।³

1- "कोशम्कोशः प्रत्युत्पन्नार्थं कृच्छ्रः संगृहीतयाञ्च जनपदं महात्तमत्प्रमाणं वा देवमातृकं प्रभूत धान्यं धान्यां शस्यत्तीयं चतुर्थं याचेत ।"

अर्थशास्त्र, पंचम अधिकरण प्रकरण 90, अध्याय 2 पृ050

2- "कुशीलवा स्वर्गीवारच केतनाधी दद्युः ।"

अर्थ0पंचम अधिकरण, प्रकरण10, पृ0 504

3- "सकृदेव न द्विप्रयोजनः । तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदाञ्च भक्षेत् । योगपुरुषारचात्र पूर्वमतिमानं दद्युः । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदाञ्च भक्षेत् ।"

अर्थशा0-पंचअधिकरण, प्रकरण 90 अध्याय 2, पृ0505

*अर्थात् कोषागार कैसा होना चाहिए इसके विषय में भी निर्देश देता है तथा कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य का भी निर्देश देता है ।¹

इसके अतिरिक्त विभिन्न करों का भी उल्लेख किया गया है जिसे समाहर्ता नामक अधिकारी वसूल करवाता है । इन करों को स्त्रीप में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, व्रज तथा वणिक्पथ नाम से जाना जाता है ।²

आचार्य कौटिल्य को कोषवृद्धि की कितनी अधिक चिन्ता थी कि उन्हें यहाँ तक कहनापड़ा कि सारे कार्य कोष पर निर्भर हैं । इसलिए राजा को चाहिए कि वह सबसे पहले कोष पर ध्यान दे ।³

इस प्रकार यदि अर्थात् में वर्णित विभिन्न अर्थप्रधान विषयों का सम्यक् विवेचन किया जाय तो एक तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रन्थ का राष्ट्र समृद्धि में तात्कालिक महत्त्व तो था ही, किन्तु यदि इसका आज भी

1- द्वितीय अधिकरण, प्रकरण 21, अध्याय 5

2- समाहर्ता दुर्ग राष्ट्र खनि सेतु व्रज वणिक्पथ चाक्षेत्र ।

अर्थात्, द्वितीय अधिकरण प्रकरण 22, अध्याय-6
पृष्ठ-119

3- "कोषपूर्वाः सर्वारम्भाः । तस्मात् पूर्वं कोषमवक्षेत्र "

अर्थात्-द्वितीय अधिकरण, प्रकरण अध्याय 8

सम्यगाङ्गीलन एवं तदनुस्य आचरण किया जाय तो भारतीय राष्ट्र की समृद्धि में इसकी उपादेयता को कथम्पि अस्वीकृत नहीं किया जा सकता । करापवन्चन आज भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है । विभिन्न विषयों से संग्रहीत किये जाने वाले करों का समाहरण उपयुक्त एवं युक्तिपूर्ण ढंग से नहीं हो रहा जिससे कभी-कभी कोष की स्थिति शोचनीय हो जाती है । सरकार को योजनाओं और विकास के लिये विदेशी ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है । ऐसी स्थिति में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अधिक प्रासंगिक हो जाता है । करसंग्रह एवं करापवन्चकों के लिये दण्डव्यवस्था के लिये अर्थशास्त्र की पक्तियाँ प्रकाशरश्मि अन्कर आलोक दे सकती हैं, इसमें सशयलेना नहीं है ।

4-

राजनीतिक महत्त्व

यद्यपि प्राचीन भारतीय मनीषियों ने धर्म दर्शन अथवात्म, विज्ञान आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया था, तथापि मानव के भौतिक सम्बन्धों को नियन्त्रित एवं अनुशासित करने वाले विषयों की उपेक्षा नहीं की थी । मानव की व्यक्ति एवं सामूहिक दोनों उन्नतियों की तरफ आपने विशेष ध्यान दिया था । चूंकि राज्य एक आवश्यक एवं अनिवार्य संस्था है, इसलिए इससे सम्बन्धित प्राचीन अवधारणा का निरन्तर, विकास होता गया । आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तो राजनीति विषयक विषयों की साक्षात् निवेध है जिससे प्राचीन

एवं वर्तमान कालिक-उभय- मनीषीगण राजनीति की शिक्षा लेते रहते हैं तथा स्वकीय राजनैतिक सिद्धान्तों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इससे अर्थशास्त्र की राजनैतिक महत्ता सुविदित हो जाती है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने अर्थशास्त्र के विषय में निम्नवत् लिखा है -

"राजनीति शास्त्र के ग्रन्थों में कोटिल्य के अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की ऋटाध्यायी का।"

अर्थशास्त्र ने स्वयं में विभिन्न राजनीति प्रधान विषयों को स्वयं में लपेट कर तात्कालिक एवं परकालिक राजनीति का बहुत बड़ा उपकार किया है। यद्यपि कोटिल्य ने भी अपने पूर्ववर्ती राजनीति शास्त्रियों के मन्तव्यों को ही स्वीकार किया है, किन्तु कहीं-कहीं महामनीषी ने स्वकीय नवीन विचारों द्वारा भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया है।

कोटिल्य भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की भाँति राज्य का सप्तांग संयुक्त या सप्तप्रकृतिप्रकृत मानते हैं जो कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग कोष, सेना तथा मित्रादि को माना है।

1- ईश्वरीप्रसाद एवं शैलेन्द्र शर्माकृत "प्राचीन भारतीयसंस्कृति का एवं दर्शन पृ० 369

2- स्वाम्यमात्य जनपद दुर्गकोषदण्डमित्राणि प्रकृतयः ।

स्वामी {राजा} के गुण के विषय में बताते हुए कौटिल्य का कहना है कि उसे महाकुलीन देवजुडि, धैर्यसम्पन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, सामन्तों को का में करने वाला, दृढ वृद्धि, गुणसम्पन्न सम्पन्न परिवार वाला, एवं शास्त्रजुडि बाबा होना चाहिए । ये सभी राजा के आभिमिक गुण बताये गये हैं ।¹

इसी प्रकार राजा के प्रज्ञागुणों के विषय में बताते हुए कौटिल्य कहता है कि उसमें शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान तर्कवर्तक, आदि की होना चाहिए।²

तथा राजा के उत्साह गुण के विषय में बताते हुए कहा गया है कि उसमें शौर्य अमर्ष शीघ्रता तथा दक्षतादि उत्साह गुण में का होना अत्यावश्यक है ।³

इस प्रकार उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह प्रजानुरजन एवं उसका कल्याण कर सकेगा । यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

1- तत्र स्वामि सम्पत्-महाकुलीनो, देवजुडिसत्त्वसम्पन्नो बृहदर्शी धार्मिकः --

-----इत्याभिमिका गुणाः ।

अर्थशास्त्र-षष्ठ अधिकरण प्रकरण 96 अध्याय ।

2- अर्थशास्त्र वही -

3- अर्थशास्त्र वही -

भारतीय राजनेतागण इन गुणों से संपृक्त हो जाते तो उनका प्रधान लक्ष्य प्रजानां तु हितं प्रियं" अक्षय हो जाता ।

इसी प्रकार अर्थशास्त्र अमात्य जनपद दुर्ग कोष दण्ड एवं मित्र का भी समुचित वर्णन करता है जिसकी उपादेयता को अद्यापि कथमपि अस्वीकृत नहीं किया जा सकता ।

साहित्यिक महत्त्व

जहाँ तक अर्थशास्त्र की साहित्यिक महत्ता का प्रश्न है १ उसके विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि यद्यपि अर्थशास्त्र का प्रधान लक्ष्य राजनीति प्रधान विषयों का वर्णन करना है तथापि यद्यपि निरपेक्ष दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि कौटिलीय अर्थशास्त्र में परवर्ती साहित्य शास्त्र एवं साहित्यशास्त्रियों का बहुविध उपकार किया है । यह उपकार द्विविध है -

प्रथम तो इसने बहुत से ग्रन्थों के लिए उपजीव्य का कार्य किया गया है । तात्पर्य यह है कि अनेक कवियों एवं लेखकों ने अर्थशास्त्र विषय चुनकर अपनी कल्पनाओं को स्वकीय लेखनी का विषय बनाया है । संस्कृत वाङ्मय में कवियों की कृतियों पर अर्थशास्त्र का व्यापक प्रभाव है जिससे उसकी सार्वभौम मान्यता का सहज ही पता चलता है ।

ई० पू० प्रथम शती में विद्यमान संस्कृत^{के} सुपरिचित कवि कालिदास से लेकर याज्ञवल्क्य वात्सायन, विष्णुशर्मा, विशाखदत्त तथा ज्ञान प्रभृति महा-कवियों, स्मृतिकारों, एवं नाटककारों की 7वीं शती तक रची गई कृतियाँ निरसन्देह अर्थशास्त्र में प्रभावित हैं। वैसे भी अर्थशास्त्र से विषय लेकर अनेक कृतियाँ रची गई हैं।

*महाकवि कालिदास के रघुवीर, कुमार सम्भव एवं शाकुन्तल अत्यधिक रूप से अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति वात्सायन कृत कामशास्त्र, आदि ग्रन्थ साक्षात् अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं।¹

विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षस एक तरह से कोटिल्य की आणिक जीवनी है जिससे अर्थशास्त्र के साहित्यिक महत्त्व को कथमपि अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

कादम्बरी कथा के निर्माता महाकवि ज्ञान ने भी अर्थशास्त्र की चर्चा करते हुए कहा है कि उन लोगों के लिए क्या कहा जाय जो अति नृसि कार्य को उचित बताने वाले कोटिल्य के शास्त्र को प्रमाण मानते हैं²

1- गैरोलाकृत अर्थशास्त्र का हिन्दी अनुवाद भूमिका पृ० 64

2- किं वा तेषां साम्प्रतं येषामिति नृसिप्रायोपदेशो कोटिल्यशास्त्र प्रमाणम्।

कोटिन्यक्त अर्थशास्त्र का कितना व्यापक प्रभाव था कि प्रसिद्ध काव्यशास्त्री दण्डी तक को कहना पड़ा कि विष्णुगुप्त निर्मित अर्थशास्त्र का अध्ययन करो ।¹

इसके अतिरिक्त साहित्यशास्त्र से सम्बन्धित विभिन्न शब्दों की परिभाषा बताकर आचार्य कोटिन्य ने साहित्य जगत् का अत्यधिक उपकार किया है ।² इसमें अधिकरण विधान, योग पदार्थ हेतुर्कथ, निर्देश, उपदेश, अपदेश, अतिदेश प्रदेश, उपमान, अर्थापत्ति संगम, प्रसंग, विपर्यय, वाक्येष्व अनुमत व्हाडयान निर्वचन एकान्त अनागतकेश्च अतिक्रान्तकेश्च, नियोग, क्लृप्त, समुच्चय तथा उध्व प्रभृति 32 शब्दों का लक्षण बताकर आचार्य ने साहित्य जगत् का बहुत बड़ा उपकार किया है जिससे अर्थशास्त्र की महत्ता में चार चाँद लग जाते हैं ।

1- अधीष्णतावददण्ठनीतिसु । तदिमिदानीमाचार्य विष्णुगुप्तेन मोयार्थं अदिभिः
रलोकसहस्रे शिक्षता । सेवेयमधीत्य सम्यगनुष्ठीयमान यथोक्त कार्यमेति

- दण्डी

2- 15 वाँ अधिकरण । अध्याय ।

ऐतिहासिक महत्त्व

अर्थशास्त्र एक ऐसा विपुल ग्रन्थ है जिसमें विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य बिखरे हैं जिन्हो समेट कर, तथा उन्हें एक सुसम्बद्ध रूप देकर भारत की तात्कालिक ऐतिहासिक दशा का विवाद ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।

अर्थशास्त्र में तत्कालीन संघ राज्यों के वृत्तान्त के लिए स्वतन्त्र अधिकरण की रचना की गई है । इससे हमें उनके सुदृढ़ संघटन एवं साम्राज्य के प्रति उनकी रीति नीति का अच्छा परिचय मिलता है -

कोटिन्य दो प्रकार के संघ राज्यों का वर्णन करता है । प्रथम-राजा की उपाधि धारण करने वाले, द्वितीय राजा की उपाधि न धारण करने वाले । इन दोनों की उपयोगिता के बारे में चाणक्य ने निम्नवत् कहा है ।

“दण्ड लाभ एवं मित्र लाभ-दोनों की अपेक्षा संघ लाभ उत्तम होता है क्योंकि- संघटित होने के कारण संघराज्यों को जलवान से जलवान राष्ट्र की दशा नहीं सकता है ।”¹

1- अर्थशा०- ॥वाँ अधिकरण । प्रथम अध्याय

राजा की उपाधि धारण करने वाले जिन सभ राज्यों का उल्लेख आचार्य ने किया है उनमें लिच्छिवि, वृज्ज, मल्ल, मद्रक कुकुर, कुरु तथा पांचाल।

बिना "राजा" की उपाधि वाले सभ राज्यों को कोटिल्य ने पि काम्भोज, सुराष्ट्र क्षत्रिय आदि बताया है²। इनके विषय में आचार्य का कहना है कि इस श्रेणी वाले भ्रम-व्यापार एवं कृषि द्वारा जीविकोपार्जन करते थे।³

इसके अतिरिक्त में तात्कालिक राज्य, उसकी प्रकृति शासन व्यवस्था दण्ड व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कोश-व्यवस्था दुर्ग निर्माण, जनपद, प्रजा एवं राजा के बीच के सम्बन्ध, कर-निर्धारण इत्यादि ऐतिहासिक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। गुप्तचरों एवं अमात्यों की नियुक्ति विषयक योग्यता का वर्णन करके कोटिल्य ने तात्कालिक ऐतिहासिक स्थिति पर तो प्रकाश डाला ही है। परवर्ती काल में घटित होने वाले इतिहास को भी एक सार्थक दिशा देने का प्रयास किया है।

इस प्रकार अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक महत्त्व को कथमपि न्यून करके नहीं आँका जा सकता।

1- "लिच्छिविक वृज्जमल्लमद्रक कुकुरपान्यालादयः राजशब्दोपजीविनः"

-।। वाँ अधिकरण, प्रथम अध्याय

2- कारजोज सुराष्ट्र क्षत्रियश्रेयादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः ।

-।। वाँ अधिकरण । प्रथम अध्याय ।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यद्यपि अर्शास्त्र प्रधान रूप से राजनीति प्रधान शास्त्र तथापि इसमें इतनी विविध विषयविक्रमक ज्ञान बिन्दु पड़े हैं जिनके अध्ययन से तद्विदर विषयों पर भी प्रकाश पड़ता है ।

वस्तुतः अर्शास्त्र में उन सभी विषयों का समावेश किया गया है । जिनका वर्णन कोटिन्य के पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थों में किया है ।¹ इस तथ्य को चाणक्य ने स्वयं कहा है । 15वें अधिकरण की समाप्ति पर स्वयं आचार्य चाणक्य ने इसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए निम्नवत् लिखा है । -

एकास्त्रमिदं युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः

अवाप्तौ पालने चोक्तं लोकस्यास्यपटस्य च

धर्ममर्थं च कामं च प्रवर्तयति याति च ।

अर्थानर्थं विद्वेषानिदं शास्त्रनिहन्ति च ॥²

1- पृथिव्या नामै पालने च यावन्त्यर्शास्त्राणि पूर्वाचार्ये प्रस्थापितानि प्राक्कास्तानि संहृत्यैकमिदमर्शास्त्रं कृतम् ।

2- अर्शास्त्र - 15वां अधिकरण अथाय- ।

अर्थशास्त्र का रचना काल

"अर्थशास्त्र" कोटिन्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ है जिसमें उपवृद्ध हेतु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचारों ने आधुनिक भारतीय और पश्चिमी विद्वानों को चकित कर दिया है। अर्थशास्त्र की रचना और रचनाकार के सम्बन्ध में विचारक एक मत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जाली का मत है कि कोटिन्य का अर्थशास्त्र एक धोखा देने वाली चीज है, जिसे कि सम्भवतः तीसरी शताब्दी ईसवी में तैयार किया गया था। अर्थशास्त्र का रचनाकार कोई मन्त्री नहीं था वरन् एक सिद्धान्तशास्त्री था। कोटिन्य नाम झूठा है क्योंकि परम्परागत स्रोतों में उक्त कोई उल्लेख नहीं मिलता। मेगस्थनीज ने कहीं भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार पतञ्जलि ने अपने "महाभाष्य" में कहीं भी कोटिन्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है, जब कि चन्द्रगुप्त एवं अन्य मौर्यों का उल्लेख किया है। मिस्टर जाली के अतिरिक्त डॉ० आर० भण्डारकर, ए० बी० कीथ, विंटरनिट्ज आदि विद्वानों का मत है। कि यह पुस्तक चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन के व्याप्त के पश्चात् ईसाई युग की प्रारम्भिक शताब्दियों में लिखी गयी।

जाली, कीथ एवं विंटरनिट्ज कोटिन्य के अर्थशास्त्र को मौर्यमन्त्री की कृति नहीं मानते हैं। यह कथन कि उस व्यक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक वृहद साक्षात्कार के निर्माण में लगा रहा, इस पुस्तक का लिखना सम्भव नहीं था।

विविध निराधार है । पूँजा जा सकता है कि सायण एवं माधव को कैसे इतना समय मिला कि वे विपत्तियों से घिरे रहकर भी बृहद ग्रन्थों का निर्माण कर सके ?

परन्तु डॉ० रामाशास्त्री, गनपति शास्त्री, एन० एन० लाल सिन्धु, तथा जायसवाल आदि विद्वान् उपर्युक्त मत से सहमत नहीं हैं । उनका मत है कि अर्थशास्त्र का रचना-काल चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन काल ही है । अर्थशास्त्र वहीग्रन्थ है जिसकी रचना चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मन्त्री कोटिन्य ने मौर्य राजाओं के पथ प्रदर्शन के लिए की थी ।

डॉ० श्यामलाल पाण्डेय का कथन है कि प्रस्तुत अर्थशास्त्र चाहे मौर्य काल की रचना हो, चाहे उसके पश्चात् किसी समय का नवीन संस्करण हो, परन्तु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि इस अर्थशास्त्र में राजशास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है, मौर्यकालीन ही है ।”

अर्थशास्त्र-राजनीति शास्त्र की रचना -

यह एक विचारणीय प्रश्न है कि कोटिन्य ने इस ग्रन्थ का नाम राजनीति शास्त्र न रहकर "अर्थशास्त्र" क्यों रखा ? कोटिन्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया है कि वे दण्ड का विवेचन कर रहे हैं ।

दण्डनीति शब्द प्राचीन काल से भारत में राजनीति से सम्बन्धित विद्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। शुक ने राजनीति विद्या को दण्ड नीति की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ का नामकरण का स्पष्टीकरण किया है, उनका कहना है कि - "मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।"

॥ द्वितीय अध्याय ॥

भारतीय संस्कृत जादू-मय विवाह की उत्थारणा

1- प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय में विवाह की अवधारणा -

भारतीय संस्कृत-वाङ्मय में विवाह संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गयी है । विवाह सम्बन्धी बहुत से शब्द विवाह संस्कार के तत्वों की ओर संकेत करते हैं, यथा उदाह {कन्या को उसके पितृगृह से उच्चता के साथ ले जाना} विवाह {विशिष्ट ढंग से कन्या को ले जाना} परिणय या परिणयन {अग्नि की प्रदक्षिणा करना} उपयम {सन्निहित ले जाना और अपना बना लेना} एवं पाणिग्रहण {कन्या का हाथ पकड़ना} । यद्यपि ये शब्द विवाह-संस्कार का केवल एक-एक तत्व बताते हैं, किन्तु शास्त्रों ने इन सबका बहुधा प्रयोग किया है और विवाह संस्कार के उत्सव के कतिपय कर्मों को इनमें समेट लिया है । तैत्तिरीय संहिता¹ एवं ऐतरेय ब्राह्मण² में "विवाह" शब्द उल्लिखित है ताण्डय महा ब्राह्मण में कहा गया है कि "स्वर्ग और पृथ्वी में पहले एकता थी, किन्तु वे पृथक्-पृथक् हो गये, तब उन्होंने कहा-"आओ हम लोग विवाह कर लें, हम लोगों में सहयोग उत्पन्न हो जाय ।"³

जहाँ तक प्राचीन भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित वाङ्मय का प्रश्न है उनमें ऋग्वेद सर्वोत्कृष्ट है - महामहिमाशाली ऋषियों द्वारा दृष्ट तथा ब्रह्म के

1- तैत्तिरीय संहिता { 7/8/87 }

2- ऐतरेय ब्राह्मण { 27/5 }

3- हमो वै लोको महास्ता' तौ विद्यन्तावभूता' विवाहं विवहावहे सह नाविस्त्विति ।

निःशवास-भूत ऋग्वेद भारतीय मनीषा के सामाजिक जीवन में प्रति चेषट प्रतीत होता है । यही कारण है कि ऋषियों ने मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी महत्त्व प्रदान किया तथा उनकी पूर्ति हेतु धर्ममय जीवन की कल्पना की । ऐसी स्थिति में मानव जीवन को संयमित बनाकर उसे सत्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए ऐसे विधानों की आवश्यकता थी जिसके द्वारा मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता । विवाह उन्हीं धर्म विधानों में से एक है जिसकी परिकल्पना करके ऋषियों ने मानव को अपने लक्ष्य के प्रति सचेष्ट किया ।

ऋग्वेद के अध्ययन से भारतीय मनीषा के वैवाहिक अन्वेषण का स्पष्ट निदर्शन प्राप्त होता है । यद्यपि ऋग्वेद में धर्म, अर्थ काम एवं मोक्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता तथापि यदि उसमें निहित अन्तस्तत्वों का तात्त्विक चिन्तन किया जाय तो उपर्युक्त धारणा निर्भ्रान्त हो जाती है । अतः यह कहना अत्यधिक समीचीन है कि वैदिक ऋषिगण स्वकीय दृष्टि में उक्त लक्ष्यों को भी धारण किये हुए थे । जहाँ तक वैवाहिक उद्देश्य का प्रश्न है उसमें ऋग्वेद स्पष्ट उद्घोष करता है कि विवाह का उद्देश्य यज्ञ, तथा सन्तानोत्पत्ति है ।¹

1- ऋग्वेद -

10/85/36, 5/3/2, 5/28/3, 3/53/4 ।

यद्यपि ऋग्वेदिक मनीषियों ने यज्ञ तथा सन्तानोत्पत्ति को ही मुख्यरूप से विवाह का उद्देश्य बताया है तथापि उक्त दोनों उद्देश्यों में ही उनकी सर्वव्यापिनी दृष्टि की झलक मिलती है। यज्ञों का सम्बन्ध मानव की स्वार्थपूर्ति एवं देवी प्रसन्नता से है। जिसके द्वारा सम्पूर्ण मानव जीवन ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्राणि-मात्र का मंगल होता है। सन्तानोत्पत्ति द्वारा व्यक्ति स्वकीय "काम" नामक पुरुषार्थ को तो प्राप्त ही करता है साथ ही साथ उसका सामाजिकीकरण भी होता है, जिससे परम्परा मात्र उस व्यक्ति का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज का हित साधन होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में विवाह का उद्देश्य अत्यधिक पावन महान एवं व्यापक था।

ऋग्वेद की ही भांति सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय वैवाहिक महत्ता का सर्वत्र गुणगान करते हैं। वैदिक काल के पश्चात् भी परवर्ती काल में भारतीय मनीषियों ने उसके उद्देश्य एवं महत्ता पर प्रकाश डाला है। वैदिक एवं परवर्ती काल में वैवाहिक अवधारणा पर विचार करने के लिए निम्न विन्दुओं पर स्तम्भ में विचार कर लेना आवश्यक है -

- 1- वर एवं कन्या के गुण ।
- 2- विवाह की आयु ।
- 3- सगौत्र, सपिण्डादि विषयक विचार ।
- 4- वर्ण एवं विवाह ।
- 5- स्वर्यवर ।
- 6- विधवा विवाह ।
- 7- विवाह विच्छेद ।
- 8- बहुविवाह ।
- 9- दहेज ।
- 10- पति-पत्नी सम्बन्ध - दाम्पत्य जीवन

प्राचीन भारतीय मनीषिणां मानव जीवन को सुखमय बनाने के वाले वैवाहिक विधान के प्रति इतने सचेष्ट थे कि उन्होंने उसके प्रत्येक अंग पर विधिवत विचार किया है । चूंकि विवाह को धर्म, प्रथा, एवं रतिरूप शिष्टि-लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाला माना गया है । अतः इसके लिए वर एवं कन्या के विषय में अच्छे-बच्चे गुणों की परिकल्पना की गई ।

1- वर एवं कन्या के गुण -

अच्छा वर किसे कहा जा सकता है ? उसके क्या लक्षण हैं ? किसे वर के रूप में चुनना चाहिए ? इत्यादि प्रश्नों के विषय में विभिन्न धर्मशास्त्रज्ञों ने अपने-अपने विचारों से भारतीयों का पथप्रदर्शन किया है । आश्वलायन गृह्यसूत्र कहता है कि ऐसे वर को कन्या प्रदान की जानी चाहिए जो बुद्धिमान हो ।¹ आपस्तम्बगृह्य सूत्र का मन्तव्य है कि वर को अच्छे, कुल, सच्चरित्रसम्पन्न, शुभगुण सम्पन्न, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य से सम्पन्न होना चाहिए ।² इसी प्रकार औधायन धर्मसूत्र, स्मृतिचन्द्रिका, आदि ग्रन्थ में भी वरों के विभिन्नगुणों का उल्लेख किया गया है । यम ने अपने महान ग्रन्थ में वर के सप्तगुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुल, शील, वपु, यज्ञ, विद्या धन एवं सनाथत्व आदि आवश्यक गुण हैं ।³

जाति, विद्या, युवावस्था तथा स्वास्थ्यादि अष्टगुणों को

1- आश्वलायनगृह्यसूत्र - 1/5/2

2- आपस्तम्ब गृह्य सूत्र- 3/20

3- कुलं च शीलं च वपुर्यज्ञश्च विद्यां च वित्तं च सनाथतां च ।

एतान् गुणान् सप्तपरीक्ष्य देया कन्या जुष्टोः शेषमचिन्तनीयम् ।

-यम की स्मृतिचन्द्रिका 1, पृ० 78

वृहत्पराशर ने वर के लिए आवश्यक माना है¹ इसी परम्परा में महामनीषी मनु ने वर के कतिपय गुणों का निष्पेक्षरूप में वर्णन किया है । मनु के अनुसार संस्कार विवहीन, पुत्रोत्पत्त्यक्षम, वेदाध्ययनहीन, आदि दोषों से संपृक्त कुलों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना असमीचीन है । मनु ने स्वीय ग्रन्थ में वर के अन्य गुणों का भी उल्लेख किया है² कात्यायन ने वर के दोषों का उल्लेख किया है कि - पागलपन, पाप कुण्ठता, नपुंसकता, स्वगोत्रता आदि ।³ दोषों के होने पर अन्यथा योग्य वर भी त्याज्य है ।

1- वृहत्पराशर -

2- मनुस्मृति - 4/224

5/617

2/238

5/63-65

3- उन्मत्तः पतितः कुण्ठी तथा षष्ठः स्वगोत्रजः ।

चक्षुः श्रोत्रविवहीनश्च तथापरस्मार दृष्टिः ।

यद्यपि मनु तथा याज्ञवल्क्य ने नपुंसकों को विवाह के अयोग्य माना है । किन्तु ऐसे लोगों द्वारा भी विवाह के उल्लेख मिलते हैं । इतनाही नहीं अपितु मनु याज्ञवल्क्यादि ने इनकी स्वयं अयोग्य मानते हुए भी न्यायाङ्कूल माना है तथा इनके नियोग से उत्पन्न पुत्रों को और सपुत्रों के समान ही धन सम्पत्ति का अधिकारी माना है ।¹ महाभारतकार महाकवि व्यास ने वैवाहिक सम्बन्ध को समान गुण से युक्त कुलों के मध्य स्थापित करने का विशिष्ट निर्देश दिया है जो कि आदि पर्व में आये उस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है जिसमें कहा गया है कि दोनों कुलों को बराबर धन, बराबर विद्या एवं बराबर शक्तिसम्पन्न होना चाहिए ।²

इस प्रकार विभिन्न धर्मास्त्रकारों ने वर के विषय में अनेक सदगुणों की कल्पना करके उनके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया ।

प्राचीन भारतीय मनीषियों ने वर के गुणों की भाँति ही कन्या में विभिन्न सदगुणों का होना आवश्यक माना है । वैदिक साहित्य से लेकर सम्पूर्ण लौकिक साहित्य न्यूनाधिक्य रूप में कन्या के गुणों के व्यापित किया है । यथा-

1- मनु - 9/203

याज्ञवल्क्य 2/141-142

2- महाभारत आदिपूर्व - 131/10

महाभारत उद्योगपर्व -33/117



रत्नपथ ब्राह्मण कहता है कि - बड़े एवं चौड़े निस्तम्बों वाली तथा कटिप्रदेश वाली कन्याओं में आकृष्ट करने का गुण विद्यमान रहता है ।¹ इसी प्रकार आश्वलायन गृहसूत्र कहता है कि व्यक्ति को बुद्धिमती, सुन्दर, सच्चरित्र, स्वस्थ तथा शुभलक्षणों वाली कन्या से ही विवाह करना चाहिए ।² इसी परम्परा का निर्वहन करते हुए मनु, याज्ञवल्क्य, प्रभृति धर्मशास्त्रज्ञों ने कन्या को शुभलक्षणों से सम्पन्न होना आवश्यक माना है । कन्या के उक्त गुणों को ब्राह्मण तथा आभ्यन्तर-इन द्विविध वर्गों में धर्मशास्त्रकारों ने बाँटने का प्रयास किया है । ब्राह्मण शुभलक्षणों में कन्या की शारीरिक अनावट पर ध्यान दिया जाता है तथा आभ्यन्तर लक्षणों को उसके सदगुणों से सम्बद्ध मानना चाहिए । विष्णुधर्म सूत्र में कहा गया है कि - "पिण्डाल वालों वाली, अतिरिक्त अंगों वाली, टूटे फूटे अंगों वाली, तथा जातूनी कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए । इसी के साथ यह भी कहा गया है कि निर्दोष अंगों वाली हंसगतिवाली, गजगामिनी, लघुदांतों वाली तथा शोभन अंगों वाली कन्याओं से विवाह करने का निर्देश मिलता है ।³ विष्णु पुराणकार कन्याओं के अन्य गुणों का भी उल्लेख करते हैं- यथा- कन्या के अधर या चिबुक पर जल नहीं होना चाहिए, उसकी वाणी में काक की तरह कर्कषत्व नहीं होना चाहिए, हंसने

1- रत्नपथ ब्राह्मण - 1/2/5/16

2- आश्वलायन गृहसूत्र - 1/5/3

3- विष्णुधर्म सूत्र - §24/12-16§

पर उसके गालों में गड्ढे नहीं पड़ना चाहिए ।¹

इस प्रकार विभिन्न शास्त्रकारों ने निम्नाधिक्य वैभिन्य के साथ एक से ही गुणों का कन्या में विद्यमान होना आवश्यक माना है । भरद्वाज गृहसूत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि कन्या से विवाह करते समय मात्र चार बातें देखनी चाहिए यथा- धन, सौन्दर्य, बुद्धि और कुल ।

विवाह की आयु -

जहाँ तक विवाह की आयु का प्रश्न है उसके विषय में इतना जान लेना आवश्यक है कि सभी कालों में, भिन्न-भिन्न जातियों में तथा विभिन्न प्रदेशों में वैवाहिक अवस्था पर विभिन्न दृष्टिकोण दृष्टिगत होते हैं । ऋग्वेद विवाह अवस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता किन्तु यदि इस पावन ग्रन्थ का सम्यक् अनुशीलन किया जाय तो पता चलता है कि इस काल में कन्यायें अपेक्षा कृत वयस्क होने पर ही विवाहित होती थी । ऋग्वेद के दशवें मण्डल के एक मन्त्र में ऋषि कहता है कि -जब कन्या सुन्दर है, तथा आभूषित है तो वह स्वयं पुरुष समूह से अपना मित्र व ॥पति॥ ढूँढ लेती है ।² इससे स्पष्ट है कि

1- विष्णुपुराण - ॥3/10/18-22॥

2- ऋग्वेद- कियती योषामर्यतो क्ययोः,

परिप्रीता पन्थसा वार्येण ।

भद्राकूर्मवतियत् सुपेशाः

स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचिन् ।

ऋग्वेदिक काल में लड़कियाँ इतनी प्रौढ़ होने पर विवाह करती थीं जब उनमें स्वयं पति चयन की क्षमता आ जाती है। इसी प्रकार ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से यह भाषित होता है कि कन्याओं का विवाह युवावस्था प्राप्त होने पर ही होता था। यद्यपि ऋग्वेद में आये एक मन्त्र में यह कहा गया है कि इन्द्र ने वृद्ध कक्षीवात्र को वृचया नामक एक स्त्री ही थी जो अभी ॥अच्ची॥ थी।¹ किन्तु इसे अपवाद ही मानना चाहिए। सामान्य रूप से ऋग्वेदिक काल में कन्याओं का विवाह युक्ती होने पर ही होता था।

जहाँ तक अन्य संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों का प्रश्न है वे वैवाहिक-आयु विषयक प्रश्न पर कोई स्पष्ट प्रकार नहीं डालते। हाँ, सूत्रकाल तक आते-आते आयु के विषय में स्पष्ट निर्देश मिलने लगता है। हिरण्यकेशि गृहसूत्र में अन्य लक्षणों के साथ चुनी जाने वालीका एक लक्षण नग्निक्का होना बताया है² नग्निक्का के अर्थ को लेकर विभिन्न टीकाकारों में मतवैभिन्य के दर्शन होते हैं कोई ऐसी कन्या को नग्निक्का कहता है जिसका मासिक धर्म विलकुल सन्निवृत्त है अर्थात्

1- ऋग्वेद - ॥1/51/13॥

हिरण्यकेशि गृहसूत्र -

ताभ्यामनुज्ञातो भार्यामुपयच्छेत् सजातां नग्निक्कां ब्रह्मचारिणीं
सगोत्राम् ।

जो सम्भोग के योग्य हो ।¹ ऋषिऋषि के अनुसार नग्निका वह कन्या है जिसने अभी युवावस्था की अनुभूति नहीं की है । इसी स्थल पर वे कहते हैं नग्निका वह कन्या है जो विना परिधान के ही सुन्दर लगे । वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी नग्निका शब्द का तात्पर्य अयुवा से है ।

वैवाहिक आयु के विषय में विभिन्न धर्मशास्त्रकारों में विरोध प्रतीत होता है, जहाँ गौतम कहते हैं कि युवती होने से पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए ऐसा न करने पर पाप लगता है । वहीं आश्वलायन गृह सूत्र, आपस्तम्ब गृह सूत्र³ सांख्ययन गृह सूत्र⁴ आदि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कन्याओं का विवाह "गृहसूत्र काल" में युक्ती होने पर ही किया जाता था और यह अवस्था आरहवीं शताब्दी के धर्मशास्त्र-कार के अनुसार कम से कम 14 वर्ष थी । पराशर के मत से आठ वर्ष की लड़की गोरी, नौ वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रजस्वला कही जाती है । पराशर ने ही कहा है कि यदि कोई आरह वर्ष के उपरान्त भी अपनी कन्या न ब्याहे तो उसके पूर्वज प्रतिमास उस कन्या का श्चु प्रवाह पीते हैं । माता पिता तथा जेष्ठ भाई रजस्वला कन्या को देखने से नरक के भागी होते हैं । यदि कोई ब्राह्मण उस कन्या से {रजस्वला से} विवाह कर ले तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ भोजन नहीं करना चाहिए

1- मातृदत्त - विद्वान्केशिकी टीका में ।

उसके साथ भोजन नहीं करना चाहिए और वह वृषली पति हो जाता है ।¹ विवाह की अल्पवयस्कता की सीमा इस स्तर तक कम निर्धारित की गयी थी कि प्रसिद्ध धर्मकार मरीच ने कन्या का विवाह 6 वर्ष में ही कर देना सर्वश्रेष्ठ माना है । इस प्रकार विभिन्न धर्म सूत्रों के अवलोकन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि सूत्र काल में कन्याओं का पाणिग्रहण सामान्य रूप से रजस्वला होने तक अवश्य कर देने का विधान था ।

जहाँ तक वर की वैवाहिक आयु का प्रश्न है इस विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि पुरुष सामान्य रूप से वय प्राप्त हो जाने पर विवाह करते थे जैसे पुरुष के लिए विवाह की कोई निरिच्छत अवधि नहीं रखी गयी थी । प्राचीन भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ- दो ऐसे तत्त्व थे जिन्का मानव के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्त्व था चूँकि उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में निहित कर्तव्यों का सम्यक् पालन करने के उपरान्त ही व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके काम नामक पुरुषार्थ को प्राप्त करने का अधिकार था । अतः पुरुष का विवाह सामान्य रूप से ब्रह्मचर्यावस्था के बाद

1- परारार-४/69४

माताचेव पिताचेव ज्येष्ठोभ्रातातथेव च ।

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां सस्वलां ॥

यस्तां समुदवहेतकन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः ।

असम्भाष्यो ह्यपान्तेयः सविप्रो वृषली पतिः ।

परारार-7/8-9४

ही होता था । यद्यपि ब्रह्मचर्य आश्रम की परिसमाप्ति की अवधियों में विभिन्नताएँ रही हैं । अतः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की अवस्था में वेभिन्न्य के दर्शन होते हैं । मनु ने कहा है कि 30 वर्ष का पुरुष चारह वर्षीया कन्या तथा 24 वर्ष का पुरुष 8 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है ।¹ ऐसा प्रतीत होता है कि इसी को आधार बनाकर किष्णपुराणकार ने कन्या एवं वर की विवाह अवस्थाओं का अनुपात एक और तीन रखा है ।² अगिरा के मत से वर एवं कन्या के आयु में 2, 3, 5 वर्ष का अन्तर हो सकता है । महाभारत में एक स्थल पर कहा गया है कि वर की अवस्था 16 वर्ष की होनी चाहिए । वैवाहिक आयु {पुरुष} पर निश्चित पूर्वक कुछ कहने से पूर्व सूत्र काल में प्रचलित अष्ट विवाहों में वर्णित देव विवाह पर एक दृष्टि डाल लेना अति समीचीन प्रतीत होता है । इस विवाह में यज्ञ कर्म को सम्पादित करने वाले श्वशुर को यजमान स्वीया कन्या को दक्षिणा के रूप में प्रदान करता था । यथा- मनुस्मृति में कहा गया है कि -

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विदुः कर्म कुर्वते ।

अलङ्कृत्य सुतादानं देवं धर्मं प्रचक्षते ॥

मनु0- 3/28

1- मनुस्मृति- 9/94

2- किष्णपुराण -

वर्षैरेकगुणां भार्यामुदहेत् त्रिगुणः स्वयम् । §3/10/16§

3- अगिरा- § स्मृतिमुक्ताफल वर्णाश्रमधर्म पृ0 125 §

उपर्युक्त विवरण से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त श्रृंखला की अवस्था अत्याधिक होती रही होगी ।

क्षेत्र में यह कहा जा सकता है कि वर एवं कन्या के वैवाहिक आयु विषयक प्रश्न पर प्राचीन भारतीय मनीषियों में मतान्तर विद्यमान थे ।

सगोत्र, सपिण्डादि विषयक विचार -

प्राचीन भारतीय संस्कृति में अन्तर्निहित विवाह नामक पावन तत्त्व के विषय में कतिपय विधि एवं निषेधों का निर्देश प्राचीन भारतीय संस्कृत वाङ्मय में मिलता है । जहाँ तक निषेधों का सम्बन्ध है उनमें सगोत्र, सपिण्ड एवं सप्रवर विवाहों का निषेध परक विधान किया गया है । किन्तु इन निषेधों के अपवाद मिलते हैं जिससे इस प्रकृत विषय पर प्राचीन भारतीय मनीषियों में मतान्तर मिलते हैं । अतः उक्त शब्दों का वास्तविक तात्पर्य जान लेना अतिसमीचीन है ।

जहाँ तक गोत्र के शाब्दिक अर्थ का प्रश्न है इसमें समय-समय पर परिवर्तन के दर्शन होते हैं । प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन की आधारपीठिका स्वरूप ऋग्वेदिक श्रृंखलाओं में भी यह शब्द अनेक बार आया है । जैसे ऋग्वेद में निम्न मन्त्र द्रष्टव्य हैं -

नकिरेषां निन्दाता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोपुयोधाः ।

इन्द्रं एषां दहिता माहिनावा जुद गोत्राणि समूहे दसनावाव ॥¹

उक्त श्रुति में आये गोत्राणि का अर्थ गोराला या गायों का कुण्ड किया गया है इसी अर्थ को द्योतित करने वाले अनेक मन्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं ।² इतना ही नहीं अपितु ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में मिलता है जैसे दुर्ग, समूह, आदि । इस विषय में ऋग्वेद के आये निम्न मन्त्र का अवलोकन किया जा सकता है -

आविवाद्यापरिरापस्तमासि च ज्योतिर्मन्तरथमृतस्य तिष्ठति ।

वृहस्पते भीममित्रदम्भं रक्षोहर्षं गोत्रभिर्द स्वविर्दस ॥³

यहाँ पर आये गोत्र भिर्दस का अर्थ दुर्ग का भेदक अथवा मानव समूह का भेदक किया जा सकता है । जैसा कि सातवलेकर ने उक्त मन्त्र का अर्थ

- | | | |
|----|----------|----------|
| 1- | ऋग्वेद - | 3/39/4 |
| 2- | ऋग्वेद - | 3/43/7 |
| | | 9/86/23 |
| | | 10/48/2 |
| | | 10/120/8 |
| 3- | ऋग्वेद - | 2/23/3 |

करते समय इसका अर्थ दुर्ग भेदक किया है ।¹ इतना ही नहीं अपितु इसी वेद में तो एक मन्त्र में इस शब्द का अर्थ समूह-लगाया गया है यथा दृष्टव्य है -

इहा हि त उषो अद्रि सानो गोत्रा गवामद्रि०गरसो गृणन्ति ।

व्यर्केण विभिदुर्ब्रह्मणा च सत्या नृणामभवद देवदृतिः ॥²

यहाँ पर जोये गोना शब्द का अर्थ समूह या झुण्ड है । इसी अर्थ का समर्थन सातवलेकर भी करते हैं ।³

इस प्रकार प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक काल में गोत्र का अभिप्राय गो-समूह, गोशाला, दुर्ग, तथा समूह अर्थ में था जिससे कालान्तर में मानवसमूह तथा एक ही पूर्वपुरुष के कौत्र, का अर्थ दिया जाने लगा । शब्दकल्पद्रुम के अनुसार "पूर्व-पुरुषान् यत्तत्र गोत्रम्, हे ।⁴

हिन्दू धर्मशास्त्रकारों ने सगोत्र विवाह का निषेध किया है । ऐसे विवाह को ये मनीषी अपराध मानते हैं । जैसा कि निम्न वाक्य से पता चलता है

सगोत्रज्ञय दुहितरं न प्रयच्छेत्⁵

1- ऋग्वेद का सुबोधभाष्य- द्वितीय भाग पृष्ठ-57

2- ऋग्वेद - 6/65/5

3- ऋग्वेद का सुबोध काव्य तीसरा भाग पृ० 178

4- वि० ध०सू० 24-9-10

5- मनु० - 3.5

इसी प्रकार मनु ने असगोत्र, असपिण्डादि विवाहों को प्रशस्त माना है । यथा-

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पिनुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणिमैथुने ।¹

जहाँ तक श्रग्वेदिक कालमें सगोत्र विवाह के निषेध का प्रश्न है उसका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता । हाँ उत्तरवेदिक काल में सगोत्र विवाह का स्पष्ट निषेध परक निर्देश मिलता है । ब्राह्मणों का अपना गोत्र होता है । कैंयों एवं क्षत्रियों का गोत्र उनके पुरोहितों द्वारा निर्धारित होता है । शूद्रों का कोई गोत्र नहीं होता ।

यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि तत्काल में सगोत्रादि विवाह का निषेध था किन्तु कतिपय ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिनसे सगोत्र विवाह होने का स्क्रित मिलता है जैसे- जातक ग्रन्थ में आया है कि कोशल नरेश प्रसेनजित की अहन का विवाह मगध सम्राट बिम्बिसार हुआ था तथा प्रसेनजित की पुत्री वाज्रदा का विवाह बिम्बिसार के पुत्र अजादिशत्रु से हुआ था ।² इन्हीं ग्रन्थों से विदित होता है कि कारी और शिशुि राजकुमारों का विवाह उनके मामा की पुत्रियों से हुआ था ।³ जोधायन ने तो मामा की

1- मनु - 3.5

2- जातक - 2/237 आदि

3- जातक - 1/457, 2/327, 6/486 आदि

पुत्री से विवाह करने की प्रथा का उल्लेख भी किया है । महाभारत तो ऐसे विवाहों का अनेक दृष्टांत प्रस्तुत करता है जैसे-अर्जुन ने अपने मामा की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था । अभिमन्यु और सहदेव भी इसी परम्परा का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं । इसी परम्परा में कृष्ण के नाम को भी गिनाया जा सकता है क्योंकि कृष्ण ने अपने मामा की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया था ।

यद्यपि सगोत्र विवाह के कतिपय दृष्टांत अक्रय मिलते हैं लेकिन इन्हीं के आधार पर यह कहना असमीचीन लगता है कि प्राचीनकाल में सगोत्र विवाह करने का सामान्य विधान था । हाँ, इन्हीं अपवाद स्वरूप दृष्टांत अक्रय स्वीकार किया जा सकता है ।

सपिण्ड -

सगोत्र विवाह की भाँति ही प्राचीन भारतीय समाशास्त्रियों ने सपिण्ड विवाह का निषेध किया है । सपिण्ड का तात्पर्य समान रक्त कणों से अथवा एक ही पिण्ड से अथवा एक ही आरीर से । सपिण्ड वे व्यक्ति हैं जिनमें समान पिण्ड हो । तात्पर्य यह कि वे एक ही शरीर के अंश हो । व्यक्तियों की सपिण्डता का सम्बन्ध इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि दोनों में एक ही शरीर के अंश विद्यमान हों । जैसे पुत्र का पिता के साथ सपिण्ड सम्बन्ध है क्योंकि पिता के शरीर के कण उसमें विद्यमान हैं । इसी प्रकार पितामह और प्रपितामह आदि से

उसका सपिण्ड सम्बन्ध है । पुत्र का माताके साथ सपिण्ड सम्बन्ध है । क्यों उसमें माता के शरीर का आँका विद्यमान है । इस भाँति मातामह, मातुल, मातृवसा से उसका सपिण्ड सम्बन्ध है ।

स्त्रीष में रक्त सम्बन्ध से आञ्जल सम्बन्धी सपिण्ड के अन्तर्गत आते हैं । प्रायः पिता से सात पीढ़ी और माता से पाँच पीढ़ी के भीतर के लोग सपिण्ड कहे जाते हैं । विवाह निश्चित करते समय सपिण्डता का विशेष ध्यान रखा जाता था ।

जहाँ तक सपिण्ड विवाह के निन्दे से सम्बन्धित प्रारम्भिक इतिहास का प्रश्न है, वैदिक साहित्य इस विषय में प्रायः मौन ही प्रतीत होते हैं । लेकिन वेद में आये दुहिता शब्द से इतना अन्वय सूचित मिलता है कि उस काल में भी कन्याका दूर देश में विवाह करने की प्रथा थी । यद्यपि ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं जिनसे ममेरे, चचेरे, मोसेरे तथा फुफेरे भाई बहनोँ में विवाह हुआ करता था ।¹

महाभारत में भी कतिपय सपिण्ड विवाह के उदाहरण मिलते हैं ।² जातक ग्रन्थ भी सपिण्ड विवाह के दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं तथा इन्हें निम्न दृष्टि से देखते प्रतीत नहीं होते । लेकिन धर्मसूत्र में सपिण्ड विवाह का स्पष्ट निर्देश किया गया है । जैसा कि सुमन्त्र के उद्धरण से स्पष्ट है -

1- ऋग्वेद- 7/55 परिशिष्ट-11

2- महाभारत आदिपर्व- 111/1-3

पितृपत्न्यस्सर्वा मातरस्तदभातरो मातुलाः तत्सुता मातुलकुतास्तस्मात्ता नोपयन्तव्या ।

इसी प्रकार गौतम मनु आदि ने भी सपिण्ड विवाह का निषेध किया है । मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मौसी मामा या बुआ की लड़की के साथ गमन कर ले तो उसे ब्रान्द्रायन जूत करके प्रायश्चित्त करना चाहिए ।¹ इसी प्रकार याज्ञवल्क्य एवं स्मृतिकारों ने भी सपिण्ड विवाह को अप्रशस्त माना है । विष्णुपुराण पिता और माता की कुम्राः 7 और 5 पीढ़ी तक विवाह न करने का निर्देश दिया है, यथा-

पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमीम् ।

गृहस्थश्चो द्रहेत्कन्यां नान्येन विधिना नृप ॥²

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कतिपय अपवादों को छोड़कर सपिण्ड विवाह करने की प्रथा नहीं थी ।

प्रवर -

सगोत्र एवं सपिण्ड वैवाहिक निषेधों के भाति ही प्राचीन भारतीय समाज शास्त्रियों ने प्रवर विवाह का निषेध किया है । प्रवर कुछ ऐसे संस्कारों

1- मनुस्मृति - 111/171-172

2- वि० पु० - 3/10/23

एवं ज्ञान से सम्बन्धित सम्प्रदाय की ओर स्कीत करता है जिनसे व्यक्ति आवृद्ध होता है । जोधायन धर्मसूत्र में समान प्रवर में विवाह करना गुरुतल्पारोहण सदृश्य पाप माना गया है । शौमिल धर्म सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह असमान प्रवर वालों में होना चाहिए । जिनका एक समान प्रवर होता है उन्हें आपस में विवाह नहीं करना चाहिए ।

समान एकः प्रवरो एषां तैः स न विवाहः ।¹

इसी प्रकार नारद एवं आपस्तम्ब ने भी समान प्रवर वाले विवाह को निन्दनीय माना है । आपस्तम्ब तो ऐसे विवाह करने वाले ब्राह्मण को चाण्डाल तक कहा है ।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समान प्रवर विवाह करना तात्कालिक समाज में निन्दनीय समझा जाता था । इस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज प्रचलित वैवाहिक विधि निषेधों का जो वर्णन भारतीय समाज में किया गया था, उन्का न्यूनाधिक्य रूप में पालन क्वापि भी हो रहा है ।

विवाह एवं वर्ण -

भारत के सामाजिक इतिहास में वर्ण व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जो सामाजिक विभाजन के रूप में वैदिक काल से आज तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक । वैदिक काल में कल्पना की गई कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र पर पिता परमेश्वर के विभिन्न ऋणों से उत्पन्न हुए हैं । जैसा कि ऋग्वेद के दशवें मण्डल में कहा गया है कि ब्राह्मण इसके मुख से क्षत्रिय इसकी भुजाओं से वैश्य इसकी जाघों से तथा शूद्र इसके पैरों से उत्पन्न हुए ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्ब्राह्मणं राजन्यः कृतः ।

ऋ तदस्य यदक्षयः पदभ्यां शूद्रो अजायतः ॥¹

वर्णोत्पत्ति की यह धारणा रामायण महाभारत प्रभृति ग्रन्थों में भी मिलती है । जहाँ तक विवाह एवं वर्ण के सम्बन्ध का प्रश्न है इस विषय में यह बता देना आवश्यक है कि कतिपय वर्ण ऐसे थे जिन्हें वैवाहिक विशेषाधिकार प्राप्त था । इसी प्रकार कुछ ऐसे भी वर्ण थे जिन्हें कुछ वैवाहिक विशेषाधिकारों से हीन कर दिया गया था । यथा ब्राह्मणों को यह विशेषाधिकार प्राप्त था कि वे अपने वर्ण के साथ-साथ अन्य वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकता था । क्षत्रिय भी अपने वर्ण के साथ-साथ

वैश्य एवं शूद्रों की कन्याओं को परिणीत कर सकता था । उसी प्रकार वैश्य भी स्वर्णीय वर्ण के साथ-साथ शूद्र कन्या से विवाह कर सकता था । वहीं शूद्र ऐसा वर्ण था जो स्वर्णीया कन्या के अतिरिक्त विवाह नहीं कर सकता था । इसी परम्परा में क्षत्रिय, एवं वैश्यों को गिनाया जा सकता है । जहाँ ब्राह्मण इन चतुर्वर्णों की कन्याओं को अपनी पत्नी बना सकता था वहीं ये अपने से उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करने का अधिकार नहीं रखते थे ।

उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य सुस्पष्ट होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष अपने से निम्न वर्ण की कन्याओं से विवाह कर सकता था लेकिन निम्नवर्णीय पुरुष को इस व्यापक अधिकार से च्युत कर दिया गया । यद्यपि यह एक सामान्य विधान था तथापि इसके अपवाद भी मिलते हैं । परिणाम यह हुआ कि समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ ३

अनुलोम विवाह -

अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष तथा निम्न वर्ण की कन्या होती थी । वैदिक युग में वर्ण और जाति का कठोर बन्धन न होने के कारण इस तरह के विवाह बहुधा हुआ करते थे । शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि भृगुवर्णीय ब्राह्मण श्विष चवन ने क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया था ।

ब्रह्मर्षि श्यावस्य ने क्षत्रिय राक्षुमारी रथर्वीति को अपनी भार्या बनाया था ।¹
 चाक्षुष और कक्षीवान का जन्म ब्रह्मर्षि और शुद्रा के सम्पर्क से हुआ था । इसी
 प्रकार के अनेकों उदाहरण प्राचीन भारतीय समाज में मिलते हैं । अनुलोम विवाह
 का ही परिणाम था कि ब्राह्मणों को सभी वर्गों की कन्या से परिणय करने का
 अधिकार था । शास्त्रों के अनुसार अनुलोम के परिणाम स्वरूप ब्राह्मण तीन, क्षत्रिय
 दो, वैश्य मात्र एक अतिरिक्त विवाह कर सकता था इसका समर्थन मिताक्षरा,
 याज्ञवल्क्य की स्मृति, संहयस्मृति इत्यादि में भी आया है । जैसा कि संहयस्मृति
 में निम्नक्त उल्लिखित है -

तिस्त्रस्तु भार्या विप्रस्थ द्वे भार्ये क्षत्रियस्य तु ।

एकेव भार्या वैश्यस्य तथा शुद्रस्य कीर्तिता ॥²

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने अनुलोम-
 विवाह को मान्यता प्रदान की थी वहीं यह भी ध्यानेय है कि इस विवाह से
 उत्पन्न सन्तान को सर्व विवाह से उत्पन्न सन्तान की तुलना में अल्प अधिकार
 प्राप्त थे ।

1- ऋग्वेद - 5/61/17-19

2- संहयस्मृति- §4/6-7§

प्रतिलोम विवाह -

प्रतिलोम विवाह को हिन्दू समाज में अत्यन्त हीन माना जाता था इसी लिए तात्कालिक समाज में इसका प्रचलन नाममात्र के लिए था । इस विवाह के अन्तर्गत उच्च वर्ण की कन्या होती थी और निम्नवर्ण का वर । इससे उत्पन्न सन्तान को वर्ण संकर निष्कृष्ट तथा स्पर्शय कहा जाता था । जैसा कि गोमिल धर्मसूत्र और मनुस्मृति में उल्लिखित है ।¹ यद्यपि प्रतिलोम विवाह को धर्मशास्त्रज्ञों ने हेय माना है तथापि इसके उदाहरण वैदिक काल से लेकर परवर्ती काल में भी मिलते हैं । ऋग्वेद में ब्राह्मण कन्या अगिरसी को क्षत्रिय नरेश भावयज्ञ की पत्नी बताया गया है ।² श्रीमद् भागवत में ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी को ययाति की पत्नी के रूप चित्रित किया गया है ।

यद्यपि पुराणादि धर्मशास्त्र प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान को धर्मव्युत्त बताते हैं । जैसा कि वायुपुराण से निम्न कथन स्पष्ट है -

- 1- गो० धा० सू०- 4/5
 2- मनु-स्मृ० - 10/11-12
 2- ऋग्वेद 1/26

तस्मात्प्रजा समुच्छेदं तुर्वसीय तु या स्थिति ।

असंकीर्णा च धर्मेण प्रतिलोमचरेषु च ॥¹

तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि तात्कालिक समाज में प्रतिलोम विवाह तो होते ही थे भले ही वे निन्द्य समझे गये हों ।

स्वयंवर -

प्राचीन भारतीय समाज में स्वयंवर विवाह प्राचीन काल से प्रचलित रहा है । इसमें क्यूँ स्वयं अपने वर का चुनाव करती थी स्वयंवर विवाह को एक संस्कार माना जाय अथवा नहीं ? इसका स्पष्ट निर्देश धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता । यद्यपि की इसी से मिलता जुलता गान्धर्व विवाह का वर्णन अवश्य किया गया है इन दोनों विवाहों में मुख्य अन्तर यह है कि स्वयंवर में केवल कन्या अपनी इच्छा से वर का चुनाव करती थी जब कि गान्धर्व विवाह में वर और कन्या दोनों अपने मन के अनुसार विवाह करते थे । स्वयंवर की प्रथा का उल्लेख निर्देश स्प में ऋग्वेद में भी मिलता है । जैसा कि निम्नलिखित पक्ति से स्पष्ट है -

भद्रा क्युर्मवति यत्सुपेराः स्वयं सा मित्रं कृणुते जनेश्वर ।²

1- वायुपुराण - 93-43

2- ऋग्वेद - 10/27/22

उत्तर वैदिक काल आते-आते यह प्रथा समाज में काफी प्रचलित हो गयी । अब तो इस प्रकार का विवाह आयोजित करते समय अनेक प्रकार की प्रतिज्ञायें और शर्तें भी लगायी जाने लगी । जैसा कि रामायण में उल्लेख है कि राजा जनक ने सीता का स्वयंवर आयोजित करते समय शिव की धनुष तोड़ने की एक शर्त रख दी थी तथा यह घोषणा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी को सीता अपना वर चुनेगी ।¹ महाभारत काल में द्रौपदी स्वयंवर का उल्लेख मिलता है जिसमें मत्स्य का लक्ष्मण करने वाले को ही द्रौपदी से विवाह करने का अधिकार दिया गया था ।² स्वयंवर के विषय में एक तथ्य अज्ञात देना अति समीचीन है कि स्वयंवर में शर्त लगाने की बात कभी तो कन्या के पिता द्वारा किया जाता था तथा कभी कन्या स्वयं शर्त लगाती थी । इतना ही नहीं कभी-कभी तो बिना किसी शर्त के ही स्वयंवर का आयोजन किया जाता था जैसा कि महाभारत में वर्णित कुन्ती स्वयंवर से स्पष्ट है । जिसमें उसने पाण्डु को अपना वरित स्वीकार किया था ।³ परवर्ती साहित्य कृतियों में भी स्वयंवर विवाह के अनेक उल्लेख मिलते हैं कविता कामिनी के कान्त रघुवीर्यकार कालिदास ने इन्दुमती स्वयंवर का विवाद वर्णन किया है ।

1- रामायण - 1/66/67

2- महाभारत -

3- महाभारत- 1/112

उपर्युक्त दृष्टान्तों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में स्वयंवर विवाह पर्याप्त मात्रा में होते थे । आगे चलकर धर्मशास्त्रकारों ने इस बात का अनुमोदन भी कर दिया कि अगर पिता अपनी कन्या के लिए वर नहीं चुन पाता तो वह तीन शतकाल जीत जाने पर अपना पति स्वयं चुन ले । जैसा कि गोमिल धर्मसूत्र में कहा गया है -

त्रीन्दुभार्षतृन्तीत्य स्वयं युज्ये तानिन्दितेतोत्सृज्य पित्र्या नर्त्कारान ।¹

स्वयंवर के विषय में दूसरी बात यह है कि प्रारम्भ में स्वयंवर सभी वर्गों के लिए विहित था । किन्तु कालान्तर में यह मात्र राजकुलों तक ही सिमटकर रह गया ।

विधवा विवाह -

प्राचीन भारतीय समाजशास्त्रियों ने समाज में सुव्यवस्था शान्ति एवं नारी की मर्यादा को संस्थापित करने के लिए विधवा विवाह का अनुसमर्थन किया है । ऋग्वेद तो सीधे-सीधे इस विवाह का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है । ऋग्वेद के दशवें मण्डल में एक विधवा स्त्री को परामर्श दिया गया है

1- महाभारत - 1/112

2- गो० धर्म सू० - 18/20

कि वह अपने देवर को पतिरूप में वरण कर ले । यथा-

को वां शत्रूया विधवेव देवरमर्थस्य न योषा कृणुते स्थस्थ वा ।

महाभारतकार ने भी पति के अभाव में देवर को पति रूप में वरण करने की अनुमति प्रदान की है यथा द्रष्टव्य है -

नारी तु पत्याभावे देवरं कृणुतेपतिम् ।²

ऐसा प्रतीत होता है कि मनु-विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा के कटु आलोचक रहे हैं । मनु ने कहा है कि किन्हीं मन्त्रों में किसी शाखा में नियोग नहीं है और न विवाह विधि में विधवा विवाह ।³ मनु ने इसे पशु धर्म कहा है ।⁴ यदि वैदिक साहित्य का सम्यक् विवेचन किया जाय तो स्पष्ट होता है कि उस काल में विधवा विवाह पर कोई रोक नहीं थी । यही कारण था कि इस काल में सती प्रथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । लेकिन परवर्ती कालों में जब से सती प्रथा पर जोर दिया जाने लगा तब से विधवा विवाह की निन्दा भी की जाने लगी । और जब तो विधवा से नियोग का अधिकार भी छीन लिया गया ।

1- ऋग्वेद - 10/4/2

2- महाभारत - 13/12/19

3- मनुस्मृति - 9/65

4- मनुस्मृति - 9/66

रामायण नामक महाकाव्य में भी विधवा विवाह एवं सती प्रथा का साथ-साथ उल्लेख मिलता है । रावण की मृत्यु के पश्चात् उसकी पटरानी मन्दोदरी ने विभीषण की पट्टाभिर्महिषी होना स्वीकार किया था । वहीं मेघनाद की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी ने सती हो जाना वरेण्य समझा था ।

इस प्रकार विभिन्न दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि वैदिक काल तथा महाकाव्यकाल में विधवाओं के सामने तीन विकल्प मौजूद थे ।

- ॥1॥ वह पुनर्विवाह कर सकती थी ।
- ॥2॥ वह सती हो सकती थी ।
- ॥3॥ वह विधवा स्वयं ही अपने पुत्रादियों पर आजित रहकर शेष जीवन व्यतीत कर सकती थी ।

विवाह विच्छेद -

मानव जीवन विभिन्न परिस्थितियों से नियन्त्रित होता है । कभी-कभी उसे स्वकीय हितपूर्ति के लिए ऐसे कार्यों को करना पड़ता है जिस्की समाज जलोचना भी करता है और स्तुति भी । विवाह विच्छेद भी इसी कोटि में आता है । मानव के सुखमय दामपत्य में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिन्के क्वीकृत हो कर वह अपने अभिन्नङ्ग, अर्थात् स्वस्व पति अथवा पत्नी से

सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। स्त्री में दाम्पत्य विच्छेद का तात्पर्य है - पति और पत्नी के वैवाहिक सम्बन्ध को सामाजिक धार्मिक एवं वैधानिक रूप से समाप्त कर देना, जिससे दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जायें और उन पर किसी प्रकार का एक दूसरे का नियन्त्रण न रह जाय।

हिन्दू समाज में पति-पत्नी के सम्बन्ध विच्छेद की व्यवस्था किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही गयी थी। ऋट, प्रव्रजित, पतित, राजकिल्बिषी, लोकान्तरगत पति त्याज्य था। अथर्ववेद में भी स्त्री द्वारा अपने पति छोड़ देने का उल्लेख मिलता है।¹ जातक ग्रन्थ भी दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मज्झिम निकाय से विदित होता है कि एक स्त्री के ऋट सम्बन्धियों ने उसका विवाह एक अन्य पुरुष से करने का निश्चय किया। क्योंकि वह अपने पति को नहीं चाहती थी।² ऐसा प्रतीत होता है कि नारद ने स्त्री पुरुष को एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग लगाने का विवेक अधिकार नहीं था। बौधायन ने निम्न परिस्थितियों में पुरुष द्वारा पत्नी के त्याग का उल्लेख किया है -

1- अथर्ववेद - 9/5/26-27

2- मज्झिम निकाय - 2 पृ० 109

अप्रियाकरिं वन्द्यां वन्द्यीं परिहंसकीम् ।

त्यजन्ति पुरुषा प्राजाः क्षिप्रमप्रियवादिनीम् ॥

अपुत्रां दशमे वर्षे स्त्रीपुत्रां दशमे त्यजेत् ।

प्रेतपुत्रां पंचदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम् ॥

अर्थात् सेवा न करने वाली, वन्द्या वन्द्यी, परिहंसकी, अप्रिय-
वादिनी पत्नी का परित्याग प्राज्ञपुरुषों को कर देना चाहिए । इसी प्रकार केवल
कन्या उत्पन्न करने वाली, तथा राक्षस सन्तान उत्पन्न करने वाली पत्नियों के परि-
त्याग का भी उल्लेख है ।¹ याज्ञवल्क्य ऋषि स्मृतिकारों ने तो स्त्री को प्रथम
व्यभिचार के कारण कतिपय दण्ड का विधान करके ही उसे परित्याग के दण्ड से
वंचित कर दिया है ।² लेकिन हारीत ने गर्भातिनी, शरात्री, धन-क्षयकारी, तथा
पतिघातिनी पत्नी के परित्याग का विधान किया गया है ।³ विज्ञानेश्वर ने
भी निम्न स्थितियों में पत्नी परित्याग का अधिकार दिया है -

सुरापां व्याधितां धूर्तां वन्द्यार्थं हन्यप्रियम्बदा ।

स्त्रीप्रसूचाधिवेत्तेव्या पुरुषेदेषणी तथा ।⁴

1- औधायनकृत कल्पतरु के व्यवहार काण्ड से उद्धृत ।

2- याज्ञ0 - 1.74

3- हारीत - व्यव 132, 146

4- विज्ञानेश्वर याज्ञ0 - 1.73

विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों को पुरुषों के तुल्य अधिकार नहीं था । क्योंकि कतिपय धर्मशास्त्रकारों ने पति-परित्यागिनी स्त्रियों की कटु-शब्दों में भर्त्सना की है यथा मनु कहते हैं कि चाहे स्त्री का पति दुःशील परस्त्रीगामी अवगुणी, ही क्यों न हो, पत्नी को उसी पूजा देवक्त- करनी चाहिए यथा द्रष्टव्य है -

विहीनः कामकृतो वा गुणैर्वापरिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रियां साध्या स्ततं देवक्त् पतिः ।¹

पराशरस्मृति का निम्न श्लोक भी इस विषय में अक्लोकन योग्य है ।

दरिद्रं व्याधितं धूर्तं भर्तारव्यावमन्यते ।

सा सुनी जायते भूत्वा सुकरो च पुनः-पुनः ।²

अर्थात् पति चाहे दरिद्र हो, व्याधिग्रस्त हो, धूर्त ही क्यों न हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए नहीं तो उसका जन्म पुनः-पुनः कुटिया तथा सुकरी के रूप में होता है ।

1- मनु - 5.154

2- पराशरस्मृति - 4.16

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दाम्पत्य विच्छेद के विषय में धर्मशास्त्रकारों ने जहाँ भिन्न-भिन्न मत प्रकट किया है वहीं उन्होंने स्त्रियों एवं पुरुषों के तत्सम्बन्धी अधिकारों में भेदभाव भी किया है। धर्मशास्त्रकारों द्वारा निर्धारित अधिकार स्त्रियों के विरुद्ध थे, निरकुश थे तथा असमान थे। जिनमें स्त्री की आकांक्षाओं एवं कामनाओं को अत्यल्प स्थान था।

अहु विवाह -

प्राचीन काल में हिन्दू परिवार में एक विवाह का विशेष महत्त्व था इसे हिन्दू विवाह का आदर्श स्वल्प कहा गया है जिसमें स्त्री के एक ही पति तथा पुरुष के एक ही पत्नी का महत्त्व रहा है एक पति या एक पत्नी के रहते हुए दूसरों पुरुष या स्त्री से विवाह करना निषिद्ध था आपस्तम्ब ने तो यहाँ तक कहा है कि धर्म प्रजायुक्त पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए।¹ इसी प्रकार नारद भी मत व्यक्त करते हैं कि अज्जुल अवागदुष्ट गृहकार्यकुशल साध्वी, प्रजावती, पत्नी का त्याग करने वाले पति को कठोरदण्ड से राजा उचित मार्ग पर रखे। यथा द्रष्टव्य है -

अज्जुलामदुष्टां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम् ।

त्यजन् भार्याभवस्थाप्यो राजा दण्डेनभूयसा ।²

1- आपस्तम्ब धर्म०सू० - धर्मप्रजा सम्पन्नेदारेनन्यो कुर्वति । 2.५.12

2- नारद । स्त्रीश्रुति 95

इस प्रकार स्पष्ट है कि तात्कालिक समाज में एक-विवाह सम्मानजनक स्थान था तथा सांस्कृतिक मूल्यों का यही आदर्श माना गया है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि एक-विवाह मात्र सामान्य विधान था जिसे समाज ने उच्च स्थान पर अभिषिक्त किया था तथापि तात्कालिक साहित्य का अवलोकन करने पर हमें बहु-विवाह के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । ये बहु-विवाह-विषयक दृष्टान्त उभय पक्षों से सम्बन्धित थे । जिन्हें सुविधा के लिए निम्नक्त माना जा सकता है ।

- 1- बहुपत्नीत्व ।
- 2- बहुपतित्व ।

बहुपत्नी विवाह-प्रथा के अन्तर्गत पुरुष अपनी प्रथम पत्नी के अतिरिक्त द्वितीय पत्नी भी रख सकता था । यद्यपि इस विवाह की प्रथा धार्मिक-वर्गा एवं राजाओं में अधिक थी । राजाओं की साधारणतः चार प्रकार की पत्नियों का विवरण धर्मशास्त्रों में दिया गया है ।¹

- 1- महिषी ॥ प्रधान रानी ॥
- 2- परिवृक्ता ॥ प्रभावशाली ॥
- 3- वाजाता ॥ व्यक्तिगत रूप से प्रिय ॥
- 4- पालागनी ॥ सबसे निम्न व्यक्ति की कन्या ॥

1- वत्सरोजाया उपक्वप्ता भवन्ति,

महिषी वाजाता परिवृक्ता पालागनी ॥

बहुपत्नीत्व-प्रथा का आरम्भिक दर्शन हमें पूर्ववैदिक काल से ही होते हैं।¹ इसी प्रकार सम्पूर्ण उत्तरवैदिक काल, एवं धर्मसूत्र काल महाकाण्डकाल एवं पुराणकाल के अनन्तर भी हमें बहुपत्नीत्व के दर्शन होते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि एक पुरुष की कई भायार्थि हो सकती हैं जवाक एक पत्नी के कई पति नहीं हो सकते हैं जैसा कि निम्न पंक्ति से स्पष्ट है।

तस्मादेको वहीवीर्जाया विन्दते ।

तस्मादे कस्य वहवयो जायामवन्ति, नेकस्य वहवः सहपतयः।²

बौद्ध साहित्य भी बहुपत्नीत्व के दृष्टान्त से भरे पड़े हैं यथा - अंगुत्तर निकाय में एक व्यक्ति की चार पत्नियों का विवरण दिया गया है।³

इस प्रकार स्पष्ट है कि भार्या अगर धर्म तथा सन्तान संयुक्ता है तो पुरुष को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। यदि धर्म और प्रजा दोनों में से किसी का भी अभाव है तो श्रौत कर्म के पूर्व दूसरी स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। जैसा कि आपस्तम्ब के उल्लेख से स्पष्ट है -

धर्म प्रजासम्पन्ने दारनान्या कुर्वीत् ।

अन्यतराभावे कार्या प्रागान्या धेयात् ॥⁴

1- ऋग्वेद - 10.145, 159

2- ऐतरेय ब्राह्मण 12/11

3- अयुः {मज्जिभाग निकाय} 2.4.2

4- आपस्तम्बसूत्र - 1.10.28, 19, 2.5.11-12.13

पारस्कर यह मत प्रतिपादित किया है कि ब्राह्मण तीन पत्नियों क्षत्रिय की दो पत्नियाँ, तथा वैश्य की एक पत्नी हो सकती है ।¹

कतिपय धर्मसूत्रों में दूसरी पत्नी करने के पहले कुछ प्रतीक्षा करने का विधान किया है । जैसे कि बोधायन ने कहा है कि पुत्र न होने पर व्यक्ति को द्वा वर्ष के पश्चात् ही दूसरी पत्नी करने की अनुमति दी है ।²

यदि महाकाव्य कालिक इतिहास पर विचार किया जाय तो बहु-पत्नीत्व के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं जैसे राजा दारथ की कोशल्या केकेयी और सुमित्रा नामक तीन पत्नियाँ थीं ।³ पाण्डु की कुन्ती और माद्री नामक दो भार्या थीं ।⁴ श्रीकृष्ण की 10000 पत्नियों का उल्लेख मिलता है ।⁵ भीम के द्रौपदी के अतिरिक्त विडिम्बा नामक पत्नी थी । दुष्यन्त की कई रािनियाँ थीं जैसे की अभिमान राकुकुन्तल से स्पष्ट है -

बहुवल्लभाः वि राजान भूयन्ते ।

अभि० अंक-3

-
- 1- पारस्कर गृ०- 1/4/8-11
 - 2- बौ० ध०सू० -2/2/9
 - 3- रामायण- 2/20/38-55
 - 4- महाभारत -111/8-9
 - 5- महाभारत-मोक्षपर्व- 5-6

श्रीशशास्त्री शहस्त्राणि वासुदेव परिग्रहः ।

ऐसा प्रतीत होता है कि बहुपत्नीत्व की प्रथा राजकुलों या धनिकवर्गों में अधिक प्रचलित थी। प्राचीन भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित ग्रन्थों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि कामलिप्सा, स्तितिलिप्सा शौर्यलिप्सा सामाजिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता आदि ऐसे कारक थे जिन्होंने मानव को बहुपत्नीत्व की तरफ प्रेरित किया। सामान्य जनता में तो प्रायः एक पत्नीत्व ही प्रचलित था।

बहुपत्नित्व विवाह -

प्राचीन भारतीय साहित्य के अवलोकन से हमें बहुपत्ति विवाह के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। बहुपत्नित्व का अभिप्राय है एक स्त्री का एक ही समय में एक से अधिक पतियों का रखना। वेदों में बहुपत्नित्व को स्पष्ट करने वाले कतिपय उद्धरण मिलते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि पंचौदन के माध्यम से पत्नी और उसके द्वितीय पति के बीच अविच्छेद्यता की आशा की गई थी। अथर्ववेद में एक स्थल पर कहा गया है कि एक स्त्री के ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य पतियों में ब्राह्मण पति अधिक माननीय हैं।¹ यह उद्धरण इस बात का प्रमाण है कि वैदिक युग में एक स्त्री के एक से अधिक पति हुआ करते थे। किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों एवं स्मृतियों में सामान्यतः बहुपत्नित्व विवाह का विरोध किया। महाभारत

1- अथर्ववेद - 5/17/8-9

में द्रौपदी का उल्लेख है जिसके एक से अधिक पति थे । यद्यपि कि बहुपतित्व विवाह को महाभारतकार ने भी निन्द्य माना है । महाभारत में ही अटिला-गौतमी के सात पतियों का उल्लेख मिलता है । वाक्षी नामक कन्या से प्रचेता नामक दश भाइयों ने विवाह किया था ।¹ विष्णु पुराण भी दश पतियों वाली मारिषा नामक स्त्री का उल्लेख किया है ।² यथा-

भविष्यन्ति महावीर्या एकस्मिन्नेव जन्मनि ।
प्रख्यातो दारकर्मणो भवत्याः पतयो दश ।²

उपर्युक्त कतिपय उदाहरण ऐसे हैं जिनके आधार पर विद्वान्गण बहुपतित्व को एक सामान्य प्रथा के रूप में वर्णित करने का प्रयास करते हैं । इस विषय में यह तथ्य ध्यानेय है कि प्रथमतः यह प्रथा सामान्य जनता में परि-व्याप्त नहीं थी । तथा कुछ जनजातियों राजाओं तथा धनिक वर्गों तक ही सीमित थी । यही कारण था कि धर्मशास्त्रकारों के मत भी सर्वथा इसके विपरीत रहे हैं । धर्मलोकाचार सच्चरित्रता और नैतिकता का हिन्दू समाज में इतना अधिक प्रभाव रहा है कि इसका कोई स्थान ही नहीं हो सका । परिणाम यह हुआ कि एक हिन्दू स्त्री के जीवन का का आर्दा और गौरव उसके एक पतित्व में निहित था, न कि बहुपतित्व में ।

1- महाभारत - 1/98/21-30

2- विष्णुपुराण - 1/15- 68

दहेज -

प्राचीन भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित विवाह का दहेज से विशिष्ट सम्बन्ध रहा है । दहेज का प्रचन कब से प्रारम्भ हुआ ? इसका स्वरूप क्या था ? तथा इसका महत्व क्या था ? इत्यादि प्रश्नों पर विचार करने के पूर्व दहेज का तात्पर्य जान लेना आवश्यक है । दहेज का सामान्य अर्थ वर एवं कन्या का विवाह के माँगलिक अवसर पर प्रदान किये जाने वाले वस्त्राभूषण एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएँ । दहेज के इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित पूर्वक कहा जा सकता है कि इस प्रथा के प्रारम्भिक बीज पूर्व वैदिक काल में ही विद्यमान थे जो समय प्रवाह को पार करते हुए सम्प्रति दानवाकृति वटवृक्ष का रूप ले चुका है ।

विवाह के अष्ट प्रकारों में ब्राह्म विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें कन्या को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वर को प्रदान किया जाता था । दहेज के रूप में वस्त्राभूषणों के अतिरिक्त गायों को भी दिया जाता था । ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि सूर्या को उसके पिता को जो दहेज प्रदान किया था, वह उसके ससुराल पहुँचने से पहले पहुँच चुका था । जैसा कि निम्नमन्त्र में द्रष्टव्य है-

सूर्या या बहुतः प्रागात् सक्ता यमवासृजत्

अथासु हन्यन्ते गावो षड्युन्योः पर्युहयते ॥¹

वैदिक काल के अनन्तर महाकाव्य काल में भी इस प्रथा का उल्लेख हुआ है। सीता के विदाई के समय जन्म द्वारा सीता तथा वर पक्ष को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों को प्रदान करना इस प्रथा का ही अनुसमर्थन करता है। महाभारत काल में कुन्ती द्रौपदी और सुभद्रादि की अनेक प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी गयी थीं।¹ जातक ग्रन्थ भी दहेज के उल्लेख करते हैं।

प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन से दहेज विषयक यह तथ्य सुस्पष्ट होता है कि उस समय दहेज देने के लिए वर पक्ष द्वारा कोई विशेष दगाव नहीं उाला जाता था। यह तो कन्या के पिता के सामर्थ्य एवं इच्छा पर निर्भर करता था कि वह कितना दहेज दे। तत्काल में इसे कन्या एवं वर की गृहस्थी का आवश्यक तत्व समझा जाता था अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथा के पीछे लोगों की सदकृति एवं सादाशयता की न कि कठोरता।

पति-पत्नी सम्बन्धः दामपत्य जीवन-

मातृदेवों भव, पितृदेवों भक्त्या आचार्य देवों भव की संकल्पना से समन्वित प्राचीन काल में, हिन्दू समाज में पति-पत्नी के सम्बन्ध को अत्यन्त सुखद, पावन एवं पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माता तथा पिता के सुम्भर सम्बन्धों एवम् पारस्परिक व्यवहारों का, उनकी सन्तानों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार में सुख शान्ति की स्थापना हेतु पति-पत्नी को परस्पर अच्छे सम्बन्धों का पालन कससा पड़ता था। यही

कारण था कि उनका दामपत्य जीवन अत्यधिक प्रगाढ़ एवं सम्मान युक्त था । उनके सम्बन्ध व्यवहारिक धरातल पर भी इतने प्रतिक्र एवं आदर्श मय था कि पत्नी अपने पति को सदा देवता के रूप में ही पूजती रही है ।¹ इतना ही नहीं अपितु पत्नी को भी देवी स्वरूप प्रदान करके उसे पूज्या माना गया है । मनु के अनुसार जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस कुल में इनकी पूजा नहीं होती उस कुल में सब कर्म निरुपल होते हैं जैसा कि निम्न पवित्रियों से स्पष्ट है -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तवाक्लाः क्रियाः ॥²

दोनों का सम्बन्ध इतना अत्योन्नति था कि धर्मार्थकाय नामक त्रिवर्ग की सम्प्राप्ति एक दूसरे के बिना असम्भव थी । तात्पर्य यह कि त्रिवर्ग की प्राप्ति पति पत्नी दोनों पर ब्रजलम्बित थी ।³

1- स्मृति, व्यवहार, पृष्ठ- 25 ।

पराशरमाधवीय- 2/1/पृष्ठ-38

2- मनुस्मृति - 3/56

3- मारकण्डेपुराण - 21/68-73 - 27/10

पति और पत्नी का उक्त सम्बन्ध क्षणिक नहीं था अपितु स्थायी था । एक बार विवाह सूत्र में बंध जाने के उपरान्त आमरण उसी छाया के नीचे धर्म कार्य करते हुए परस्पर कभी पृथक् होने की बात भी नहीं सोचते थे । जैसा कि मनु द्वारा निम्न वाक्यों में अभिव्यक्त किया गया है -

अन्योन्यस्या व्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः ।
 एवं धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयो पदः ॥
 तथा नित्यं क्लेयाता स्त्रीपुंसोः कृत्तृभ्यो ।
 यथानाभिचरेतां तौ विद्युक्ताक्लरेतरम् ॥¹

मनुस्मृति

पति-पत्नी के सम्बन्ध इतने प्रगाढ़ एवं पावन थे पति पत्नी के लिए सर्वस्य एवं शरणदाता था ।² इसी प्रकार पत्नी सहधर्मचरणी एवं सहधर्मचारिणी थी जिसके बिना कोई धार्मिक कृत्य सम्भव ही नहीं था । जैसा कि रामायणादि³ ग्रन्थों ने प्रतिपादित किया है । मनु ने लिखा है कि पति-पत्नी का पारस्पर सौहार्द तथा एकनिष्णता जीवन पर्यन्त क्षमायुक्त थी । मनु ने इस बात को निम्न पक्तियों में उद्धृत किया है।

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।
 यो धर्म एकपत्नीनां का क्षन्ती तमनुमत्तम् ॥⁴

मनुस्मृति

-
- 1- मनु 9/10/9/102
 2- उ० - 4.366
 3- रामायण 2.73.26
 4- 5.158

भारतीय इतिहास में अनेक ऐसी पत्नियों के दृष्टान्त हैं जो पति के प्रति एक निष्ठा, तथा सात्त्विकता व्यक्त करती हैं। ऐसी अनेक भायार्यों का उल्लेख है जो अपने पति की विभिन्न दुरवस्थाओं के आबूद या वज्जीवन उसमें मनोनिवेश पूर्वक अनुरक्त थीं। यथा-सुदर्शना सूर्य में, शची इन्द्र में, अरुन्धती वाशीष्ठ में लोषामुद्रा अगस्त्य में, सावित्री सत्यवान में, दमपत्नी सोदास में, केशिनी स्मर में तथा दमयन्ती नल में। महाभारत में एक कथा आई है जिसमें सुकन्या अपने च्यवन के लिए कहती है कि जिसके लिए मेरे पिता ने मुझे अर्पित कर दिया है उसका जीवन पर्यन्त परित्याग नहीं करूंगी। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है -

दीर्घायुरथवात्सायुः सृणो निर्गुणोऽपि वा ।
सद्गतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम् ॥¹

इसी प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए कहती है कि पति लम्बी आयु वाला हो या बल्हायु हो, सृणु हो अथवा निर्गुण, मैंने एक बार जिसे पति चुन लिया उससे भिन्न दूसरा पति नहीं ^{चुनूंगी} ² चुनूंगी।

उपर्युक्त कथन भारतीय नारी के शील आदर्श एवं मर्यादा का प्रतीक है।

1- महाभारत - 3.294.27

2- श्लो ३.१० ४.१.५.९

जातकों से भी विदित होता है कि सुजाता एवं सम्बुला जैसी स्त्रियों ने अपनी सच्चरित्रता, तथा एक चिन्तता द्वारा पति-जीवन को स्वर्ग बना दिया था। सम्बुला का पति कुष्ठग्रस्त था किन्तु उस पतिव्रता साध्वी स्त्री ने वन में निवास कर स्वकीय पति की मनोनिवेशपूर्वक देखभाल एवं सेवा की।

पति-पत्नी का सर्वप्रमुख धर्म एवं आदर्श यह था कि वे साथ-साथ एकनिष्ठ होकर देवों श्रेष्ठियों एवं पितरों के श्रद्धा चक्राते थे तथा निर्वाधरूप से पंच-महायज्ञ सम्पन्न करते थे। उनके सहधर्म पर गोविंल का यह कथन है कि राम ने अपनी पत्नी सीता की स्वर्णमूर्ति बनाकर भाइयों से अर्चित बहुविध यज्ञों का अनुष्ठान किया। जैसा कि निम्नवत् द्रष्टव्य है -

रामोऽपि कृत्वा सौवर्णीं सीतां पत्नीं पत्नीं पत्नीम् ।

इत्येवैर्बहुविधैः सह भातृभिरर्चिनैः ॥²

गोविंल स्मृति

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में

1- जातक - 5. पृ० 88-89

2- गोविंल स्मृति- 3.10

वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल, सूत्रकाल एवं कतिपय तत्परवर्ती काल में स्त्री एवं पुरुषों के मध्य सुमधुर एवं अविच्छेद्य सम्बन्ध को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया गया । यही कारण है कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया । अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई । ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के सम्बन्ध को तत्काल में वागर्थ की भाँति मिला हुआ माना गया है । यही कारण है कि महाकविकालिदास ने भक्त्योषार्कती तथा भवान् रक्षिकर की वन्दना निम्न शब्दों में की ।

वागर्थोविव सम्भूक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।

अगतः पितरो वन्दे शार्कतीपरमेवरो ॥

- रघुवीर, प्रथम सर्ग, प्रथम श्लोक

३ तृतीय अध्याय ३

अर्थशास्त्र में विवाह

"अर्थशास्त्र में विवाह"

§ 1.1 विवाह के उद्देश्य -

हिन्दू समाज में विवाह एक अनिवार्य संस्कार है, जिसका उद्देश्य अत्यन्त पवित्र और गौरवशाली है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त अपेक्षित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहण करता है। कोटिन्य ने अपने अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के दूसरे अध्याय में कहा है कि "विवाहपूर्व व्यवहारः।" इसका तात्पर्य यह है कि विवाह के बाद ही सारे सामाजिक व्यवहार आरम्भ होते हैं। कोटिन्य के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि विवाह के बाद ही व्यक्ति धर्म का पालन, पुत्र की प्राप्ति एवं रति का सुख प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे देवभक्षण, ऋषिभक्षण, पितृभक्षण, अतिथि-भक्षण और भूतभक्षण से मुक्ति मिलती है। ऋग्वेद के अनुसार विवाह ही व्यक्ति को गृहस्थ बनाता है तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ करने की योग्यता प्रदान करता है।¹ विवाह का उद्देश्य धार्मिक कृत्यों को करने में उत्पन्न बाधाओं को दूर करना है। पति-पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं हो सकता।

विवाह का दूसरा उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति। ऋग्वेद में एक स्थल पर कहा गया है कि पाणिग्रहण उत्तम सन्तान के लिए है।² वैदिक युग से

1- ऋग्वेद- 8/30

2- ऋग्वेद-10/85/36

लेकर आज तक सन्तान की प्रबल इच्छा मनुष्य में रही है तथा उसके निमित्त वह अपनी उत्कट अभिलाषा भी व्यक्त करता रहा है क्योंकि हिन्दू समाज में पुत्र की अपार महत्ता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि "पिता के लिए पुत्र अलोक है तथा संसार-सागर से पार करने की "अतितारिणी" नौका है।" परिवार की निरन्तरता, समाज का विस्तार, क्रमात् नई पीढ़ियों का आगमन तथा धार्मिक कृत्यों का प्रचलन मूलतः सन्तानोत्पत्ति पर आधारित रहा है। लोक और परलोक की कल्पना के माध्यम से सन्तान की अपेक्षा धर्मशास्त्रों में की गई है तथा उसकी अनिवार्यता पर बल दिया गया है। इस प्रकार यदि देखा जाय तो पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह की आवश्यकता होती है। विवाह सम्पन्न होने पर पुरोहित वर-वधु को बनेक पुत्र पैदा करने का आशीर्वाद देता है। इस प्रकार यदि देखा जाय तो विवाह का उद्देश्य पुत्र उत्पन्न करना है।

विवाह का एक प्रयोजन रति-सुख अथवा यौन इच्छाओं की सन्तुष्टि भी थी, जिससे प्राचीन व्यवस्थाकारों ने मनुष्य के लिए आवश्यक बताया क्योंकि काम-सन्तुष्टि से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक सन्तुलन बना रहता है तथा वह स्वस्थ और सच्चरित्र आधार पर समाज का निर्माण करता है। हिन्दू समाज में ही नहीं सभी समाजों में विवाह का यही उद्देश्य रहा है। वैदिक युग में सम्भोग की आनन्द की पराकाष्ठा माना गया है। मनु जैसे व्यवस्थाकारों ने भी रति

की महत्ता को स्वीकार की है तथा विवाह के उद्देश्यों में इसे प्रधान माना है ।¹ हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में काम-भावना का स्थान धर्म से कभी भी महत्त्वशाली नहीं रहा है । कौटिल्य का मत है कि धर्म और अर्थ में विरोध न रखने वाले काम का सेवन करना चाहिए ।² इस प्रकार व्यवस्था से समाज नियमित और नियन्त्रित हो जाता है । यदि विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन न किया गया होता तो सर्वत्र अव्यवस्था और अज्ञानि का वातावरण पैदा हो जाता ।

इस प्रकार यदि देखा जाय तो विवाह का उद्देश्य समाज को सुव्यवस्थित, सुसंगठित और विकासोन्मुख बनाना है । विवाह के द्वारा ही व्यक्ति अपने पारिवारिक बन्धन में अज्ञात है । परिवार के दायित्व की पूर्ति पति-पत्नी के सहयोग से सहोदार्दपूर्ण वातावरण में होता है ।

विवाह के प्रकार -

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तृतीय अधिकरण के द्वितीय अध्याय में विवाह के आठ प्रकार बताये गये हैं । कृष्ण पुराण में भी विवाह के आठ प्रकार माने गये है जो निम्नलिखित है -

1- मनुस्मृति 9/28

2- कौ०अ० 1-7 धर्मार्थविरोधेन कामं न सेवेत् ।

ब्राह्मो देवस्तथेवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गाधर्वराक्षसो चान्यो पेशाचाण्डमो म्लः ।¹

इसी प्रकार आश्वलायन गृहसूत्र, गौतम, जोधायन धर्मसूत्र मनुस्मृति, महाभारत और याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति इत्यादि धर्मशास्त्रकारों ने विवाह के आठ प्रकारों की चर्चा की है । इन विवाह-प्रकारों के स्वल्प का विकास-समय और परिस्थितियों के अनुसार होता आया । लोगों ने अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार जिन विवाह प्रणालियों को चला दिया और कालक्रमानुसार जिनका प्रचलन हो गया, वे ही आगे चलकर विवाह के अलग प्रकार बन गये । किन्तु इन विवाह प्रकारों में नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों के विवाह प्रकार समाज में अत्यधिक प्रचलित हुए तथा अनेतिक और अधार्मिक वृत्तियों से प्रभावित विवाह प्रकार बहुत कम स्वीकार किये गये । किन्तु इन विवाह प्रकारों से यह अकथ्य क्षािप्त होता है। कि समाज में अनेकों प्रकार के लोग रहते थे जो अपनी परिस्थितियों से उत्प्रेरित होकर इच्छानुसार विवाह करते थे ।

॥१॥ ब्राह्म विवाह -

कोटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ब्राह्म विवाह को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ बताया है कोटिल्य ने कहा है कि वस्त्र-वाभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक-

कन्यादान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है ।¹ इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कथन है कि ब्राह्म विवाह विवाह में वर के कुल आचरण, धर्म में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को आभूषणों से अलङ्कृत कर, प्रजा की उत्पत्ति तथा एक साथ धर्म-कर्म करने के प्रयोजन से कन्या प्रदान करें ।² कोटिन्य ने जिस ब्राह्म विवाह का विवेचन किया वह अन्य धर्मशास्त्रकारों की दृष्टि में भी उत्तम कोटि का विवाह है ।

2- प्राजापत्य विवाह -

कोटिन्य के अनुसार- कन्या और वर, दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस विवाह बन्धन को स्वीकार करते हैं, उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं ।³ इस विवाह प्रकार के अन्तर्गत वर की विधिपूर्वक पूजा करके कन्या का दान किया जाता था तथा वर-वधु को यह निर्देश दिया जाता था कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर सावज्जीवन धर्माचरण करें ।⁴ आज हिन्दू समाज में जो विवाह प्रकार

1- को० अ० - कन्यादान कन्यामलङ्कृत्य ब्राह्मो विवाहः ।

को० अ० §3/2§

2- आ० ध० सू० - 2/17

3- सहधर्मचर्या प्राजापत्यः ।

को० अ० §3/2§

4- मनु० - 3/30

प्रचलित है, वह प्राजापत्य विवाह का ही संवर्धित और विकसित रूप है। इसके अन्तर्गत वर और क्यू दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करके अपना सम्बन्धी बनाते और स्वागत सत्कार करते हैं।

3- आर्ष विवाह-

कोटिन्य के अनुसार-"वर से गऊ का जोड़ा लेकर जो विवाह किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं।¹ इस प्रकार के विवाह में वर द्वारा ससुर को दिया गया यह उपहार कन्या के मूल्य के रूप में भी था। जेमिन, शबर और आप-स्तम्ब ने इस उपहार को क्यू के मूल्य के रूप में नहीं स्वीकार किया है।² कुछ लोग इसे एक प्रमाण का प्रथा के रूप में स्वीकार किये हैं। महाभारत से विदित होता है कि शल्य ने अपनी जहन माद्री के विवाह के लिए कुल प्रथा के अनुसार अत्यन्त स्कोच के साथ भीष्म से विक्रय-मूल्य ग्रहण किया था।³ किन्तु यह कन्या विक्रय नहीं था, बल्कि पूर्वगामी परम्परा का निर्वह मात्र था। चौथी शता. ई. पू. के लेखक मेगस्थनीज के विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक गाय और जैल भैंट में अर्पित किये जाते थे।

1- गोमिथुनादानादार्षः ।

को० अ० §3/2§

2- आ० ध० सू० §2/18§

जेमिन-6/1/15

3- महाभारत -1/122/9

4- देव-विवाह -

कोटिन्य के अनुसार- विवाह वेदी में बैठकर ऋत्विक् को जो कन्या दान किया जाता है उसे देव विवाह कहते हैं । आपस्तम्ब के अनुसार इस विवाह में पिता कन्या को किसी ऐसे ऋत्विक् को प्रदान करता था जो श्रोत यज्ञ कर रहा होता था ।² मनु ने भी देव विवाह को इस प्रकार परिभाषित किया है-

यज्ञे तु कित्ते सम्यग्ऋत्विजे कर्म कुर्वते ।

अर्हृत्य सुतादानं देवं धर्मं प्रचक्षते ॥³

इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि अपनी कन्या को विवाहित करने के लिए पिता एक यज्ञ का आयोजन था । जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधिपूर्वक सम्पन्न कर लेता था, उसी से उस कन्या का विवाह किया कर दिया जाता था ।

5- गान्धर्व-विवाह-

कोटिन्य के अनुसार-"कन्या और वर का आपसी सलाह से किया गया विवाह गान्धर्व विवाह कहलाता है ।⁴ आधुनिक युग में इसी गान्धर्व विवाह

1- अन्तर्वेद्यामृत्विजे दानाद् देवः । को० अ० 3/2

2- आ० अ० सु०-2/19

3- मनु० 3/28

4- मिथस्तमवायाद् गान्धर्वः ।

को० अ० 3/2

को " प्रेम विवाह " कहते हैं । जब युवक-युवती परस्पर प्रेम-आ काम के व्यभिक्त होकर अपने माता-पिता की उपेक्षा करके विवाह कर लें तब वह प्रथा गान्धर्व विवाह कही गयी ।¹ मनु ने कन्या और वर के इच्छानुसार कामुकताका संयुक्त होने को गान्धर्व विवाह कहा है । वस्तुतः यह प्रथा प्रेम विवाह या प्रणय-विवाह का सूचक है, जो हिन्दू समाज में अत्यन्त प्राचीन काल से वर्तमान है । दुष्यन्त और शकुन्तला का विवाह भी गान्धर्व-विवाह ही था । मनु के अनुसार गान्धर्व विवाह सभी वर्गों के लिए धर्मसम्मत था और वात्स्यायन के मत से यह विवाह अनुरागमय, सुखद और सर्वश्रेष्ठ था ।²

6- आसुर विवाह-

कोटिन्य के अनुसार- "कन्या के पिता को धन देकर जो विवाह किया जाता है उसे आसुरविवाह कहते हैं ।"³ वस्तुतः इस विवाह-प्रणाली में कन्या खरीदी जाती है । महाभारत में कहा गया है कि प्रायः धन से कन्या को खरीदकर और उसके सम्बन्धियों को धन का प्रलोभन देकर जो विवाह सम्पन्न किया जाता है, विद्वान उसे आसुर धर्म कहते हैं ।⁴ बौद्ध साहित्य में भी इस प्रकार के विवाहके

1- जो० ध०सू०- 1/11/6

2- कामसूत्र- 3/5/30, मनु० 3/23

3- शुक्लादानासुरः ।

को०अ० 3/2

4- महाभारत- 13/47/3

अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक जातक में उल्लिखित है कि उदयभद्रदा नामक स्त्री ने कहा था कि मनुष्य अपार धन व्यय कर स्त्री प्राप्त कर सकता था। ऐसी पत्नी के लिए जौड़ साहित्य में "कीतोधनेन बहुना" अथवा "भरदया धन्वीता" जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं।²

इस प्रकार के विवाह की प्रथा समाज में कम प्रचलित थी, और जो प्रचलित भी थी, उसका कारण जाल-विवाह एवं स्त्री-शिक्षा की कमी थी। परिणाम स्वरूप धन के प्रलोभन में आकर कुछ अभिभावकों ने कन्याओं का विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया।

7- राक्षस-विवाह-

कोटिल्य के अनुसार-"किसी कन्या से अलात्कार करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है।"³ मनु के अनुसार कन्या-पक्षवालों को मारकर अथवा उनको घायल करके, गृह के दारु आदि को तोड़कर तथा रोती-चिल्लाती कन्या का अलात्कार करके जाना राक्षस विवाह है।⁴ इस प्रकार के विवाह में

1- जातक, 4 पृ० 108

2- पातक, 2, पृ० 185, 5, पृ० 269

3- प्रसहयादानाद राक्षसः ।

को०व० 3/2

4- मनु० - 3/33

शक्ति एवं बलप्रयोग एक आवश्यक अवयव था । यह विवाह-प्रकार सभ्यतः आदिम जातियों में प्रचलित था जो बाद तक चलता रहा ।

8- पेशाच विवाह -

कोटिल्य के अनुसार -सोई हुई कन्या को हरण करके विवाह करना पेशाच विवाह कहलाता है ।¹ हिन्दू समाज में यह विवाह अत्यन्त निन्दनीय और गहिर्त माना जाता रहा है । मनु के अनुसार सोती हुई, मदहोरा, उन्मत्त, मदिरापान की हुई अथवा मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति कामयुक्त होकर अपनाता है तब वह विवाह-प्रकार पेशाच कहा जाता है ।² ब्राह्मणों के लिए यह विवाह सर्वथा अनुपयुक्त और वर्जित था । केवल क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए ही ऐसा विवाह विहित बताया गया है ।

कोटिल्य स्वयं ही इन विवाहों के बारे में कहता है कि उक्त आठ प्रकार विवाहों में प्रथम चार प्रकार के विवाह पिता की सलाह से होने के कारण धर्माङ्गुल विवाह हैं । अन्य चार प्रकार के विवाह-माता पिता दोनों की सलाह से होते हैं । क्योंकि वे दोनों लड़की को देकर उसके बदले में धन लेते हैं । उस धन को यदि पिता न हो तो माता ले सकती है और माता न हो तो पिता ले-सकता है ।³

1- सुप्तादानात् पेशाचः । को०ब० 3/2

2- मनु० 3/34

3- को० ब०- 3/2

इसके अतिरिक्त प्रीतिक्रा दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन उस कन्या का है जिसके साथ विवाह किया गया है । सभी प्रकार के विवाहों में स्त्री-पुरुष में परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है ।¹

स्त्रीधन -

कोटिन्य के अनुसार स्त्रीधन दो प्रकार का होता है :

॥1॥ वृत्ति और ॥2॥ आक्य । स्त्री का वृत्ति धन वह है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा किया गया हो । उसकी रकम-कम से कम दो हजार तक होनी चाहिए गहना या जेवर आदि आक्य धन कहलाते हैं, जिसकी तादाद की कोई नियम नहीं है ।² स्मृतिकारों में कात्यायन ने 27 श्लोकों में स्त्रीधन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । उन्होंने मनु, याज्ञ0, नारद एवं विष्णु के छः स्त्रीधन प्रकारों का वर्णन किया है ।

॥1॥ ऋयग्नि स्त्रीधन-

विवाह के समय अग्नि के समझ जो दिया जाता है उसे बुद्धिमान लोग ऋयग्नि स्त्रीधन कहते हैं ।

॥2॥ ऋयावहन्नि स्त्रीधन-

पति के घर जाते समय जो कुछ स्त्री पिता के घर से पाती है उसे ऋयावहन्नि स्त्रीधन कहा जाता है ।

1- द्वितीय श्लोक स्त्री इरेत् । सर्वेषां प्रीत्या रोपणमप्रतिष्ठितम् । को0 अ03/2

2- को0 अ0-3/2

§3§ प्रीतिदत्त स्त्रीधन-

रक्कुर या सास द्वारा स्नेह में जो कुछ दिया जाता है और ऋण जनों का वन्दन करते समय उनके द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रीतिदत्त स्त्रीधन कहा जाता है ।

§4§ गृह्य स्त्रीधन-

जो कर्तियों, भारवाही पशुओं, दुधारु पशुओं, वाभूषणों एवं दासों के मूल्य के रूप में प्राप्त होता है वह गृह्य कहलाता है ।

§5§ अन्वाधेय स्त्रीधन-

विवाहोपरान्त पति-कुल एवं पितृ-कुल के ऋणजनों से जो कुछ प्राप्त होता है वह अन्वाधेय स्त्रीधन कहलाता है । भू के मूल से स्नेहका जो कुछ पति या माता-पिता से प्राप्त होता है वह अन्वाधेय कहलाता है ।

§6§ सौदायिक स्त्रीधन-

वह धन जो विवाहित स्त्री या कुमारी को अपने पिता के घर से मिल जाता है या भाई से या माता-पिता से प्राप्त होता सौदायिक स्त्रीधन कहलाता है ।

कात्यायन की उपर्युक्त परिभाषायें सभी निबन्धों को मान्य है । यहाँ तक की दाय भाग ने भी उनका अनुमोदन किया है ।

कोटिन्य ने स्त्रीधन की जो सीमा निर्धारित की है वह कल्यायन और व्यास द्वारा निर्धारित सीमा से साम्य रखी है। इन्होंने भी दो सहस्र पणों तक ही स्त्रीधन की सीमा बताया है किन्तु यह निर्देश दिया है कि अबल सम्पत्ति न दे। स्मृतिचन्द्र एवं व्यवहार मयूख ने व्याख्या की है कि दो सहस्र पणों की सीमा वार्षिक भेद तक ही है किन्तु यदि भेट एक ही बार दी जाय तो अधिक भी दिया जा सकता है और अबल सम्पत्ति भी दी जा सकती है। इस प्रकार विवाह के समय स्त्रियों को कुछ सम्पत्ति स्त्रीधन के रूप में प्राप्त हो जाती है। यदि इसका सच्चे अर्थों में आकलन किया जाय तो यह एक प्रकार की भविष्य निधि है, जो आकस्मिक अवसरों पर सहायक होती है।

स्त्रीधन का उपभोग -

कोटिन्य ने इस विषय पर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कुछ विचित्र नियम प्रतिपादित किया है जिसके अधीन रहते हुए स्त्रीधन का उपभोग किया जा सकता है -

किसी स्त्री का पति परदेश चला जाय और उसकी स्त्री की जीविका निर्वाह के लिए कोई जरिया न हो तो वह स्त्री अपने पुत्र और अपनी पतोद् के जीवन निर्वाह के लिए अपने निर्णीत धन को खर्च कर सकती है।¹

किसी विपत्ति, बीमारी, दुर्घटना या इसी तरह के आकस्मिक क्षण से बचने के लिए और किसी धर्म कार्य में पति भी यदि स्त्री के निजी धन को छर्च करता है तो उसमें कोई जुराई नहीं। इसी प्रकार दो सन्तान पैदा होने पर स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर यदि उस धन को छर्च करें तब भी कोई दोष नहीं। ऐसे पति-पत्नी जिन्का विवाह धर्माङ्कूल हुआ हो, कोई सन्तान पैदा न होने पर तीन वर्ष तक उस धन को छर्च कर सकते हैं।¹ जिन्होंने गान्धर्व विवाह या असुर विवाह किया हो और आपसी सलाह से वे स्त्रीधन को छर्च कर डालें तो उनसे ब्याज सहित मूलधन जमा कर लिया जाय।² जिन्होंने राक्षस तथा पेशाच विधि से विवाह किया हो ऐसे पति-पत्नी यदि स्त्रीधन को छर्च कर डालें तो उन्हें चोरी का दण्ड दिया जाय।³

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि यदि विवाह धर्माङ्कूल हो तो कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रीधन को छर्च किया जा सकता है। यदि विवाह-गान्धर्व, राक्षस तथा पेशाच विधि से किया गया है तो स्त्रीधन को छर्च करने वाले को पण्डित किया जाता है। जिन विवाहों की प्रमाणिकता में कमी है और वह

1- को० अ० - 3/2

2- गान्धर्वसुरोपभुक्तं सकृदिकमुभयं दाप्यते ।

को० अ० 3/2

3- राक्षसपेशाचोपभुक्तं स्तेयं दद्यात् ।

को०अ० 3/2

अविवाहनीय है, तो स्त्री को अपने स्त्रीधन को सुरक्षित रखने का दायित्व प्रदान किया गया। कभी समाज में ऐसे विवाह केवल धन के मोहका किया जाता है। इसलिए स्त्री को स्त्रीधन सुरक्षित रखना चाहिए। इन्हीं परिस्थियों के कारण कोटिन्य ने स्त्री-धन को खर्च करने वाले को दण्डित किये जाने का विधान प्रदान किया है।

स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार-

पति के मर जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म कर्म पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनों प्रकार के निम्नी धन तथा प्रीति धन ली लेना चाहिए। उस धन को ले लेने के बाद यदि वह दूसरा पति कर ले तो व्याज सहित सारे मूल धन को वापिस कर दे। यदि वह परिवार की इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहती है तो अपने मूल पति और स्वसुर के दिये हुए धन को विवाह के समय में ही वापस कर सकती है, उसके पहले नहीं।

कोटिन्य ने शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्रदान किया है और इसके साथ ही उसने कुछ नियम भी निरूपित किये हैं जो इस प्रकार हैं -

- 1- जिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियों के पति कुछ समय के लिए विदेश गये हों वे एक वर्ष तक और पुत्रहीन स्त्रियाँ इससे अधिक

समय तक अपने पतियों के आने की इन्तज़ारी करें । यदि पति उसके भरण-पोषण का पूरा इन्तज़ाम करके गये हों तो इससे दुगुने समय तक पत्नियाँ उनकी इन्तज़ारी करें । पिन्के भोजन वस्त्र का इन्तज़ाम न हो, उनके बन्धु-बान्धवों को चाहिए कि चार वर्ष या इससे अधिक आठ वर्ष तक वे उनके भोजन वस्त्र का प्रबन्ध करें । इसके बाद पहिले विवाह में दिये गये धन को वापस लेकर वे उस स्त्री को दूसरी शादी करने को छूट दे दें ।¹ इन शर्तों के अधीन रहते हुए कोई भी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है, चाहे वह जिस वर्ग की हो ।

2- अध्ययन के लिए विदेश गये ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ दस वर्ष तक और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक, अपने पतियों की आने की प्रतीक्षा करें ।² इसके उपरान्त स्त्रियाँ पुनर्विवाह कर सकती हैं ।

3- कुटुम्बक्षय या समूह बन्धु-बान्धवों के छोड़े जाने के कारण या विपत्ति की मारी हुई कोई भी प्रोषितपतिका जीवन निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा विवाह कर सकती है ।³

1- को० अ० - 3/60/4

2- ब्राह्मणधियानं द्वावर्षाण्य प्रजाता, द्वादश प्रजाता ।

को० अ० 3/60/4

3- को० अ० 3/60/4

चार प्रकार के धर्म-विवाहों के अनुसार जिस कन्या का विवाह हुआ हो, और यदि उसका पति उसे बिना बताये ही परदेश चला जाय तो सात मासिक धर्म तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करे। यदि उसकी कोई सूचना मिल गई हो तो वह एक वर्ष तक अपने पति की प्रतीक्षा करे। इसके उपरान्त स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है।

पति यदि बताकर विदेश जाय और उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और यदि उसका समाचार मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे। विवाह के समय प्रतिज्ञात धन में से जिसने अपनी पत्नी को थोड़ा ही धनदिया हो और विदेश जाने पर उसकी कोई सूचना न मिली हो तो तीनमासिक धर्म पर्यन्त, यदि खबर मिल जाय तो सात मासिक धर्म तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। जिस पति ने विवाह में प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुकेता कर दिया हो, विदेश जाने पर उसकी कोई सूचना न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और यदि कोई सूचना मिल गयी हो तो दस मासिक धर्म तक प्रतीक्षा करे।

उपरोक्त इन सभी अवस्थाओं के जीत जाने पर कोई भी स्त्री धर्माधिकारी से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा से अपना दूसरा विवाह कर सकती है। इस सम्बन्ध में आचार्य कोटिन्य का कथन है- "क्योंकि श्रुत काल में स्त्री को पुरुष का सहवास न मिलना, धर्म का नारा हो जाने के बराबर अमङ्गलकारी है।

§5§ जिस स्त्री का पति सन्धासी हो गया हो या मर गया हो उसकी स्त्री सात मासिक धर्म तक दूसरा विवाह न करे। यदि उसकी कोई सन्तान हो तो

वह एक वर्ष तक रूक कर विवाह करे । उसके बाद वह अपने पति के सगे भाई के साथ विवाह कर ले । यदि ऐसे सगे भाई बहुत हो तो वह, पति के पीठ पीछे पेदा हुए धार्मिक एवं भरण पोषण में समर्थ भाई के साथ विवाह कर ले या जिस भाई की पत्नी न हो उसके साथ विवाह कर ले । यदि पति का कोई सगा भाई न हो तो समान गोत्र वाले उसके किसी पारिवारिक भाई के साथ विवाह कर ले । क्रम से पति का जो नजदीक-से-नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह कर ले ।¹

कौटिल्य ने पुनर्विवाह का जो भी क्रम निर्धारित किया है यदि उसके अनुरूप कोई स्त्री पुनर्विवाह करती है तो वह स्त्री और जिस पुरुष के साथ विवाह करती है, दोनों दण्डित किये जाते हैं । कौटिल्य कहता है कि-अपने पति की सम्पत्ति हकदार पुरुषों को छोड़कर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष, वह स्त्री, उस स्त्री को देने वाला, उस विवाह में शामिल होने वाले, ये सभी लोग, स्त्री को बहकावे, या अनुचित ढंग से उसको अपने काबू में करने के दुर्मदार समझे जाय और उनको यथोचित दण्ड दिया जाय ।²

1- को० अ० - 3/60/4

2- को० अ० - 3/60/4

यदि विधवा स्त्री अपने श्वसुर की इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह करना चाहे तो श्वसुर और मूल-पति का धन उसे नहीं मिलेगा । यदि विरादरी वालों के हाथ से उसके पुनर्विवाह का प्रबन्ध हो तो विरादरी वाले ही उसके लिए हुए धन को वापस करें ।

स्त्री को पुनर्विवाह करने पर हुई हानि -

§1§ यदि पुत्रवती स्त्री पुनर्विवाह करना चाहे तो वह निजी स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं हो सकती । उस स्त्री के निजी धन के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होंगे ।²

§2§ यदि कोई विधवा स्त्री अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए पुनर्विवाह करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पत्ति अपने लड़कों के नामप्रद कर देनी पड़ेगी ।³

§3§ अपनी इच्छा से छुई करने के लिए प्राप्त हुए धन को भी वह पुनर्विवाह करने के पूर्व अपने पुत्रों के नाम लिख दे ।⁴

कोटिन्य के द्वारा जो स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है वह एक सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत समाज की व्यवस्था का निरूपण करता है ।

1- को० अ० 3/58/2

2- को० अ० 3/58/2

3- को० अ० 3/58/2

4- को० अ० 3/58/2

स्त्रियाँ आवश्यकता अनुसार ही पुनर्विवाह कर सकती है और वह मनमाने ढंग से पुनर्विवाह नहीं कर सकती है । विवाह का मुख्य उद्देश्य सन्तान उत्पन्न करना था इस लिए कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि श्लु काल के दौरान स्त्रियों को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए । पुनर्विवाह के लिए जो व्यवस्था दी गयी है उससे समाज में स्त्रियाँ नियन्त्रित रहेगी । आधुनिक युग में यदि कौटिल्य की व्यवस्था लागू कर दी जाय तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार दुराचार कुछ सीमा तक नियन्त्रित हो सकता है ।

पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार-

कौटिल्य के स्त्रियों के लिए जिस प्रकार पुनर्विवाह की व्यवस्था की है उसी प्रकार पुरुषों को भी पुनर्विवाह का अधिकार प्रदान किया है । कौटिल्य समाज के द्रष्टा एवं श्रुता दोनों थे, उन्होंने समाज की जो स्थिति देखी उसी के अनुसार व्यवस्था सुजन किया । यही कारण है कि पुरुष को भी कुछ विशेषपरिस्थितियों में पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है जो निम्नलिखित है -

१।१ यदि किसी स्त्री की सन्तान न होती हो या उसके अन्दर सन्तान पैदा करने की शक्ति न हो तो पति को चाहिए कि वह आठ वर्ष तक सन्तान होने की प्रतीक्षा करे । यदि स्त्री मरे हुए बच्चे जने तो दस वर्ष तक और यदि उसको कन्याही पैदा होती हो तो पति को बारह वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए ।¹

1- वर्षाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्यां चाकाङ्क्षेत्र, द्वा विन्दुं द्वा दश कन्या-
प्रसविनीसु ।

इसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है । जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, स्त्रीधन, अतिरिक्त धन अपनी पहली स्त्री के गुजारे के लिए देना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह चौबीस पण तक का जुर्माना सरकार को अदा करे ।¹

जिस स्त्री के विवाह में न तो दहेज मिला है और उन उसके पास अपना निजी धन है, उसको दहेज तथा स्त्रीधन, के बराबर धन देकर और उसके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त सम्पत्ति देकर कोई भी पुरुष कितनी ही स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है । क्यों कि स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं । क्यों कि एक पुरुष की अनेक पुत्रि पत्नियाँ एक ही साथ रखला हों तो पति को चाहिए कि वह सबसे पहले विवाहिता पत्नी के पास समागम के लिए जाय अथवा उस स्त्री के पास जाय जिसका कोई पुत्र जीवित हो ।² यदि कोई पुरुष शत्रुकाल को छिपाकर अपनी स्त्री से संसर्ग नहीं करता तो उसको सरकार की ओर से छियानबे पण दण्ड दिया जाय । किसी भी पुरुषको चाहिए कि वह पुत्रवती, पवित्र जीवन वाली, वन्या, मृतपुत्रा, और मासिक धर्मरहित स्त्री के साथ तब तक संभोग न करे, जब तक संभोग के लिए वह स्वयं राजी न हो जाय, संभोग की इच्छा होते हुए भी, कोट्टिन या पागल स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, किन्तु पुत्र की इच्छा करने

1- पृ० सं० 324 तीसरा अधिकरण अ० 2 क्रम 4 को० अ०

2- पृ०सं० 325, को० अ० 3/58/2/5

वाली स्त्री किसी भी कोढ़ी या उन्मत्त पुरुष के साथ संर्षा कर सकती है ।

उपर्युक्ततथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रायः हिन्दू समाज में बहुपतित्व या बहुर्मता का प्रचार उतना नहीं था जितना बहुपत्नीत्व का । कई पतियों वाली स्त्री समाज में बहुत अधिक आदर की पात्र नहीं मानी जाती थी । वैदिक ग्रन्थों से ऐसा पता चलता है कि उस युग में सम्भक्तः एक पत्नी के कई पति तो हो जाया करते थे स्पष्ट है कि उस युग में अनेक जनजातियाँ रहती थी जिन्हे यहाँ की प्रथा एक से अधिक पति से विवाह करने की थी । वेदों में बहुपतित्व के उदाहरण मिलते हैं महाभारत में द्रौपदी का उल्लेख है जिस्के एक से अधिक पति हैं तथा कौटिल्य ने भी पुत्रहीन पति को दूसरी भार्या से विवाह करने का निर्देश दिया है।² जटिला गौतमी के सात श्वशुरपति थे³ । विष्णुपुराण से पता चलता है कि मरिषा के 10 पति थे । परन्तु बहुपत्नीत्व की प्रथा हिन्दू समाज में बहुत कम थी । कुछ ही जनजातियों के उदाहरणों के अतिरिक्त बहुपतित्व तथा पुनर्विवाह के जोर कोई प्रमाण नहीं मिलते, धर्मशास्त्रकारों ने भी पूर्णतः इस प्रथा का विरोध किया है ।

1- पृ० सं० 325, को० अर्थ० 3/58/2/1

2- अर्थशास्त्र 3, 2, वर्षाभ्य - विन्दुस ।

3- विष्णुपुराण - 1-12-68

विवाह की आयु -

प्राक्काल में वर क्यू के विवाह का समय निर्धारित हो गया था, किन्तु समयानुसार इसमें समुचित बदलाव भी होता रहा । वैदिक युग में दाम्पत्य सम्बन्ध यौवन प्राप्ति के बाद युवा होने पर ही किया जाता था । यानि परस्पर में जब दोनों एक दूसरे के मन को समझने में समर्थ हो जाते थे ।¹ तैत्तिरीय उपनिषद् में भी वर्णित है कि जब स्त्री का मन पुत्र की अभिलाषा करने लगता था तथा उसका अंतस् काम भावना से भी उत्प्रेरित होने लगता था तब उसका परिणय आयोजित किया जाता था² । इन उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जब स्त्री और पुरुष युवा होकर एक दूसरे को चाहने लगते है तब वर और क्यू के रूप में उनका विवाह होता था । विवाह आयु का सम्बन्ध क्रमशः आनुमानिक तौर पर ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ही माना गया है ब्रह्मचर्याश्रम के पहले उपनयन संस्कार होता था जिसमें लड़कों की आयु 8 वर्ष मानी गई है इसके बारह वर्ष बाद विवाह होता था यानि 20 वर्ष बाद की आयु में विवाह होता था, पुरुषों की तरह विष्कतारा, घोषा, आपाला आदि वैदिक स्त्रियाँ भी ब्रह्मचर्य का जीवन विद्याध्ययन में व्यतीत करती थीं ।³ वैदिक युग के परकीर्णकाल में प्रारम्भ की हुई स्वयम्बर उस युग के विवाह की ओर इंगित करती है क्यू जब अपने मन के अनुसार वर को चुनती थी तब वह

1- ऋग्वेद - 10.84.9

2- तैत्तिरीय उपनिषद् - 1.9.2

3- ऋग्वेद - 5.28, 10.39, 8.31

निश्चित ही युक्ती रहती थी तथा अपने सारे यौवन क्रीडा को समझती थी । रामायण में सीता तथा महाभारत में द्रौपदी का विवाह युक्ती होने पर ही हुआ था । यह प्रथा गृहसूत्रकाल तक आकर सिमट गई, यानि विवाह की आयु कम हो गई । तथा कन्याओं का वयानुसार नग्निका, श्यामा, कुमारी, रजस्वला, रोहिणी कन्या, गोरी, आदि रूपों में विभाजित कर दिया गया । नग्निका को प्रायः किशोर-युक्ता, 10 से 12 वर्ष की कन्या को श्यामा, 12 वर्ष से अधिक को कुमारी, 10 वर्ष से अधिक को रजस्वला, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष तक की कन्या तथा इसी प्रकार 8 वर्ष तक की कन्या गोरी कही जाती । स्मृति ग्रन्थों में भी प्रायः इसी तरह की जाते कही गई हैं मनु के अनुसार तीस वर्ष की अवस्था वाला पुरुष 12 वर्ष की आयु तक की कन्या से विवाह करें या 24 वर्ष की आयु का पुरुष 8 वर्ष की आयु तक की कन्या से भी शादी कर सकता है² । इसी तरह कौटिल्य ने भी 12 वर्ष की लड़की तथा 18 वर्ष के लड़के को व्यवहार प्राप्त माना है ।³ जौद साहित्य में षोडशी रूप का विवाह उत्तम माना गया है, मौर्य युग में विवाह की अवस्था कन्याओं के लिए 12 वर्ष, तथा पुरुषों की आयु निःसन्देह अधिक मानी गई जैसा कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में से स्पष्ट हो चुका है और यह भी कि अगर इसके विरोध

1- गो० ध० सू० 18, 21, 23,

वो० ध० सू० 4, 1, 12-14

व० ध० सू० 10-70-71

2- मनुस्मृति 9-94 को० कृत अर्थ० 3-59-3

3- अ० पुमात्र ।

में विवाह आयु की उम्मानना की जाती है तो लड़की को 12 पण और लड़के की 24 पण दण्ड देने का अधिकार है ।

इस तरह तक गुप्तकाल आने तक वर-वधु के विवाह वय में कोई अवलाव नहीं पाया । स्मृतियों और धर्मशास्त्रों ने प्रायः कन्या को रजोयुक्त न होने के पूर्व ही सचि विवाह के लिए उचित माना है, कामसूत्र के अनुसार दोनों की आयु में 3 या 4 पर्व का अन्तर माना है,² यही प्रायः गुप्तकाल में भी व्यवहृत था, ब्राह्मण वेदाध्ययन करने के बाद, विवाह करता था, क्षत्रीय धनुर्वेद, रण-कोशल आदि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद,³ सम्राट हर्ष की अहन राज्यश्री का विवाह युक्ती होने पर हुआ था ।⁴ धर्मशास्त्रों तथा स्मृतियों में अवयव के उदाहरण मिलते हैं कलवीरुनी भी लिखता है कि हिन्दुओं की शादी छोटी अवस्था में होती थीं और 12 वर्ष के अधिक आयु के स्त्री से विवाह करने का विधान नहीं था । किन्तु इस मत को प्रायः सभी ग्रन्थों ने एकमत से स्वीकार नहीं किया है । क्योंकि विवाह के योग्य कन्या की आयु 12, 16, 20 वर्ष गृह्य रत्नाकर में प्राप्य है ।⁶ कोटिल्य ने

1- को० क० अर्थ० 3.59,3 द्वादशपणः स्त्रिया दण्डः पुंसो द्विगुणः ।

2- का०सू० 3.12, त्रिवर्षीति प्रभृति न्यूनवयसास ।

3- रघुवी० 5.2

4- वही 3.10,32

5- दे० हर्षचरित

6- गृहस्थ रत्नाकर, पृ० 83 ।

वेदिक काल की तात्कालिक विवाह वय की असामाजिक अवधारणाओं को समझकर 12 वर्ष की कन्या तथा 16 वर्ष के बड़े की शादी को ही कानून वेध माना है ।

उपर्युक्त उदरगों से यह स्पष्ट हो जाता है प्राचीन काल में बाल-विवाह की प्रथा सर्वत्र पाई जाती थी यह धीरे-धीरे कालकवलि होकर समाज, राष्ट्र, परिवार, एवं व्यक्ति के कल्याण के लिए उत्तरोत्तर वयस्क विवाह की तरफ पल्लवित हुई ।

दाम्पत्य सम्बन्ध -

प्राचीन काल से समाज में दाम्पत्य सम्बन्ध अत्यन्त सुखद, पावन और पवित्र माना जाता था । पति पत्नी का जीवन अत्यधिक प्रगाढ़ और सम्मानयुक्त था । उनमें परस्पर सामाजिक आकर्षण होता था जिससे समाज की ग्रामिक इकाई परिवार, राष्ट्र, एवं मातृभूमि को तण्डुलवत् समन्वित करता था । पत्नी अपने पति को देवता के रूप में पूजती थी, और पति पत्नी को पूजा के रूप में । मनु के अनुसार जिस कुल में स्त्री की पूजा होती है उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिस कुल में इनकी पूजा नहीं होती है उस कुल सब कर्म निष्फल होते हैं ।¹ इसी आधार पर दाम्पत्य सम्बन्ध अटूट और अविच्छेद रहता है ।

कुम्भाः कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र के अनुसार दाम्पत्य सम्बन्ध में सर्वप्रथम स्त्री परवरिण को ही श्रेष्ठ माना है ।

1- मनु03.56 यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया ॥

यदि किसी स्त्री के भरण पोषण की अवधि नियत न हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उस स्त्री के वस्त्र भोजन और व्यय का यथोचित प्रबन्ध करे, अथवा अपनी आमदनीके अनुसार उसको अतिरिक्त कुछ सुविधा भी दे, किन्तु किन्तु जिस स्त्री के भरण पोषण का समय नियत हो और जिस स्त्री ने दहेज, स्त्रीधन तथा अतिरिक्त धन लेना लेना स्वीकार न किया हो, पति को चाहिए कि अपनी आमदनी के अनुसार उसको ज़्यादा हुई रकम देता जाय ।¹

यदि स्त्री अपने मायके में रहती हो या स्वतन्त्र रहकर गुजारा करती हो तो उसके भरण पोषण के लिए पति को वाध्य नहीं किया जा सकता है।²

कठोर स्त्री के साथ व्यवहार-

दाम्पत्य नियमों का अतिक्रमण करने वाली स्त्री को पहले नंगी कधनी, कूली, लगड़ी ज़ाप मरी, माँ मरी, आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए । यदि इससे कार्य न सधे तो उसके पीठपर ज़ास की छपाची, रस्सी या डप्यन से तीन ज़ार चोट करे। फिर भी वह ^{सीधी} राह पर न आवे तो उसे वाक्यारूप्य तथा दण्डपारूप्य का आधा दण्ड दिया जाय ।³ यदि दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाय जो कारण ही निर्दोष पति से

1- को० कू० अर्थ० 3.59 3.2 पृ० सं० 326

2- " " 3 पृ० सं० 327

3- " " 3 । पृ० सं० 327

जुरा व्यवहार करती हो और पति के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की झारेजाजी या प्यारी करे, इस तरह नियम विरुद्ध आवरण करने वाली स्त्री के लिए इसी प्रकरण में दण्ड का निर्देश किया गया है। यहाँ तक कटुभाषिणी स्त्री के व्यवहार पर विचार व्यक्त किया गया।

पति पत्नी का द्वेष -

अपने पति के साथ द्वेष रखने वाली स्त्री यदि सात शतकाल तक दूसरे पुरुष के साथ समागम करती रही तो उसे चाहिए कि वह अपने दोनों प्रकार के स्त्रीधन पति को सौंपकर पति को भी दूसरी स्त्री के साथ समागम करने की अनुमति दे दे।²

यदि पति स्त्री से द्वेष करता होतो उसको चाहिए कि वह अपनी स्त्री को सन्यासिनी तथा भाई बन्धुजों के साथ अकेली रहने से न रोके।³

यदि पराई स्त्री के साथ संभोग करने के निह्न स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुषी इनकार कर दे या किसी प्रेमिका के साथ संभोग करके साफ झुकर जाय, तो उसको जारह पण का दण्ड दिया जाय।⁴

1- को० पृ० अर्थ० 3.59.3. 2. पृ० सं० 327

2- को० " " पृ० सं० 327

3- को० " " पृ० सं० 327

4- को० कृ० अर्थ० 3.59.3.1 पृ० सं० 328

इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक पत्नियों के दृष्टान्त हैं जो पति के प्रति एकनिष्ठता और सात्त्विकता व्यक्त करती हैं प्राचीन युग में ऐसी अनेक भायार्थि हुईं जो अपने पति की विभिन्न दुर्घ्नवस्थाओं के बावजूद सावज्जीवन उनमें मनोनिष्ठा पूर्वक अनुरक्त थीं जैसे सुदर्शला सूर्यमें, राधा इन्द्र में लोपामुद्रा अगस्त्य में सावित्री सत्यवाच में, दयायन्ती सौदास, दमयन्ती नल में प्रायः ये सभी वैदिक तथा लौकिक स्त्रियाँ भारतीय समाज में पितृ द्वारा अर्पित पति के प्रति मानो सौगन्ध खाती हुईं जीवन पर्यन्त परित्याग न करने का संकल्प लेकर नरनारी समाज को उपदेश देती हैं ।

सम्बन्ध विच्छेद -

पति पत्नी के सम्बन्ध विच्छेद का अभिप्राय यह होता है कि पति और पत्नी के वैवाहिक सम्बन्ध को सामाजिक, धार्मिक और वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया जाय जिससे दोनों एक दूसरे से मुक्त हो जाय और उन पर किसी भी प्रकार का एक दूसरे का नियन्त्रण न रह जाय हिन्दू समाज में दाम्पत्य सम्बन्ध विच्छेद अथवा तलाक की व्यवस्था किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही की गई थी । यद्यपि पति और पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध अभियोग लगाने का वैध अधिकार नहीं है । किन्तु विशेष परिस्थितियों में पति त्याग्य थे जैसे नष्ट, प्रव्रिकृत न्युसंक पतित, दूर-क्षेत्रवासी इत्यादि । धर्मसूत्रों ने जातिभ्रष्ट और न्युसंक पति को त्याग देने के लिए कहा है ।¹ जोड़ साहित्य में भी सम्बन्ध विच्छेद की प्रथा है । वैदिक युग में भी

1- जो० घ० सू० ४.२.२६, व घ० सू० १७.६२.६४ ।

स्त्री अपने पति को त्याग सकती थी,¹ विवाह व्यवस्था के अनुसार पत्नी को पति के साथ रहने और अपना भरण पोषण पाने का अधिकार प्राप्त था किन्तु विशेष परिस्थितियों में और पारस्परिक मतभेद होने पर पत्नी का अधेवेदन, पत्नी का त्याग, अथवा पति का त्याग सम्भव हो सकता था। यदि पत्नी बन्ध्या हो और केवल कन्या उत्पन्न करने वाली हो या उसकी सन्तान उत्पन्न होकर मर जाती हो तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री के अनुमति से अथवा स्वतः दूसरी पत्नी करने का अधिकार पुरुष को था।²

कोटिन्यक्त अर्थात् के अनुसार निम्न परिस्थितियों में सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है।

पति पत्नी में परस्पर द्वेष उत्पन्न हो जाने पर सम्बन्ध विच्छेद की व्यवस्था है।³

किसी भी नीच प्रवासी, राजद्रोही, घातक जातिधर्म से गिरे हुए और नपुंसक पति से स्त्री विवाह विच्छेद कर सकती है।⁴ पति से द्वेष वैमनस्य

1- अथर्ववेद 9.5 26.27

2- जोधायन, कृत्यकल्पतरु के व्यवहार काण्ड के स्त्रीपु0 में उद्धृत-
अशुभाकारी ऋष्या - स्यास्त्वप्रियवादिनीम् ।

3- अर्थात् 33- "परस्परं द्वेषान्मोक्षः"

4- अर्थात् 3.58.2.2.पु0 सं0 325

रखने वाली स्त्री, पति की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं दे सकती है । इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है दोनों में परस्पर दोष होने पर ही तलाक सम्भव हो सकता है ।

पत्नी में कुछ बुराईयाँ आ जाने के कारण यदि पति उसका परित्याग, करना चाहे तो, जो धन, उसको स्त्री की ओर से मिला है उसे भी वह स्त्री को लौटा दे । यदि इसी कारण स्त्री अपने पति से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे तो पति से पाये हुए धन को वह पति को लौटा दे । किन्तु चार प्रकार के धर्म विवाहों में किसी भी दशा में तलाक सम्भव नहीं हो सकता है² ।

पति पत्नी का अतिचार-मना किये जाने पर भी यदि कोई स्त्री दर्पका मद्यपान और बिहार करे तो उस पर तीन बण्ड पति के मना करने पर यदि दिन में सितनेमा देखे तो 6 पण, और यदि किसी पुरुष के साथ सितनेमा देखे, तो 12 पण जुर्माना किया जाय । यदि वही अपराध वह रात में करे तो उसको दुगुना दण्ड दिया जाय ।³

यदि कोई स्त्री सोते हुए अपने पति को छोड़कर घर से जाहर चली जाय अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो उसको 12 पण

1- अर्थ० 3.59.3.2 पृ० सं० 328

2- अर्थ० 3.59.3.3 पृ० सं० 328

3- अर्थशास्त्र 3.59.3.4 पृ० सं० 328

दण्ड देना चाहिए । यदि कोई स्त्री अपने पति को रात में घर से बाहर कर दे तो उस स्त्री पर चौतीस पण का दण्ड किया जाय ।¹

पर पुरुष या परस्त्री परस्पर मैथुन के लिए यदि झगारेवाजी करे या एकान्त में अश्लील बातचीत करे तो स्त्री पर चौबीस पण, और पुरुष पर अड़तालीस पण का जुर्माना किया जाय ।²

यदि वे परस्पर केरा, तथा कमर पकड़े एक दूसरे को चूमे, दाँत या नाखून गडावे तो इस अपराध में स्त्री को पूर्व साहस दण्ड और पुरुष को उससे दुगुना दण्ड दिया जाय ।³ किसी स्त्री स्थान में यदि वे परस्पर बातचीत करें तो आर्थिक दण्ड की जगह उस पर कोड़े लगाये जाय, इस प्रकार की भयसाधिनी स्त्री के किसी एक ही अङ्ग पर गाँव के चण्डाल द्वारा पाँच कोड़े लगाये जाय, पण दण्ड अदा करने पर प्रहार दण्ड कम कर दिया जाय ।⁴

अतिचार पर प्रतिषेध वर्जित करने पर यदि कोई स्त्री तथा पुरुष छोटी मोटी उपहार की वस्तुएँ देकर परस्पर उपहार करें तो छोटे उपहार पर स्त्री को 12 पण, और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय । यदि उपहार में

1- अर्थशास्त्र 3.59.3.1 पृ० सं० 329

2- अर्थशास्त्र " 2 "

3- अर्थशास्त्र " 3 "

4- अर्थशास्त्र 3.59.3.4 पृ० सं० 329

वह सोने की कीमती चीजें दे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय । इन अपराधों को यदि पुरुष करे तो उस पर स्त्री से द्गुना दण्ड दिया जाय । यदि वे स्त्री पुरुष विना मुलाकात किये ही उपहार की चीजें लेते देते रहें तो पूर्वोक्त दण्ड उन्हें दिया जाय ।¹

राज्य के प्रति बगावत करने पर, आचार का उल्लंघन करने पर और अबारा गर्द होने पर कोई भी स्त्री, अपना स्त्रीधन, दूसरी शादी करने पर निर्वार्ह के लिए प्राप्त हुआ धन और दहेज में मिला हुआ धन आदि भी अधिकारिणी नहीं हो सकती ।²

स्त्रियों का घर से बाहर जाना पति घर से भागी हुई स्त्री पर छह पण का दण्ड किया जाय, किन्तु यदि वह किसी भय के कारण भागे तो अदण्ड समझी जाय । पति के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर 12 पण दण्ड दिया जाय, यदि वह पड़ोसी के घर में चली जाय तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाय ।³

पति के आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपने घर में पनाह देने, भिखारी को क्षीर देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली स्त्री को 12 पण दण्ड दिया जाय, यदि कोई स्त्री निष्पिष्ट व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करे तो

1- अर्थ 0 3.59.3.5 पृ० सं० 329

2- अर्थ 0 3.59.3.2 पृ० सं० 330

3- अर्थ 0 3.60.4 । पृ० सं० 331

उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय । यदि वह निर्दिष्ट सीमा के घरों से बाहर जावे तो उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय ।¹ विपत्तिरहित किसी पर पत्नी को अपने घर में पनाह देने वाले पर सो पण का दण्ड दिया जाय । यदि कोई स्त्री गृहस्वामी के रोकने पर या छिपकर उसके घर में घुस जाय तो उस स्थिति में गृहस्वामी निरपराध समझा जाये ।²

कुछ विद्वानों का मत है कि पति से तिरस्कृत कोई स्त्री यदि अपने पति के सम्बन्धी पुरुष रहित घर में जाय या कुछ सम्पन्न गाँव के मुखिया अपने धन के निरीक्षक भिक्षुकी या अपने किसी सम्बन्धी के पुरुष रहित घर में प्रवेश करे तो उसको दोषी नहीं समझा जाना चाहिए ।³

मृत्यु विमारी, विपत्ति, और प्रसव काल में स्त्री अपने सम्बन्धियों के यहाँ जा सकती है ।⁴

ऊपर बड़े गये अवसरों पर यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री ने अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने से रोके तो वह 12 पण दण्ड का अधिकारी है । यदि कोई स्त्री जाकर भी अपने जाने की बात को छिपाये, तो उसका स्त्रीधन जप्त कर

1- अर्थ 3.60 4.2 पृ 331

2- अर्थ 3.60 4.3 पृ 331

3- अर्थ 3.6.4 । पृ 332

4- अर्थ 3.60 4.3 पृ 332

लिया, यदि सम्बन्धी लोग लेने देन के डर से ऐसे अवसरों की सूचना दे तो उन्को वर की ओर से अवशिष्ट देय धन न दिया जाय ।¹ रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलना- पति घर से भागकर दूसरे गाँव में जाने वाली स्त्री को 12 पण का दण्ड दिया जाय और उसके नाम से जमा पूँजी तथा उसके आभूषणादि वस्तु कर लिये जाय । यदि वह मैथुन के लिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय और यज्ञ यागादि कर्मों में उसको सहधर्मिणी के अधिकार से वञ्चित किया जाय, किन्तु यदि वह घर के भरण पोषण या दूसरी जगह में रहने वाले पति के समीप स्तुगमन के लिए जाय तो उसे अपराधिनी न माना जाय यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति इस अपराध को करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, और निम्न वर्ण के व्यक्ति को मध्यम साहस दण्ड । भाई इस अपराध को करे तो दण्डनीय नहीं होता । यदि निषेध किये जाने के बाद वह इस अपराध को करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय ।² किन्तु यदि कोई स्त्री मार्ग जंगल या किसी गुप्त स्थान में अथवा किसी सन्दिग्ध या वर्जित पुरुष के साथ मैथुन के लिए घर से भाग निकले तो उसे गिरफ्तार कर अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाय ।³

1- अर्थ 3.60 4.30 पृ०सं० 332

2- अर्थ 3.60 4.1.पृ०सं० 333

3- अर्थ 3.60 4.2 पृ०सं० 333

गाने अजाने वाले वह नर्तक, मछियारे शिकारी, कलवार तथा इसी प्रकार के वे पुरुष जो स्त्रियों के साथ को साथ रखते हो । उनके साथ जाने में स्त्री को कोई दोष नहीं । मना करने पर यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को साथ ले जाय या स्त्री ही स्वयं किसी पुरुष के साथ चली जाय, तो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय ।¹

विवाहविच्छेद की व्यवस्था नियम के अन्तर्गत होने के बावजूद भी स्त्रियों को झेलपाना दुष्कर है क्योंकि समानता के दृष्टिकोण से पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त है जो स्त्रियाँ समाज में विवाह विच्छेद के नियम का पालन करती थीं वे और निम्न दृष्टिकोण से देखी जाती थीं । हिन्दू धर्म शास्त्रकारों ने पुरुषों के अधिकार को स्वीकार करके स्त्रियों के अधिकार अस्वीकार एकादृशी नियम बनाये जिससे स्त्री पुरुष की समान स्थिति नहीं बन सकी, स्मृतिकारों पतित्वयवता स्त्रियों की आलोचना की है । मनु ने तो यहाँ तक कह डाला कि पति में चाहे जो दुर्गुण हो किन्तु उनकी पूजा पत्नी को देवता के समान करनी चाहिए । अतः ये कथन इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि पति अपने मन के मूताधिक अपनी पत्नी को त्याग सकता है, कि पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है उसके लिए अनेक बन्धनों की व्यवस्था की गई है उसे पुरुष की तरह स्वच्छन्दता नहीं प्राप्त है मात्र एक उद्देश्य पति सेवा ही है ।

अतः यह कहा जा सकता है कि समाज की समस्त व्यवस्थायें नारी जगत के लिए शुभचिन्तक नहीं थीं । क्योंकि धर्मशास्त्रकारों द्वारा विहित सारे नियम निरुत्कुश एवं भेदभाव से युक्त थे, जिनमें स्त्री की आकांक्षाओं और कामनाओं के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था ।

॥ चतुर्थ अध्याय ॥

धर्मग्रन्थों में उत्तराधिकार की व्याख्या और तत्सम्बन्धी विमर्श

"धर्मग्रन्थों" में उत्तराधिकार की अवधारणा और तत्सम्बन्धी विमर्श

दाय का अर्थ -

सम्पत्ति के लिए प्राचीन वैदिक साहित्य में दाय शब्द प्रयुक्त हुआ है। तैत्तिरीय संहिता एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों में दाय "पैतृक-सम्पत्ति" या केवल "सम्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नामानेदण्ठ की गाथा में आया है कि "मनु ने अपना दाय अपने पुत्रों में बाँट दिया।" ¹ यहाँ दाय का अर्थ धन है। ताण्डय ब्राह्मण में आया है -पुत्रों में जो धन का अधिक भाग या श्रेष्ठ भाग दाय के रूप में ग्रहण करता है, उसी को लोग ऐसा पुत्रमान्ते हैं जो सक्का स्वामी होता है। ² सूत्रों तथा स्मृतियों में दाय के रूप में जाने वाला एक दूसरा शब्द "रिक्थ" भी ऋग्वेद में आया है। इस प्रकार प्राचीन काल में सम्पत्ति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। वास्तविक रूप से दाय का अर्थ है -सम्पत्ति। दाय-भाग का अर्थ हुआ सम्पत्ति-विभाजन।

दायभाग नामक व्यवहार-पद में दो मुख्य विषयों-विभाजन एवं दाय का निरूपण किया गया है। लगभग एक सहस्र वर्षों से दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध

-
- 1- मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभक्त । तैत्तिरीय 3/1/9/48
- 2- तस्माद्य पुत्राणां दायं धनममिमवोपेति तं मन्यन्ते यमेवेदं भविष्यतीति । ताण्डय 0 2/4/3-4

रहे हैं, जो मिताक्षरा एवं दाय भाग नाम से जाने जाते रहे हैं, क्योंकि इन नामों वाले दो ग्रन्थों के ही प्रमुक्ता ग्रहण की। दायभाग-पद्धति अंगाल तथा आसाम में प्रचलित है और मिताक्षरा पद्धति भारत के अन्य प्रांतों में प्रचलित है। किन्तु आधुनिक काल में अंगाल के कुछ कुलों में मिताक्षरा-पद्धति प्रचलित हो गयी है।

दाय भाग सम्प्रदाय के मुख्य संस्कृत-ग्रन्थ तीन हैं -

- 1- जीमूत वाहन का दायभाग
- 2- रघुनन्दन का दायत्व
- 3- श्रीकृष्ण तर्कालंकार का दायक्रम संग्रह।

मिताक्षरा सम्प्रदाय चार उपसम्प्रदायों में बंटा है, जिनमें प्रमुख ग्रन्थ मिताक्षरा के अतिरिक्त कुछ पुरक ग्रन्थ भी हैं जो उसके सिद्धान्तों को रूपांतरित भी करते हैं जैसे -

- 1- वाराणसी सम्प्रदाय - इसका मुख्य ग्रन्थ है - वीरमित्रोदय
- 2- मिथिला सम्प्रदाय - इसका प्रमुख ग्रन्थ है - विवादरत्नाकर, विवादचन्द्र एवं विवाद चिन्तामणि।
- 3- महाराष्ट्र या अम्बई सम्प्रदाय - इसका प्रमुख ग्रन्थ है - व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय एवं निर्णयसिन्धु।

4- द्रविण या मद्रास सम्प्रदाय- इसका प्रमुख ग्रन्थ है - स्मृतिचन्द्रिका, व्यपशर-
निर्णय, पराशरमाधवीय एवं सरस्वतीविलास ।

इन उपसम्प्रदायों के कारण कुछ प्रान्तों में नियमों का अन्तर अल्प है, किन्तु जंगल को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में मिताक्षरा की प्रमुक्तता रही है ।

मिताक्षरा विधि में दाय प्राप्त करने का आधार रक्त-सम्बन्ध है, जबकि दायभाग विधि में दाय प्राप्त करने का आधार पिण्डदान है । किन्तु मिताक्षरा विधि में भी पिण्डदान की विचारधारा को पूर्णतया उपेक्षित नहीं किया गया है । जहाँ रक्तसम्बन्धियों के मृत्यु कोई मामला उत्पन्न हो जाता है वहाँ पिण्डदान की विचारधारा से सहायता ली जाती है ।¹ मिताक्षरा-विधि में सम्पत्ति के न्यागमन के लिए दो रीतियाँ अपनाई गयीं -

§ 1 § उत्तराधिकार § 2 § उत्तराधिकार

दायभाग में न्यागमन की केवल एक ही रीति है - § 1 § उत्तराधिकार ।

उत्तराधिकार में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही स्वामित्व प्राप्त हो जाता है । उस व्यक्ति की मृत्यु के पहले

1- जुदा सिंह बनाम लक्ष्मी सिंह

1915, पी०सी० 70 ।

उसकी सम्पत्ति में कोई हक किसी को प्राप्त नहीं होता, जब कि उत्तरजीविका में उत्तरजीवी को गत स्वामी की मृत्यु के पहले ही हक प्राप्त हो जाता है ।

विभाग §विभाजन§ की परिभाषा मिताक्षरा में इस प्रकार दी गई है - "जहाँ संयुक्त स्वामित्व हो वहाँ सम्पूर्ण सम्पत्ति के भागों की निश्चित व्यवस्था ही विभाग है" ।

मिताक्षरा के अनुसार पुत्र पैतृक सम्पत्ति का रिक्थाधिकारी जन्म से ही हो जाता है । जब कि दायभाग के अनुसार जन्म से ही स्वामित्व उत्पन्न नहीं होता । मिताक्षरा के अनुसार पुत्रोत्पत्ति समाश्रिता या सहभागिता को उत्पन्न कर देती है, किन्तु दायभाग के अन्तर्गत पिता एवं पुत्रों में समाश्रिता नहीं पायी जाती, क्योंकि पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार नहीं प्राप्त होता, यद्यपि पैतृक सम्पत्ति की सत्ता भाइयों या चाचाओं एवं भतीजों के जीव उपस्थित रहती है । दायभाग के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके पुत्रों की सहभागिता आरम्भ कर देती है ।

1- विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणाम-

नेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम् ।

मिताक्षरा §याज्ञ02/114§

विभाजन सम्बन्धी पुत्र के अधिकार का विकास युगों की क्रमिक गति में पाया जाता रहा है। अति प्राचीन काल में जब कि कुलपति सत्तात्मक परिवार प्रचलित था, पिता का पुत्र पर एक सत्तात्मक अधिकार था। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य था, परिवार की सम्पत्ति का विघटन नहीं होता था। सभी की अर्जित सम्पत्तियों पर पिता का शासन था और स्त्रियों को सम्पत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। इस विषय पर वैदिक साहित्य में भी धुँला सा प्रकारा मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के युग में ऐसा विकास था कि प्राचीन काल में पुत्र पर पिता को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त था। काठक-संहिता में आया है कि पिता पुत्र पर राज्य करता है {पिता पुत्रस्थे}। ऐतिहासिक कालों में भी पिता का पुत्र पर अधिकार परिलक्षित होता रहा है। निरुक्त ने अपने पूर्व के लोगों की उक्ति दी है कि पुत्रियाँ पिता के धन का उत्तराधिकार नहीं पातीं, क्योंकि "उक्ता दान, विक्रय एवं त्याग हो सकता है, किन्तु पुरुषों का ऐसा नहीं होता।" किन्तु अन्य लोगों के मत से पुरुषों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है। वशिष्ठ का कथन है कि- "माता-पिता को अपने पुत्र का दान, विक्रय एवं त्याग करने का अधिकार है।"²

1- "स्त्रीणां दानविक्रयातिस्मां विद्यन्ते न पुंसः ।

निरुक्त {3/4}

2- तस्य {पुरुषस्य} प्रदान विक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभक्तः ।

वशिष्ठ {15/2} ।

दूसरी ओर ऋग्वेद से ऐसा प्रमाण मिलता है कि पुत्रों ने पिता की वृद्धावस्था में ही उसकी सम्पत्ति विभाजित कर ली, यथा- "हे अग्नि, लोग तुम्हें बहुत स्थानों में कई प्रकार से वृजित करते हैं और सम्पत्ति उसी प्रकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार ऋद्धे जाय से । " ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के सबसे छोटे पुत्र नामा-नेदिष्ठ की कथा से प्रकट होता है कि सभी ऋद्धे भाइयों ने पिता के रहते सारी सम्पत्ति अपने में बाँट ली और उसे सम्पत्ति से वञ्चित कर दिया, किन्तु उसने कोई विरोध नहीं किया । तैत्तिरीय संहिता, गोपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के दृष्टान्तों से यह स्पष्ट होता है कि पुत्र पिता के रहते ही और उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्पत्ति विभाजित करते थे, किन्तु यह कुछ विरले अवसरों पर ही होता था - सामान्य रूप से तो पिता की इच्छानुसार या पिता की मृत्यु के बाद ही सम्पत्ति विभाजित होती थी ।

जब स्मृतियों एवं मध्यकालीन लेखकों के विभाजन काल सम्बन्धी नियमों का विचार करना चाहिए ! एक समय वह था जब कि पिता जीवन-काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति-विभाजन करता था । दूसरा समय था पिता की मृत्यु के उपरान्त । दायभाग में इन्हीं दोनों समयों को मान्य ठहराया है , अर्थात्, पिता के स्वामित्व की समाप्ति पर तथा पिता के जीवन काल में उसकी इच्छा के अनुसार । पिता के स्वामित्व की समाप्ति पर से तात्पर्य है - पिता की मृत्यु पर या सन्यासी होने पर या सारी इच्छा नष्ट हो जाने पर । जीमूतवाहन जैसे कुछ लेखक बहुत आगे बढ़ गये हैं और कहते हैं कि पिता की मृत्यु के उपरान्त

माता के जीवन काल तक भी पुत्रों के बीच सम्पत्ति विभाजन नहीं होना चाहिए ।

पिता के जीवन-काल में विभाजन सम्बन्धी पुत्र की माँग को प्राचीन काल के कुछ धार्मिक मनोभावों से प्रेरणा मिली । गौतम ने लिखा है कि यदि संयुक्त न रहकर भाई पृथक् हो जाय तो धार्मिक श्रेष्ठता की वृद्धि होती है ॥ विभागे तु धर्मवृद्धिः ॥ । मनु ने कहा है कि -वे संयुक्त रह सकते हैं या यदि धर्मवृद्धि चाहें तो पृथक् भी रह सकते हैं, पृथक् रहने से धर्म-वृद्धि होती है अतः विभाजन महत्कारणी है । विभाजन होने पर अलग अलग घरों में धार्मिक कृत्य होने लगते हैं यही कारण है कि धार्मिक वृद्धि होती है ।

सामान्यतः जालिग होने पर ही विभाजन होता था, किन्तु कोटिल्य,¹ जोधायन² एवं कात्यायन³ से प्रकट होता है कि अप्राप्त व्यवहारता विभाजन के लिए बन्धन नहीं था ।

वयस्कता की आयु -

प्राप्त व्यवहारता ॥ वयस्कता ॥, सोलहवें वर्ष के प्रारम्भ में होती है या उसके अन्त में, इस विषय पर मतभेद है । नारद के अनुसार

1- कोटिल्य ॥ 3/5 ॥

2- जोधायन ॥ 2/2/42 ॥

3- कात्यायन ॥ 844/45 ॥

सोलहवें वर्ष तक व्यक्ति अवयस्क रहता है मित्राक्षरा द्वारा उद्धृत अगिरा एवं गोतम के कथनों से पता चलता है कि व्यक्ति सोलहवें वर्ष के आरम्भ तक ज्ञान रहता है । कात्यायन के अनुसार जान्यावस्था सोलहवें वर्ष के आरम्भ में समाप्त हो जाती है । इन सम्पूर्ण दृष्टान्तों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वयस्कता की आयु सोलह वर्ष ही रही होगी । आजकल वयस्कता की आयु अठारहवें वर्ष मानी जाती है किन्तु कुछ मामलों में यह सीमा इक्कीसवें वर्ष हो जाती है ।

सम्पत्ति के प्रकार -

सम्पत्ति दो प्रकार की होती है - स्थावर {अचल} एवं अंगम {याज्ञवल्क्य तथा कुछ स्मृतियों में इसके तीन प्रकार बताये गये हैं- भू, निबन्ध एवं द्रव्य । भू = भूमिखण्ड या घर, निबन्ध = रुपये बेसे या अन्न या अन्य वस्तुओं के रूप में जो आवधिक शुल्क के रूप में मिलता है यजमान-वृत्ति भी निबन्ध ही द्रव्य = सोना, चाँदी या अन्य चल सम्पत्ति । कभी-कभी द्रव्य शब्द सभी की सम्पत्तियों का द्योतक माना गया है - चाहे वे चल हों, या अचल । भारतीय व्यवहार {कानून} के अनुसार सम्पत्तियाँ दो कोटियों में बाँटी गयी संयुक्त कुल-सम्पत्ति तथा वृद्ध सम्पत्ति ।

1- द्रव्येषितामहोवाते अंगमे स्थावरे तथा वृहस्पति ।

संयुक्त हिन्दू परिवार -

एक संयुक्त हिन्दू परिवार में वे सभी पुरुष आते हैं जो किसी एक पुरुष पूर्वज के उत्तराधिकारी होते हैं। उनके साथ उनकी पत्नियाँ एवं कुमारे कन्यायें भी सम्मिलित रहती हैं। विवाहोपरान्त कन्या पिता के परिवार की न होकर अपने पति के परिवार की सदस्य हो जाती है। मिताक्षरा के अन्तर्गत समारंभी परिवार संयुक्त परिवार से अपेक्षाकृत स्कीर्ण अर्थ रखता है। इसमें केवल वे ही पुरुष सदस्य सम्मिलित होते हैं जो जन्म से ही संयुक्त अथवा समारंभी का अधिकार रखते हैं - यथा - स्वयं व्यक्ति, उसके पुत्र, उसके पुत्रों के पुत्र, पुत्रों के पौत्र। विभाजन में भाग लेने की योग्यता जन्म से अधिकार रखने वाले पुरुष स्वामी से चौथी पीढ़ी तक पायी जाती है।

सहभागिता -

मिताक्षरा द्वारा उपस्थापित सहभागिता के कुछ विशिष्ट लक्षण स्क्षेप में निम्न हैं।

प्रथम ज्ञात यह है कि उसमें स्वामित्व की एकता पायी जाती अर्थात् सभी सहभागी एक साथ स्वामी होते हैं। कोई सदस्य परिवार के भागित रहते यह नहीं कह सकता है कि उसका कोई निश्चित भाग है, उसका सम्बन्धित भाग मृत्युओं से बढ़ सकता है जन्मों से घट सकता है।

विक्रोषता है भोग एवं प्राप्त की एकता अर्थात् सभी को कुल-सम्पत्ति के भोग
 एवं स्वामित्व का अधिकार है । तृतीय बात यह है कि जब तक परिवार संयुक्त
 है और कुछ हिस्सेदारों के बहुत जाल-बच्चे हैं, कुछ के कोई नहीं है या कुछ लोग
 अनुपस्थित हैं तो विभाजन के समय कोई यह नहीं कह सकता कि कुछ लोगों ने
 सम्पत्ति छाली कर दी और न यही पूछा जा सकता है कि आय-व्यय का व्यो
 क्या रहा है । चतुर्थ विक्रोषता यह है कि किसी सहभागी की मृत्यु पर उसका
 समाप्त हो जाता है और अन्यो को प्राप्त हो जाता है किन्तु यदि मृत व्यक्ति
 के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र हों तो उन्हें विभाजन के समय भाग मिलते हैं । स्त्री
 सहभागिता नहीं प्राप्त होती चाहे वह पत्नी हो या माता । पंचम विक्रोषता
 यह है कि प्रत्येक सहभागी विभाजन की मांग कर सकता है । कुल कार्यों की
 व्यवस्था पिता करता है । यदि वह बुढ़ा हो या मर जाय तो ज्येष्ठ पुत्र कर
 है । आजकल ऐसे व्यवस्थापक को कहीं-कहीं कर्ता कहा जाता है, किन्तु स्मृति
 एवं निबन्धों में से कुटुम्बी § याज्ञ० 2/45 § गृही, गृहपति, प्रभु § कात्या० 54
 की संज्ञाएँ मिली हैं । इसे आपत्तिकाल में परिवार के कल्याण के लिए तथा
 श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्यों में बन्धक रखने जेचने, दान देने आदि का अधिकार
 रहता है । पिता को व्यवस्थापक का अधिकार एवं कुछ अन्य विशेष अधिकार
 प्राप्त हैं जो किसी सहभागी को प्राप्त नहीं होते । पिता यदि चाहे तो
 को अपने से या उनकी इच्छा न रहते हुए भी अलग कर सकता है किन्तु कोई
 सहभागी ऐसा नहीं कर सकता, वह यदि चाहे तो अपने को सहभागियों से

कर सकता है। मित्राक्षरा के मूल से कोई सहभागी बिना अन्य सहभागियों की सहमति के विभाजित भाग को दान, ऋणी या बन्धक के रूप में नहीं दे सकता है। यह बात वृहस्पति ने भी कही है। आधुनिक काल में सहभागी अपना भाग बन्धक के रूप में दे सकता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों का एक अधिकार यह भी है कि वे अपनी जीविका के लिए संयुक्त सम्पत्ति पर अपना अधिकार रखते हैं।

दायभाग के अन्तर्गत पूर्वोक्त विषयों में मित्राक्षरा से सर्वथा भिन्न मूल पाया जाता है। इसके अनुसार पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होता, वे पिता की मृत्यु के उपरान्त ही सर्वप्रथम दाय के अधिकारी होते हैं। स्पष्ट है इसमें मित्राक्षरा के अर्थ में, पिता एवं पुत्रों के बीच किसी प्रकार की सहभागिता नहीं पायी जाती। पिता को पैतृक सम्पत्ति बेच देने, बन्धक रखने, दान में देने या इच्छानुसार किसी भी प्रकार उसे व्यय कर देने का सम्पूर्ण अधिकार है। उसके जीवन काल तक पुत्रों को विभाजन के लिए माँग करने का कोई अधिकार नहीं है। पिता के मर जाने के बाद उसके पुत्रों या पोत्रों में सहभागिता का उदय होता है। यदि कोई सहभागी पुत्रहीन मर जाता है तो अन्य सहभागियों को उसका अधिकार नहीं मिलता, प्रत्युत मूल व्यक्ति की विधवा या पुत्री उसका भाग प्राप्त कर सकती है। अतः दायभाग के अन्तर्गत स्त्रियों को सहभागिता की सदस्यता प्राप्त हो जाती है।

विभाजन के समय यदि लड़का गर्भ में हो और विभाजन हो रहा हो तो उसे स्मृतियों ने अधिकार दे रखा है । यदि क तथा उसके पुत्र छ एवं ग विभाजन करें और परिवार की सम्पत्ति का एक तिहाई प्रत्येक को मिले और छः मास के उपरान्त यदि क की पत्नी को छ पुत्र उत्पन्न हो जाय तो विभाजन-कार्य फिर से होगा और उसे कुल सम्पत्ति का $\frac{1}{4}$ भाग " यदि माता को भाग मिला हो तो केवल $\frac{1}{5}$ भाग मिलेगा, किन्तु इस अवधि में हुए सारे आय-व्यय का व्योरा ले लेने के उपरान्त ही बँटवारा होगा ।

वह दत्तक पुत्र जो संयुक्त परिवार के किसी सहभागी द्वारा गोद लिया जाय या किसी एक मात्र भागी द्वारा गोद लिया जाय मिताक्षरा व्यवहार के अनुसार सहभागिता का सदस्य हो जाता है तथा औरस पुत्र के समान ही विभाजन की माँग का अधिकारी होता है । दायभाग के अन्तर्गत पिता के रहते औरस पुत्र को विभाजन का अधिकार नहीं प्राप्त रहता, दत्तक पुत्र की तो कोई बात ही नहीं है ।

पिता से हीन जाति की पत्नियों से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्रों के अधिकारों के विषय में मनु, याज्ञवल्क्य एवं वृहस्पति के अनुसार यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों से पुत्र हों तो सारी सम्पत्ति दस भागों में बँट जाती है - ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्रों को चार भाग, क्षत्रिय पत्नी के पुत्रों को तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्रों को तीन भाग, वैश्य पत्नी के पुत्रों को दो भाग तथा सूद्र पत्नी के पुत्रों को एक भाग मिलता है ।

पत्नी को विभाजन की माग का कोई अधिकार नहीं है । किन्तु याज्ञवल्क के मूल से यदि पिता के रहते पुत्र विभाजन की माग करें तो पत्नी को पुत्र के समान ही एक भाग मिलता है । यदि कई पत्नियाँ हों तो प्रत्येक को एक पुत्र के बराबर का भाग मिलता है । ऐसी व्यवस्था है कि पत्नी या पत्नियाँ पति या स्वयं द्वारा प्रदत्त स्त्रीधन की सम्पत्ति पर भोग का अधिकार नहीं रखती, किन्तु यदि स्त्रीधन हो तो उन्हें उतना ही जोर अधिक प्राप्त होगा जितना मिलकर एक पुत्र के भाग के बराबर हो जाय । मित्राक्षरा के अनुसार पति की इच्छा से पत्नी कुल सम्पत्ति का भाग पा सकती है किन्तु अपनी इच्छा से नहीं । ज्ञात यह कि वास्तव में पति-पत्नी में विभाजन नहीं होता ।

“जायापत्योर्न विभागो विद्यते”

माता भी पिता के मृत हो जाने के उपरान्त पुत्रों दाय विभाजन के समय एक बराबर भाग की अधिकारिणी होती है, किन्तु जब तक पुत्र संयुक्त रहते हैं, वह विभाजन की मांग नहीं कर सकती । किन्तु पत्नी के समान ही यदि उसके पास स्त्रीधन होगा तो उसका दायभाग उसी के अनुपात में कम हो जायगा । कुछ के अनुसार माता को केवल जीविका के साधन मात्र प्राप्त होते हैं । जोधायन ने लिखा है कि “स्त्रियाँ शक्तिहीन होती हैं और उन्हें भाग नहीं मिलता ।

दायभाग से वन्धित -

कतिपय शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आचरण-सम्बन्धी दुर्गुणों के कारण प्राचीन भारत में कुछ लोग दायभाग से वन्धित थे। गौतम, आपस्तम्ब, वसिष्ठ, विष्णु एवं ब्रह्मिण्या के अनुसार पागल, जड़, क्लीब, पतित, अन्धे असाध्य रोगी और सन्यासी रिक्ताधिकार से वन्धित माने जाते हैं।¹ कोटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। हम लोग महाभारत से जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्मान्ध होने के कारण राज्य नहीं पा सके और उनके छोटे भाई पाण्डु को राज्य मिला। मनु का कथन है कि क्लीब, पतित, जन्मान्ध जन्मवधिर, पागल मूर्ख, गूंगे एवं इन्द्रियदोषी को अंश नहीं मिलता।² सभी स्मृतियों का कहना है कि जिन्हें दोषों के कारण दयांश नहीं मिलता उन्हें कुल-सम्पत्ति से जीवन भर जीविका के साधन प्राप्त होते हैं।

1- ऋक्लीबो भ्रव्यो । ॥गौ०-२४/४॥

एकधनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा जीवन् पुत्रेभ्योदायं विभजेत् समं क्लीबजन्मत्तं
पतितं च परिरहाप्य । आपस्तम्ब॥२/६/१४/॥ अतीतव्यवहाराग्रासाच्छाद
नेर्जम्युः । अन्धऋक्लीबव्यसिनव्याधेत्तारश्च । अकर्मिणः । पतिततज्जातवर्जम् ।

ब्रह्मिण्या ॥२/२/४३॥४६॥

2- अन्धो क्लीबपतितो जात्यन्धवधिरौ तथा ।

उन्मत्तऋभूकारश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥

मनु ॥१/२०॥१॥

ज्येष्ठ पुत्र की स्थिति -

ज्येष्ठ पुत्र को प्राचीन काल से अब तक विशिष्टता मिलती रही है। यह विशिष्टता कई रूपों में प्रकट होती रही है। कुछ मतों से ज्येष्ठ पुत्र को सम्पूर्ण सम्पत्ति मिल जाती थी। मनु का कथन है कि ज्येष्ठ पुत्र जन्म के कारण पिता को पितृ-भ्रम से मुक्त करता है, अतः वह पिता से सम्पूर्ण सम्पत्ति पाने की पात्रता रखता है। यद्यपि ज्येष्ठ पुत्र को अधिक भाग या सम्पूर्ण सम्पत्ति देना सामान्यतः बन्द हो गया, किन्तु इसके चिह्न आज तक भी देखने में आते हैं। कहीं-कहीं परम्पराओं के आधार पर अधिक भाग १ ज्येष्ठांश या मोष्य १ भी विभाजन के समय दिये जाते रहे हैं।

मनु के मत से यदि ज्येष्ठ भ्राता लोभ अस छोटे भाइयों को उनके भाग से वंचित करता है, तो उसे उसका विशिष्ट भाग नहीं मिलता और वह राजा द्वारा दण्डित होता है। मनु के इस कथन से स्पष्ट है कि संवक्त सम्पत्ति को छिपाना या किसी का भाग मारना गहिर्त समझा गया है।

इन सम्पूर्ण उद्धरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में उत्तराधिकार की जो सामान्य अवधारणा थी वह यह थी कि उत्तराधिकार में पुरुष वर्ग को ही वरीयता दी जाती थी। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज था। यहाँ पर पितृसत्तात्मक सत्ता थी। उत्तराधिकार में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था

पुरुष का चौथी बीढ़ी तक उत्तराधिकारी माने जाते थे, यथा- स्वयं व्यक्ति, उसके पुत्र उसके पुत्रों के पुत्र, पुत्रों के पोत्र ।

पुत्रों के प्रकार -

मनु ने केवल 12 पुत्रों के नाम दिये हैं §9/158§ । उन्होंने पुत्रिका का पुत्र को उसके साथ नहीं गिनाया है यद्यपि उन्होंने अन्यत्र पुत्रिका नाम दिया है और उसे पुत्र के बराबर कहा है । इस प्रकार प्राचीन ऋषियों ने केवल 12 पुत्र ही माने हैं । पुत्रों के प्रकार निम्न हैं -

- §1§ औरस- शास्त्र द्वारा व्यवस्थित नियमों के अनुसार विवाहित पत्नी से व्रति द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र ।
- §2§ पुत्रिकापुत्र- मनु ने इसे औरस के सदृश ही माना है । यह पुत्री का पुत्र होता है ।
- §3§ क्षेत्रज - नियोग-प्रथा से इस प्रकार के पुत्रत्व की उदभूति हुई है ।
- §4§ दत्तक- गोद लिया हुआ पुत्र ।
- §5§ कृत्रिम - सम्पत्ति की लालच में बना हुआ पुत्र ।
- §6§ गृहोत्पन्न- जो किसी के घर में जन्म लेता है, किन्तु उसके पिता का पता नहीं होता वह उसी का होता है जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न होता है ।
- §7§ अपविद्ध - जो अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया गया हो और जिसे कोई अपने पुत्र के समान ही ग्रहण किया हो ।
- §8§ कानीप्त - जिसे अविवाहित कन्या अपने पिता के घर गुप्त रूप से जनती है ।

- ॥9॥ सहोठ - उस स्त्री का पुत्र जो विवाह के समय गर्भवती रहती है ।
- ॥10॥ क्रीत - छरीदा हुआ पुत्र ।
- ॥11॥ पौनर्भव - पुनर्विवाहित स्त्री का पुत्र ।
- ॥12॥ स्वयंदत्त - जो अपने माता-पिता के नष्ट होने जाने पर या उसके द्वारा व्यक्त होने पर स्वयं अपने को किसी को दे देता है ।
- ॥13॥ पराशव या शौद्र- जो किसी ब्राह्मण द्वारा विषयासक्त होने पर किसी शूद्रा पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, पराशव कहलाता है, क्योंकि वह जीवित रहते भी शव के समान है ।
-

॥ पंचम अध्याय ॥

अध्याय में उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम और तत्सम्बन्धी विमर्श

"अर्थास्त्र में उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम और उनका आलोचनात्मक विश्लेषण"

कोटिल्य के अर्थास्त्र में उत्तराधिकार के सामान्य नियम इस प्रकार थे -

माता-पिता या केवल पिता के जीवित रहते लड़के सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। उनके न रहने पर लड़के आपस में सम्पत्ति का बंटवारा कर सकते हैं, जो सम्पत्ति किसी लड़के ने स्वयं अर्जित की है उसका बंटवारा नहीं होता है, यदि वह सम्पत्ति पिता का धन खर्च करके उपार्जित हो तो उसका बंटवारा हो सकता है।

यह नियम प्राचीन काल से लेकर अब तक मान्य रहा है इसमें भेद यह है कि प्राचीन काल में संयुक्त परिवार की सभी सम्पत्तियों का बंटवारा होता था। आज भी यदि कोई लड़का स्वयं कोई अचल सम्पत्ति अपने पिता के नाम से खरीदता है तो उस सम्पत्ति बेटे सम्पत्ति के समान विभाग की जाती है।

1- अनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः । तेषां उच्चं पितृतो
दायविभागः पितृद्रव्याणाम् । स्वयमार्जितमविभाज्यम् अन्यत्र पितृद्रव्या-
दुत्तिसेभ्यः ।

कोटिल्य - 3/5

संयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्रों के पुत्र-पोत्र आदि चौथी पीढ़ी तक अविभाजित पैतृक सम्पत्ति में बराबर के हकदार है। किन्तु यह जरूरी है कि उनकी की परम्परा छिड़त न हुई हो। यदि की परम्परा छिड़त हो गई हो तो उस दशा में सभी मौजूद भाई पैतृक सम्पत्ति सम्पत्ति का बराबर का हिस्सा करें।¹ कोटिन्य के अर्थशास्त्र में वर्णित यह व्यवस्था हिन्दू विधि की सहदायिकी से मेल खाती है। यही वस्तुस्थिति, मनु, कात्यायन और याज्ञवल्क के विचारों से भी बनती है।

पुत्र भाइयों को पिता की सम्पत्ति प्राप्त न हुई हो, अथवा जो भाई बटवारा हो जाने के बाद भी एक साथ कमाते-खाते हों, वे फिर से सम्पत्ति का विभाग कर सकते हैं। पुत्र भाई के कारण सम्पत्ति की अधिक वृद्धि हुई हो वह बटवारे के समय दो हिस्सा ले सकता है।² प्राचीन काल में कुछ धर्मग्रन्थों में यह बातपायी जाती है, किन्तु आधुनिक काल में यह परम्परा विलुप्त समाप्त हो गयी है। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 में नहीं दिखायी पड़ती। सामाज में जो प्रचलित है वह-यह है

- 1- पितृद्रव्यादिविभक्तोपगता पुत्राः पोत्रा वा आ चतुर्थादित्यंभाजः। तावद-
विच्छिन्नः पिण्डो भवति। विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समं विभजेरन्।
कोटिन्य-3,
- 2- अपितृद्रव्या विभक्तपितृद्रव्या वा सहजीवन्तः पुनर्विभजेरन्। यत्रचोत्तिष्ठते
स द्वयं लभेत। कोटिन्य-3/5

कि जो भाई अपनी निजी-सम्पत्ति बनाता है वह या तो स्वयं ले लेता है । या संयुक्त रहने वाले भाइयों में बराबर-बराबर भाग कर देता है । जिसके कोई पुत्र न हो उसकी सम्पत्ति उसके सगे भाई या साथी ले सकते हैं, और विवाहादि के लिए जितने धन की अपेक्षा हो कन्यायें उतना धन अपनी पैतृक सम्पत्ति में से ले लें ।¹ दायभाग में वर्णित है कि पैतृक सम्पत्ति स्वल्प होने पर भी भाई अपने भाग का चतुर्थ हिस्सा देकर उसका विवाह करता था । आधुनिक काल में यह प्रथा समाप्त हो गई है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार- जिसके कोई पुत्र न हो उसकी सम्पत्ति पर प्रथम अधिकार उसकी पुत्री का होता है । कोटिल्य के द्वारा जो स्थिति कन्याओं की पैतृक सम्पत्ति पर दर्शायी गई थी वह न्यायसंगत नहीं था ।

सुवर्ण, आभूषण एवं नकदी आदि जो रिक्त धन है उसके अधिकारी लड़के हैं, लड़कों के अभाव में वे लड़कियाँ रिक्तधन की अधिकारिणी है, जो धर्म-विवाहों से पैदा हुई हैं । लड़कियों के अभाव में मूलक पुरुष का जीवित पिता, पिता के अभाव में पिता के सगे भाई और उनके अभाव में भी उनके पुत्र उस सम्पत्ति के हकदार हैं ।² आधुनिक युग में कोटिल्य का यह सिद्धान्त मान्य है ।

1- द्रव्यमपुत्रस्य सोदर्या भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्यारच ।

2- रिक्त्य पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः । तदभावे पिता धरमाणः पित्रभावे भ्रातरौ भ्रातृपुत्रारच ।

कोटिल्य 3/5

मृतक पिता के यदि बहुत से भाई और उन भाइयों के भी कई पुत्र हों तो वे पिता की सम्पत्ति का बराबर बंटवारा करें ।¹

एक ही माता से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लड़कों का दाय-विभाग पिता के क्रम से होना चाहिए ।²

मृतक के भाइयों के पुत्रों में यदि उनका पिता जीवित हो और कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए कर्जा लिया हो तो उस कर्जे को वही चुकता करे उसके अभाव में बड़ा पुत्र और उसके अभाव में छोटा पुत्र कर्जा अदा करे ।³

पिता यदि अपने जीवित रहते हुए अपनी अपनी सम्पत्ति का बंटवारा करना चाहता है तो वह किसी एक पुत्र को अधिक हिस्सा न दे । उसका यह भी कर्तव्य है कि वह किसी पुत्र को अकारण हिस्सेदारी से भी वंचित न करे । पिता अपने पीछे यदि कुछ भी सम्पत्ति न छोड़ जाय तो बड़े भाई का यह कर्तव्य होता है कि वह छोटे भाइयों का भरण-पोषण करे, किन्तु यदि छोटा भाई का यदि आचार-व्यवहार-भ्रष्ट हो जाय तो उसकी रक्षा के दायित्व से अपने को बरी समझे ।⁴

- 1- अपितृका बहवोऽपि च भ्रातरौ भ्रातृपुत्रारच पितुरेकमां हरेयुः ।
- 2- सोदर्याणामनेकपितृकाणां पितृतो दायविभागः ।
- 3- पितृभातृपुत्राणां पूर्वं विद्यमाने नापरमकलम्बन्ते, ज्येष्ठे च कनिष्ठमर्थग्राहिणः ।
- 4- जीवद्विभागे पिता नेकं विवोषयेत् । न चेककारणान्निर्विभजेत् । पितुरसत्यर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठा ननुगृह्णीयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ।

पुत्रों के ज्वालित हो जाने पर ही सम्पत्ति का बंटवारा करना चाहिए । नाज्वालित-पुत्र जब तक ज्वालित न हो जाय और विदेश गये पुत्र जब तक वापिस न लौट आएँ तब तक उसके हिस्से की सम्पत्ति को उनके मामा या गाँव के किसी वृद्ध विश्वासी पुरुष के पास सुरक्षित रख देना चाहिए ।¹ ऋषास्त्र की शक्ति का प्रलेखन करने से ज्ञात होता है कि सामान्यतः ज्वालित होने पर ही विभाजन होता था किन्तु नाज्वालित होना विभाजन के लिए बन्धन नहीं था । कात्यायन ने व्यवस्था दी है कि सांसारिक बातों की समझदारी आ जाने पर सहभागियों में विभाजन होना चाहिए और यह व्यवहारिता पुरुषों में 16 वें वर्ष में आ जाती है । जो लोग अभी अष्टाप्तव्यवहार हैं उनकी संयुक्त कुल की सम्पत्ति व्यय-विवर्जित ऽ शृण आदि से मुक्त ऽ करके अष्टाप्तव्यवहार वालों द्वारा उनके बन्धुओं या मित्रों के यहाँ रख देना चाहिए । यही बात उनके साथ भी होनी चाहिए जो आहर चले गये हों ।² इन उद्धरणों से यह तथ्य स्पष्ट ही है कि कोटिन्य की धारणा यह रही होगी कि अवयस्क की हित की सुरक्षा हर स्थिति में की जाय ।

1- अष्टाप्तव्यवहाराणां विभागः । अष्टाप्तव्यवहाराणां देयिकृद् मातृबन्धुषु
ग्रामकृदेषु वा स्थापयेयुर्व्यवहारप्राप्तानां, प्राप्तिस्तस्य वा ।

-ऋषास्त्र ३/5१

2- अष्टाप्तव्यवहाराणां विभागश्च विकीर्यते ।

पुंसां च षोडशे वर्षे जायते व्यवहारिता ॥

अष्टाप्तव्यवहाराणां च धनं व्ययविवर्जितम् ।

न्यसेयुर्बन्धुमित्रेषु प्रोक्षितानां तथैव च ॥

-कात्यायन १/844-845१

विवाहित बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे अविवाहित भाइयों के विवाह के लिए खर्च दें और अपनी छोटी बहिनों के विवाह में दहेज आदि के लिए यथोचित धन दें ।¹

सभी भाइयों को चाहिए कि वे श्रृण और आभूषण तथा नगदी आदि रिक्थ धन को आपस में बराबर बाँट लें ।²

प्राचीन आचार्यों का मत है कि "दरिद्र लोग अपने पानी पीने के कर्तव्यों को भी आपस में बाँट लें, किन्तु आचार्य कोटिल्य के मत से "ऐसा करना उल्ल-कषट है, क्योंकि उनके मत से- विद्यमान सम्पत्ति ही बंटवारे के योग्य होती है अविद्यमान सम्पत्ति नहीं ।³ कात्यायन ने बहुत सी वस्तुओं को अविभाज्य ठहराया है ।

सम्पूर्ण सम्पत्ति इतनी है और प्रत्येक भाई का इतना-इतना हिस्सा है, यह बात साक्षियों के सामने स्पष्ट करके बंटवारा कराया जाय । यदि बंटवारा

1- सन्निविष्टसममसन्निविष्टेभ्यो नैकेनिकं दयुः । कन्याभ्यश्च प्रादानिकम् ।

-कोटिल्य §3/5§

2- श्रृणरिक्थयोः समो विभागः ।

-कोटिल्य §3/5§

3- उदषात्राण्यथि निष्कन्वना विभजेरन् इत्याचार्याः । उल्लेखेदिति कोटिल्यः ।

स्तोऽर्थस्य विभागो नास्तः ।

ठाक न हुआ हो, या उस सम्पत्ति में से किसी हिस्सेदार ने कुछ चुरा लिया हो, या बटवारे के समय कोई चीज रह गई हो या बटवारे के बाद अकस्मात् ही कोई चीज अधिक आ गई हो, तो उस सम्पत्ति का फिर से बटवारा किया जाना चाहिए ।¹ साक्षियों की बात तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और वहस्पति ने भी की है । विभाजन हुआ है या नहीं इस विषय में जानकारी के लिए याज्ञवल्क्य ने बन्धु-बान्धवों, मामा तथा अन्य साक्षियों की गवाहियों, लेख-प्रमाण, पृथक् हुई भूमियों या घरों को प्रमाणों के रूप में माना है । नारद और कात्यायन का कथन है कि दस वर्षों के उपरान्त ही ऽ संयुक्त परिवार से अलग होने पर ऽ सदस्यगण एक दूसरे से, जहाँ तक संयुक्त सम्पत्ति का प्रश्न है अलग समझे जायेंगे । - वहस्पति का कथन है कि जहाँ साक्षी न हो और न लेख प्रमाण हो वहाँ विभाजन के विषय में निष्कर्ष अनुमान से निकालना चाहिए । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि विभाजन के समय साक्षियों का होना आवश्यक है ।

जिस सम्पत्ति का कोई अधिकारी न हो, उसे राजा ले लेवे ।

परन्तु स्त्री के जीवन-निर्वाह और श्राद्ध आदि कार्यों के लिए जितना धन आवश्यक होवे, वह छोड़ देवे । तथा श्रोतिय के धन को कदापि न लेवे । उस धन

1- एतावानर्थः सामान्यस्तस्येतावात्र प्रत्यक्षाः, इत्यनुभाष्य ब्रुवन् साक्षिषु विभागं कारयेत् । दुर्विभक्तमन्यो न्यापद्वत्तमन्तर्हितमक्कातोत्पन्नं वा पुनर्विभजेरन् ।

कोलेने का अधिकारी वही हो सकता है जो वेदों का जानने वाला हो और उस धन को विद्वानों को दे देवे ।¹ अर्थात् का विक्रलेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति राजा की होती है क्योंकि प्राचीन काल में अर्थात् मौर्यकाल में राजसत्तात्मसत्ता थी, जितने भी सम्पत्ति के स्वामी थे राजा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे और उसके प्रतिफल के रूप में राजा को कर देते थे । किसी न किसी रूप में यह व्यवस्था आधुनिक काल में भी है सिर्फ अन्तर यह कि जब सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी चाहे वह पुरुष वर्ग का हो या स्त्री वर्ग का, उसके न रहने पर ही सम्पत्ति पर पूर्णरूपेण राज्य का अधिकार हो जाता है । सम्पत्ति सम्पत्ति के अधिकार के विषय में कौटिल्य के समय से बहुत अधिकार सुधार हुआ है ।

पतित तथा पतित से पैदा हुए और नपुंसकों को दायभाग नहीं मिलता । सर्वथा मूर्ख, उन्मत्त, अन्धे और कोढ़ी भी सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते । भार्या की सम्पत्ति होने पर, यदि उनके ॥ मूर्ख आदि जनों के ॥ लड़के उनके समान ॥ मूर्ख आदि ॥ नहीं होते, तो वे ॥ लड़के ॥ सम्पत्ति में दाय-भाग प्राप्त कर सकते हैं । पतितों को छोड़कर अन्य सभी ॥ मूर्ख आदि ॥ उस सम्पत्ति में से केवल अपने लिए भोजन, वस्त्र पा सकते हैं ।² अर्थात् का यदि आलोचनात्मक

1- अदायादकं राजा हरेत्स्त्रीवृत्तिप्रेतकार्यवर्जमन्यत्रश्रोत्रियद्रव्यात् । तत्रैवैक्येभ्यः प्रयच्छेत् ।

2- पतितः पतिताज्जातः क्लीञ्चान्नाः । जडोन्मत्तान्धुष्ठिष्ठान् । सति भार्यायै तेषामपत्यमत्तद्विधं भागं हरेत् । ग्रासाच्छादनमितरे पतितवर्जाः ।

विक्रमलेष्ण किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में पत्तियों की स्थिति समाज के सभी वर्गों में सबसे खराब थी, क्योंकि पतिव्यक्ति को सम्पत्ति में दाय-भाग की बात तो दूर थी उन्हें भोजन वस्त्र भी नहीं मिलता था ।

इसके पहले ज्ञाते गये पतिव्यक्ति, मूर्ख आदि पुरुषों की स्त्रियाँ हो, किन्तु असक्त होने से उनसे वे सन्तान पैदा न कर सकें तो उनके अंधे आन्धव उनकी पत्नियों से सन्तान पैदा करें । वे सन्तान अपनी परम्परागत सम्पत्ति के उत्तराधिकारी माने जाने चाहिए ।¹

कोटिल्य के उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि समाज के परिदृश्य में नियोग प्रथा विकसित थी, नियोग प्रथा के द्वारा जो सन्तान पैदा होती है उनको उनकी परम्परागत सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है । कोटिल्य ने समाज की विसंगतियों को देखते हुए जो भी व्यवस्था प्रदान की है यदि उसका समाज में पालन किया जाय तो कुछ हद तक ठीक ही होगा । व्यवस्था में परिवर्तन-समय की माँग के अनुसार होता रहता है । इसलिए आधुनिक समाज कोटिल्य की व्यवस्था पर नहीं चल सकता ।

1- तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने क्षति ।

सृजेयुर्वान्धवाः पुत्रास्तेषाम्भान् प्रकल्पयेत् ॥

कोटिल्य के अर्थास्त्र में बेटों के क्रम से विधवाधिकार

एक स्त्री के जब बहुत से लड़के हों, तो उनमें से सबसे बड़े लड़के का हिस्सा निम्न प्रकार होना चाहिए ।¹

ब्राह्मणपुत्र को अकरियाँ, क्षत्रियपुत्र को छोड़े, वैश्यपुत्र को गायेँ और शुद्र पुत्र को भेड़े ।²

उन पशुओं में जो काणे हों वे मझले पुत्र को और जो रंगविरगी पशु हों वे सबसे छोटे पुत्र को दिए जाँय ।³

यदि पशु न हों तो हीरे-जवाहरात को छोड़कर आकी सारी सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा बड़े लड़के को अधिक दिया जाय, क्योंकि बड़ा लड़का ही पितरों का पिण्डदान एवं श्राद्ध करता है । और विभाग के सम्बन्ध में यह यह उशाना {शुक्राचार्य} के अनुनायियों का मत है ।⁴

1- एकस्त्रीपुत्राणां ज्येष्ठांशः ।

कोटिल्य {3/6}

2- ब्राह्मणा नामजाः, क्षत्रियाणां मवाः, वैश्यानां गावः, शुद्राणामवयः ।

कोटिल्य {3/6}

3- काणलिद्ध-गा-स्तेषां मयमांशः, भिन्नवर्णाः कनिष्ठांशः ।

{कोटिल्य 3/6}

4- क्षुष्पदाभावे रत्नवर्जानां दशानां भागं द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो हरेत् । प्रतिमुक्त-
स्वधापाशो हि भवति । इत्योशनसो विभागः ।

कोटिल्य {3/6}

मृतक पिता की सम्पत्ति में से सवारी और आभूषण बड़े लड़के को, सोने, बिछाने का सामान तथा पुराने कर्तन मझले लड़के को, और काला अन्न, लोहा तथा जैलगाड़ी आदि अन्य घरेलू सामान छोटे लड़के को मिलना चाहिए। बाकी बचे हुए सब द्रव्यों का या एक द्रव्य का बराबर-बराबर बंटवारा हो जाना चाहिए।¹

दायभाग की अनधिकारिणी बहिने, माता की सम्पत्ति में से पुराने कर्तन तथा जेवरात ले लें।²

बड़ा लड़का यदि नपुंसक हो तो, उसको उसके निश्चित हिस्से में से तीसरा हिस्सा मिले। यदि वह कुछ अन्याय आचरण चारेत्रहीन हो तो चौथा हिस्सा और यदि धर्मकार्यों से सदा दूर रहता हो तथा सब कुछ अपनी इच्छानुसार करता हो तो बेटुक सम्पत्ति का उसे कुछ भी उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए।³

1- पितुः परिवर्वाणादयानमाभरणं च ज्येष्ठांशः, शयनासनं भुक्तकांस्यं च मध्यमीशः, कृष्णं धान्यायसं गृहपरिवाषो गोशकरं च कनिष्ठांशः। शेषद्रव्याणामेकद्रव्यस्य वा समो विभागः।
कोटिल्य ३/६१

2- अदायादा भगिन्यः मातुः परिवर्वाणादभुक्तकांस्याभरणभागिन्यः।
कोटिल्य ३/६

3- मानुषहीनो ज्येष्ठस्तृतीयमीशं ज्येष्ठांशाल्लभेत्। चतुर्थमज्यायवृत्तिः।
निवृत्तधर्मकार्यो का कामाचारः सर्वं ज्ञीयेत्।

कोटिल्य ३/६१

मध्यम और छोटे लड़के के सम्बन्ध में भी ऐसे अवसरों पर ऐसा नियम समझना चाहिए । इन दोनों में से यदि एक नपुंसक न हो तो वह बड़े भाई के हिस्से में से आधी काट ले ले ।

ज्येष्ठपुत्र -

कोटिल्य अपने अर्थाशास्त्र में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ज्येष्ठ पुत्र को अधिक महत्त्व दिया है । उस समय के समाज बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र कौन समझा जायेगा ? इस प्रश्न का निराकरण कोटिल्य के अर्थाशास्त्र में मिलता है । यदि जुड़वा पुत्र पैदा होते हैं तो कौन ज्येष्ठ समझा जायेगा ? इसका भी उद्धरण कोटिल्य के अर्थाशास्त्र में मिलता है । कोटिल्य इस प्रकार उद्धृत किया है - "अनेक स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में उसी पुत्र को बड़ा समझा जाय, जो अविवाहित स्त्री के मुकाबले में, विधिपूर्वक व्याह करके लाई गई है, भले ही उसका पुत्र पीछे पैदा हुआ हो, यदि एक स्त्री कन्या की अवस्था में पत्नी बनी और दूसरी स्त्री दूसरों द्वारा भोगी जाने के बाद पत्नी, तो उनमें से पहली का लड़का ही बड़ा समझा जाय, इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के जुड़वा बच्चे पैदा हो जायें, तो उनमें वही बड़ा माना जाय जो पहिले पैदा हुआ है ।"¹

1- नानास्त्रीपुत्राणां तु संस्कृतसंस्कृतयोः कन्याकृतक्रिययोरभावे च, एकस्याः पुत्रयोर्यमयोर्वा पूर्वजन्मना ज्येष्ठभावः ।

सूत, मागध, ब्राह्मण और रथकारों की सम्पत्ति

कोटिल्य के अनुसार-सूत, मागध ब्राह्मण और रथकारों की सम्पत्ति का, उनके ऐश्वर्य के अनुसार विभाग करना चाहिए। अर्थात् जो लड़का उनमें अधिक प्रभाक्शाली हो वह सम्पत्ति ले लेवे, और उसके बाकी भाई उस पर आश्रित रहकर जीवित रहें। यदि उनमें कोई एक अधिक प्रभाक्शाली न हो तो वे सम्पत्ति का बराबर-बराबर बँट ले।¹

वर्णों के अनुसार विभाग -

यदि किसी ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नियाँ हों तो ब्राह्मणी से वेदा हुए पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया स्त्री के पुत्र को तीन भाग, वैश्या पत्नी के लड़के को दो भाग और शूद्रा से उत्पन्न पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए।² इसी प्रकार यदि किसी क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा तीन पत्नियाँ हों, तथा वैश्या की वैश्या और शूद्रा दो ही पत्नियाँ हो तो उनके पुत्रों का दायविभाग भी उक्त विधि से सम्पन्न लेना चाहिए।

1- सूतमागधब्राह्मणरथकारणाश्वर्यतो विभागः शेषास्तमुषजीवेयुः। अर्नाश्वराः सहविभागा इति।

2- चतुर्कर्म्यपुत्राणां ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोऽशात् हरेत्, क्षत्रियापुत्रस्त्रीणात्, वैश्यापुत्रो द्वात्रिंशो, एकं शूद्रापुत्रः।

यदि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी और क्षत्रिया दोनों ही के पुत्र हों तो वे सम्पत्ति का बराबर-बराबर हिस्सा बाँट लेंगे । अर्थात् ब्राह्मण के घर में उससे अव्यवहित नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुआ लड़का सम्पूर्ण सम्पत्ति के आधे का हिस्सेदार होगा । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के घर में उनसे अव्यवहित नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के आधा हिस्सा पावे, जो पुंसत्व से युक्त हो, वह बराबर का ही हिस्सा लेवे ।

कोटिन्य के अनुसार- समान या असमान वर्ण की स्त्रियों में से किसी एक के एक ही लड़का उत्पन्न हुआ हो, तो वह पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति का मालिक होवे । और अपने बन्धु-बान्धवों का भरण पोषण करे । पारशव { ब्राह्मण से शुद्रा में उत्पन्न हुआ } ब्राह्मणों की सम्पत्ति के तीसरे हिस्से का आलोक होवे ।¹

कोटिन्य के अनुसार-सपिण्ड {मातृकुल की किसी स्त्री से उत्पन्न हुआ } अथवा नजदीकी खानदान की स्त्री से उत्पन्न हुआ लड़का सम्पत्ति के दो भाग ले सकता है जिससे कि वह अपने पिता आदि का पिण्डदान कर सके । इन सके न होने पर मृतक का आचार्य अथवा शिष्य उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है ।

1- तुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सर्वं हरेत् । बन्धुश्च विभूयात् । ब्राह्मणानां तु पारशव-
स्तीत्यमो लभेत् ।

अथवा मृतक की स्त्री से वियोग द्वारा पैदा हुआ पुत्र या उसके मातृकुल के भाई अथवा समीप के रिश्तेदार, मृतक की सम्पत्ति के अधिकारी हैं ।

क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रज्ञं सुतम् ।

मातृबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत्र प्रदिशेष धनम् ॥

कोटिन्य के अर्थशास्त्र में पुत्रकर्म से उत्तराधिकार -

पुरातन आचार्यों का मत है कि दूसरे के क्षेत्र में डाले हुए बीज का मालिक क्षेत्रपति ही होता है ।¹ अर्थात् किसी पुरुष से अन्य की स्त्री में उत्पन्न किया हुआ बच्चा, उस स्त्री के पति की ही सम्पत्ति होती है । परन्तु दूसरे विद्वानों का मत है कि जो बच्चा जिसके वीर्य से पैदा हो वह उसी का समझा जावे । कोटिन्य का कहना है कि वे दोनों ही उस बालक के पिता समझे जाने चाहिए ।

"विद्यमानमुभयमिति" कोटिन्यः ।

1- परपरिग्रहे बीजमुत्सृष्ट क्षत्रिण इत्याचार्याः ।

कोटिन्य के अनुसार पुत्रों के प्रकार -

- 1- विधिपूर्वक विवाहित स्त्री से उसके पतिद्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस कहलाता है ।¹
- 2- उसी के समान { औरस पुत्र के समान } लड़की का लड़का { पुत्रिकापुत्र } सम्झा जाता है ।²
- 3- समान गोत्र अथवा भिन्न गोत्र वाले किसी पुरुष से अपनी स्त्री के साथ नियोग कराकर जो बच्चा पैदा किया जाता है, वह क्षेत्रज कहलाता है ।³

क्षेत्रज पुत्र के सम्बन्धमें कोटिन्य ने यह भी कहा है कि यदि उत्पन्न करने वाले पुरुष के और कोई लड़का नहीं है तो वही दो पिता { द्विपितृक } अथवा दो गोत्र वाला { द्विगोत्र } लड़का उन दोनों के पिण्डदान और सम्पत्ति का अधिकारी होता है ।

- 4- उसी के समान जो बच्चा स्त्री के बन्धु-बान्धवों के घर रहते हुए छिपे तौर पर पैदा होता है वह गूढज कहलाता है ।⁴

- 1- स्वयंजातः कृतक्रियायामौरसः ।

कोटिन्य {3/7}

- 2- ते तुन्यः पुत्रिकापुत्रः ।

कोटिन्य 3/7

- 3- सगोत्रेणा न्यगोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः पुत्रः ।

- 4- तत्समधर्मा बन्धुना गृहे गूढजातस्तु गूढजः ।

कोटिन्य 3/7

- 5- यदि बन्धु-बन्धव उसको अपने यहाँ न रखें और कहीं जाकर उसको डाले दें, या फेंक दें, तो जो कोई उस बच्चे का पालन-पोषण कर ले उसी का ॥सम्पत्तुः॥ वह लड़का समझा जाता है । उसी की सम्पत्ति का वह उत्तराधिकारी होता है ।
- 6- कन्या के गर्भ से जो बच्चा पैदा हो उसे कार्नीन कहते हैं ।¹
- 7- गर्भवती स्त्री का विवाह होने पर जो बच्चा पैदा हो उसे सहोद कहते हैं ।²
- 8- दुबारा व्याहता स्त्री से जो बच्चा पैदा हो उसे पौनर्भव कहते हैं ।³

पिता या बन्धुओं से स्वयं उत्पन्न किया हुआ बच्चा उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है । जो पुत्र गृहज पुत्र के समान दूसरे से पैदा हुआ हो वह अपने पालन पोषण करने वाले की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है बन्धु-बन्धवों की सम्पत्ति का नहीं ।

- 9- उसी के समान ही जो बालक-माता-पिता के द्वारा, हाथ में जल लेकर, किसी दूसरे को दिया जाय वह दत्त कहलाता है । और पालन करने वाले की सम्पत्ति का वह उत्तराधिकारी होता है ।⁴

- 1- कन्यागर्भः कार्नीनः । कोटिन्य 3/7
- 2- सगर्भोढायाः सहोदः । कोटिन्य 3/7
- 3- पुनर्भूतायाः पौनर्भवः ।
- 4- तत्सधर्मा मातापितृभ्यामिदभर्भक्तौ दत्तः ।

- 10- जो स्वयं या बन्धुओं के द्वारा पुत्रभाव से प्राप्त हुआ है वह उपगत है ।¹
 11- जिसको पुत्र-भाव से स्वीकार कर लिया गया हो वह कृतक है ।²
 12- जो खरीद कर पुत्र बनाया गया हो, वह कृति है ।³

औरस पुत्र के उत्पन्न होने पर, अन्य सवर्ण स्त्रियों के उत्पन्न हुए लड़के, पिता की जायदाद के तीसरे हिस्से के मालिक होते हैं और जो असवर्ण स्त्रियों वसे उत्पन्न हों, वे केवल भोजन वस्त्र पा सकते हैं ।

सवर्ण और असवर्ण का निरूपण -

कोटिल्य के अनुसार- ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनन्तर ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय और क्षत्रिया के लिए वैश्या जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए पुत्र सवर्ण ही समझे जाते हैं । जो एक जाति के व्यवधान से उत्पन्न हों अर्थात् ब्राह्मण से वैश्या में, क्षत्रिय से शूद्रा में, वे असवर्ण समझे जावें ।⁴

-
- 1- स्वयं बन्धुभिर्वा पुत्रभावोपगत उपगतः ।
 2- पुत्रत्वेनाडुगीकृतः कृतकः ।
 3- परिकृतिः कृति इति ।
 4- ब्राह्मणक्षत्रिययोरनन्तरापुत्राः सवर्णा एकान्तरा असवर्णाः ।

निम्न जाति की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र -

कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण का क़ेया में उत्पन्न हुआ पुत्र अम्बष्ठ कहलाता है ।¹ ब्राह्मण से जो शुद्रा में उत्पन्न होता है, उसे निषाद या पारशव कहते हैं । क्षत्रिय से शुद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र उग्र कहाता है ।² क़ेय को जो शुद्रा में उत्पन्न हो वह शुद्र ही रहेगा ।³

ब्रात्य -

ब्राह्मण, क्षत्रिय और क़ेय द्वारा सर्वा स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों का यदि यथा समय विधिपूर्वक उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आदि संस्कार न किया जाय तो वे ब्रात्य हो जाते हैं । ये सब अनुलोम विवाहों से पैदा होते हैं । अनुलोम का तात्पर्य है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री से सम्पन्न विवाह ।

उच्च जाति की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र -

शुद्र द्वारा क़ेया, क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र कुम्भाः आयोगव, क्षत्ता और चण्डाल कहलाते हैं ।⁵

-
- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1- ब्राह्मणस्य क़ेयायामम्बष्ठः । | को० 3/7 |
| 2- शुद्रायां निषादः पारशवो वा । | को० 3/7 |
| 3- क्षत्रियस्य शुद्रायामुग्रः । | को० 3/7 |
| 4- शुद्र एवं क़ेयस्य । | को० 3/7 |
| 5- शुद्रादायोगक्षत्तुचण्डालाः । | को० 3/7 |

कैय द्वारा क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक कहलाते हैं ।¹ क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है ।²

किन्तु पुराणों में वर्णित सूत और मागध इनसे सर्वथा भिन्न हैं और वे ब्राह्मण तथा क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ हैं ।

क्षत्रियों × वे × भी × श्रेष्ठ × हैं ।

संकर जातियों में उत्पन्न पुत्र -

क्षत्रिय-शूद्रा से उत्पन्न उग्र पुरुष द्वारा निष्पाद जाति की स्त्री में उत्पन्न बालक कुक्कुट कहलाता है । निष्पाद पुरुष उग्रा स्त्री में उत्पन्न पुत्र पुत्कस कहलाता है । अम्बष्ठ पुरुष वैदेहिका स्त्री में उत्पन्न पुत्र वैण कहलाता है । वैदेहिक पुरुष से अम्बष्ठा स्त्री में उत्पन्न पुत्र कुरीलव कहलाता है । इसी प्रकार उग्र-भक्ता से शवपाक आदि अवान्तर संकर जातियों के सम्बन्ध में समझता चाहिए । वैण्य, कर्म करने से रथकार कहा जाता है ।

उक्त संकर वर्णों का विवाह अपनी ही जाति में होता है पूर्वा-परगामी होने तथा धर्म का निर्णय करने में वे अपने पूर्वजों का अनुगमन करें । अथवा

1- कैयान्मागधवैदेहको ।

को० ३/७

2- क्षत्रियात् सूतः ।

को० ३/७

चाण्डालों को छोड़कर सभी शूद्र जातियों का धर्म, शूद्रों के ही समान समझना चाहिए ।

प्रजा की सुव्यवस्था का यही एक मात्र विधान है, जिसको करने पर राजा स्वर्ग जाता है अन्यथा उसको नरक होता है । ऐसा कौटिल्य को मंत्र है ।

कौटिल्य अपने दायविभाग में बताया है कि -इन सभी शूद्र जातियों में जायदाद का बराबर हिस्सा होना चाहिए ।

इस सभी विधानों के होने के बाद भी कौटिल्य ने उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों की समाप्ति पर यह कहा है कि -"देश, जाति, संध और गाँव के लिए जैसा भी धर्मोचित एवं श्रेयस्कर हो, उसी के अनुसार वहाँ का दाय विभाग करना चाहिए ।

देशस्य जात्याः संधस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः ।

उचितस्तस्य तेनैव दायधर्मं प्रकल्पयेत् ॥

॥ कठ अध्याय ॥

अधिनियमों में वर्णित उत्तराधिकार एवं विवाह तथा कोटिल्य

अधिनियमों में वर्णित उत्तराधिकार एवं विवाह तथा कौटिल्य

उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि जिसे अरबी में इल्ह-उल-परैज कहते हैं कुरान, परम्परा तथा पैगम्बर परम्परा स्वीकृत पूर्व-इस्लामी रिवाजों में पायी जाती है। तय्यकजी लिखते हैं -

"उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि मृतक की सम्पत्ति पाने वाले व्यक्ति या एक से व्यक्तियों के कर्त्तव्य के चयन की योजना तथा सभी निकटतम संबंधियों के प्रतियोगी दावों के सामंजस्य प्रस्तुत करने में अपनी पूर्णता और सफलता के लिए सदा ही प्रशस्त रही है।"

मृत मुसलमान की सम्पत्ति का विनियोग-

अल सिराजियाह के अनुसार -

"मृतक की सम्पत्ति के प्रति चार कर्तव्य होते हैं जिनमें काजी द्वारा सम्पन्न कराया जाना चाहिए, प्रथमतः उसकी अन्त्येष्टि क्रिया होनी चाहिए जो न तो फिजूलखर्ची में हो और न उसमें कमी हो, द्वितीयतः उसकी शेष सम्पत्ति से उसके उचित श्णों का भुगतान किया जाना चाहिए, तृतीयतः श्ण और कफन-दफन के व्यय के बाद बची हुई सम्पत्ति के एक तिहाई हिस्से का वसीयती-दान दिये जायें तथा अन्ततः बची हुई सम्पत्ति देवी ग्रन्थ {कुरान}, परम्परा {पैगम्बर की} तथा विद्वानों के मत के अनुसार उत्तराधिकारियों में बांट दी जानी चाहिए।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृत मुस्लिम की सम्पत्ति का विनियोग का विनियोग नीचे लिखे क्रम से किया जायेगा-

- 1- उसके कफन-दफन के खर्च और मृत्यु-शय्या भारों का भुगतान § धारा 320 §
- 2- इच्छा-पत्र प्रमाण, प्रशान-पत्र या उत्तराधिकार पत्र प्राप्त करने का खर्च
§ धारा 321 §
- 3- किसी मजदूर, कारीगर या घरेलू नौकर द्वारा मृत व्यक्ति की मृत्यु से पहले तीन महीने के अन्दर की गई सेवाओं की मजदूरी § धारा 322 §
- 4- मृत व्यक्ति के सब श्रेण क्रमाः उसके कचन-पत्रों के अनुसार § धारा 323 तथा 324 § ।
- 5- वसीयती दान जो उपर्युक्त-भुगतान के बाद अवशिष्ट के एक तिहाई से अधिक न हो ।
§ धारा-325 §
- 6- अवशेष सम्प्रदाय की विधि के अनुसार- वारिसों में वितरित होगा ।

कुरान में लिखा है - "अल्लह ने तुम्हें सति के सम्बन्ध में आदेश दिया है । पुरुष को महिला के हिस्से का दूना मिलेगा किन्तु यदि महिला § हिस्सेदार § दो या अधिक हों तो उन्हें मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का दो-तिहाई मिलेगा और यदि एक ही महिला § हिस्सेदार § हो तो उसे मृतक सम्पत्ति का आधा मिलेगा । मृतक के माता पिता में से प्रत्येक, यदि मृतक की सन्तान हो तो सम्पत्ति का उठा भाग और यदि मृतक निःसन्तान हो तथा उसके माता-पिता उसके वारिस हों तो माता को तिहाई हिस्सा मिलेगा किन्तु यदि मृतक के भाई बहन हों तो माता वसीयती दान से बची संपत्ति का उठा भाग पायेगी ।"

मुस्लिम विधि के अनुसार § 1 § पति या पत्नी को वारिस माना गया § 2 § पति या पत्नी, स्त्रियों और मातृबन्धुओं को विरासत के लिए सक्षम लौगा

के रूप में मान्यता दी गई । § 3 § पुरुषों के जायों के होते हुए भी माता-पिता और पूर्वजों को विरास्त का अधिकार दिया गया ।

विरास्त पहले पहल मृत्यु की मृत्यु होने पर जुलती है । उसके मरने से पहले कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या भावी वारिस होने के आधार पर सम्पत्ति के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता । जन्म से अधिकार मुस्लिम विधि में अज्ञात है ।

हिन्दू विधि के अन्तर्गत कोई पुरुष सदस्य सहदायिका सम्पत्ति में गर्भ में आते ही अधिकार प्राप्त कर लेता है और सब सदस्य पूरी-सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं । मुस्लिम विधि के अन्तर्गत पूर्वजों की मृत्यु हो जाने पर किसी वारिस का अधिकार पहले पहल अस्तित्व में आता है ।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व का नियम

इसके अन्तर्गत प्रतिनिधित्व का अटवारा प्रतिशाखा एवं प्रतिव्यक्ति के अनुसार किया जाता है । शिया विधि के अनुसार प्रतिशाखा और सुन्नी विधि के अनुसार प्रति-व्यक्ति अटवारा किया जाता है ।

एक शिया क अपने पूर्वमृत पुत्र य से उत्पन्न दो पौत्र प और फ तथा पूर्वमृत र से उत्पन्न पौत्र ब को छोड़कर मरता है । चूंकि प्रतिनिधित्व का नियम शिया लोगों में प्रचलित है, अतः अटवारा प्रतिशाखा होगा । फलस्वरूप प और फ

दोनों संयुक्त रूप से $1/2$ सम्पत्ति पायेगी और ब को अकेले $1/2$ सम्पत्ति मिलेगी। यदि क सुन्नी होता तो उसकी सम्पत्ति का बटवारा प्रति-व्यक्ति होता और उसके पौत्र प, फ और ब प्रत्येक को उसकी सम्पत्ति का $1/3$ भाग मिलता।

अपवर्जन का नियम -

कुछ लोग वारिस होते हुए भी मुस्लिम विधि द्वारा उन पर आरोपित अड़चनों के कारण विरासत से अपवर्जित कर दिये जाते हैं। ये अड़चनें या अनर्हतायें व्यक्तिगत होती हैं और उन्हें अपवर्जन का आधार कहते हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार ये आधार निम्नलिखित होते हैं -

॥१॥ मानव हत्या -

॥क॥ सुन्नी विधि के अनुसार - जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर दे वह उसकी सम्पत्ति की विरासत का अधिकारी नहीं होता, चाहे हत्या जानबूझकर कर की गई हो या देवयोग हो गई है।

॥ख॥ शिया विधि के अनुसार - किसी व्यक्ति का हत्यारा केवल उसी स्थिति में उस व्यक्ति की विरासत से अनाधिकृत किया जाता है जब इरादतन हत्या की गई हो।

॥ग॥ अनर्हता व्यक्तिगत होती है - उसके माध्यम से दावा करने वाले वारिसों पर उसका प्रभाव नहीं होता।

उदाहरण -

क की मृत्यु एक पुत्र ख, एक पौत्र ग जो ख का पुत्र है और एक भाई घ को छोड़कर हो जाती है। अगर ख ने क की हत्या की है तो ख विरासत से विवक्षुल

अपवर्जित हो जाता है, परन्तु उसके कारण उसका पुत्र ग अपवर्जित नहीं होता । विरासत का अन्तर्गण इस प्रकार होगा और छ मर गया हो, जिससे कि पौत्र य कुल सम्पदा का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि छ दूर का वारिस है ।

2- अधर्मत्व -

शिया विधि के अनुसार-अधर्म व्यक्ति किसी की सन्तान न होने के कारण अपने माता-पिता दोनों ही से विरासत प्राप्त करने के लिए अनर्हित होता है-परन्तु हनफी विधि के अन्तर्गत अधर्म सन्तान पिता से तो नहीं परन्तु माता से विरासत पाने की हकदार है ।

3- उत्तराधिकार में विवक्षित -

यदि कोई व्यक्ति पहले उस व्यक्ति से जिसकी सम्पत्ति विरासत में प्राप्त की जाती है, अपनी रिश्तेदारी से इन्कार करता है, तो उसे बाद में उत्तराधिकार चुलने पर अपने बयान से इन्कार करने नहीं दिया जा सकता और उसे विरासत का दावा नहीं करने दिया जायेगा । रिश्तेदारी से इन्कार उत्तराधिकार में विवक्षित का कार्य करता है ।

जिस प्रकार कोटिन्य के अर्थात्त्र में पतित या पतित से पैदा हुए, नुस्कों सर्वथा मूर्ख, उन्मत्त, अन्धे और कोढ़ी सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते उसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी, विवक्षित व्यक्ति, अधर्म व्यक्ति तथा हत्यारे व्यक्ति को उत्तराधिकार से अपवर्जित किया गया है ।

"हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956"

पूर्व हिन्दू विधि अनेक पाठों तथा न्यायिक निर्णयों पर आधारित होने के कारण ग्राह्य नहीं रह गयी थी। इसी लिए इस अधिनियम में पुरुष तथा स्त्रियों में पूर्व-प्रचलित असमानता को दूर करके एक सर्वमान्य पद्धति द्वारा एक सूची उत्तराधिकारियों की प्रदान की गई जो अत्यन्त ही न्याय संगत है -

अनुसूची के वर्ग § 18 के दायारों की सूची -

- 1- पुत्र
- 2- पुत्री
- 3- विधवा पत्नी
- 4- माता
- 5- पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
- 6- पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
- 7- पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
- 8- पूर्व मृत पुत्री की पुत्री
- 9- पूर्व मृत पुत्र की विधवा पत्नी
- 10- पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
- 11- पूर्व मृत पुत्र के मृत पुत्र की पुत्री
- 12- पूर्वमृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा पत्नी।

अनुसूची के वर्ग 2 की सूची -

1- पुत्री

2-क पुत्र की पुत्री का पुत्र ख पुत्र की पुत्री की पुत्री ग भाई घ जहन

3-क पुत्री के पुत्र का पुत्र ख पुत्री के पुत्र की पुत्री ग पुत्रों की पुत्री का पुत्र

घ पुत्री की पुत्री की पुत्री

4- क भाई का पुत्र ख जहन का पुत्र ग- भाई की पुत्री तथा घ-जहन की पुत्री

5- 1 पिता का पिता तथा 2 पिता की माता

6- 1 पिता की विधवा तथा 2 भाई की विधवा पत्नी

7- 1 पिता का भाई तथा 2 पिता की जहन

8- 1 माता का पिता तथा 2 माता की माता

9- 1 माता का भाई तथा 2 माता की जहन= योग = 23

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ -

- 1- अधिनियम सभी हिन्दू, जौद, सिक्ख के लिए लागू होता है। यह उन व्यक्तियों के लिए भी अनुवर्तनीय है जिनके माता पिता में कोई एक हिन्दू, जौद, जैन, या सिक्ख हैं।
- 2- उत्तराधिकार अधिनियम ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति के लिए भी लागू नहीं होता जिनके विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधिनियम लागू होते हैं।

- 3- अधिनियम, मिताक्षरा सहदायकी सम्पत्ति के लिए भी लागू नहीं होता, यदि सहदायिक अनुसूची § 11 में उल्लिखित किसी स्त्री नातेदार अथवा ऐसे स्त्री नातेदार के माध्यम से दावा करने वाले § पुरुष नातेदार को छोड़कर नहीं भरता किन्तु यह उल्लेखनीय है कि मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति की पूरी विचारधारा अधिनियम की धारा 6 से प्रभावित हुआ है। यदि अनुसूची के वर्ग § 11 में उल्लिखित आठ स्त्री उत्तराधिकारियों में से किसी एक को छोड़कर कोई हिन्दू भरता है तो उसका सहदायिकी का उत्तरजीविता के आधार पर नहीं वरन् इस अधिनियम के अनुसार न्यागत होगा जिसके अन्तर्गत स्त्री एवं पुरुष दायादों को समान अंश प्राप्त करने का अधिकार होगा वस्तुतः मिताक्षरा सहदायिकी का आधारभूत सिद्धान्त ही धारा 6 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति का न्यागमन उत्तरजीविता के सिद्धान्त के अनुसार केवल पुरुष दायादों में ही होता था, किन्तु अब प्रस्तुत धारा के अन्तर्गत स्त्री नातेदारों को भी उसमें हक प्रदान कर दिया गया है।
- 4- उत्तराधिकार का क्रम, प्रेम तथा स्नेह के आधार पर निश्चित किये गये। पूर्व विधि के अन्तर्गत उल्लिखित रक्त सम्बन्ध अथवा पिण्डदान के आधार पर उत्तराधिकारी निश्चित करने का नियम, जो मिताक्षरा तथा दाय-भाग शाखाओं में प्रचलित था, समाप्त कर दिया गया।
- 5- अधिनियम में अधिमान्यता के बहुत सरल नियम अपनाये गये हैं जो अधिमान्यता नहीं निर्धारित की जा सकती है, वहाँ उत्तराधिकारी एक ही साथ सम्पत्ति ग्रहण करते हैं।

- 6- अधिनियम में दूर के सभी सिपत्रियों एवं सांपारिषिकों को उत्तराधिकारी बनने का अवसर प्रदान किया गया ।
- 7- एक हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी का एक समान क्रम प्रदान किया गया । कुछ परिवर्तन मरुमक्कतायम, तथा अलिय सन्तान विवोध में लाये गये ।
- 8- दक्षिण की मातृ प्रधान पद्धति में प्रचलित उत्तराधिकार से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया है
- 9- अधिनियम में हिन्दू नारी की सीमित सम्पदा की विचारधारा को समाप्त कर दिया गया । जो भी सम्पत्ति अब किसी नारी को दाय में या किसी भी वैध तरीके से प्राप्त होगी अथवा समस्त सम्पत्ति जो इस अधिनियम में लागू होने के दिन उसके आधिपत्य में होगी उन पर उसको पूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया ।
- 10- हिन्दू नारी की पूर्ण सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार का एक समान क्रम प्रदान किया गया ।

यदि कोई स्त्री सम्पत्ति छोड़कर निर्वसीयत मरती है तो उसकी सन्तान उसकी प्राथमिक उत्तराधिकारी होगी, उसके बाद पति तथा पिता-माता क्रम से होगी । सन्तान न होने पर उसकी वह सम्पत्ति जो पिता से प्राप्त की गई थी, पिता को अथवा पिता के दायदों को चली आयेगी तथा पिता एवं स्वसुर से प्राप्त सम्पत्ति पति को अथवा उसके दायदों को प्राप्त हो जायेगी ।

- 11- सहोदर अथवा सगे सम्बन्धी सौतेले अथवा चचेरे सम्बन्धी को अपवर्जित करेंगे ।
- 12- जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निर्वसीयती सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं, वे अपने आँ को व्यक्ति परक न कि पितृपरक रीति से सह-आभोगी के रूप में प्राप्त करेंगे ।
- 13- जहाँ किसी व्यक्ति की निर्वसीयती सम्पत्ति दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों को व्यागत होती है और उनमें से कोई एक व्यक्ति उस प्राप्त सम्पत्ति को बेचना चाहता है, तो दूसरे उत्तराधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उस सम्पत्ति की प्राप्ति में अधिमान्य समझा जाय । इस प्रकार अधिनियम के पूर्वक्रम का अधिकार मान्य समझा गया । §22 ।
- 14- अधिनियम में विधवा, अविवाहिता स्त्री तथा पति द्वारा परित्यक्त अथवा पृथक् हुई स्त्री को अपने पिता के घर में रहने का अधिकार प्रदान किया गया है ।
- 15- रोग, दोष तथा अंगहीनता किसी व्यक्ति को दाय प्राप्त करने से अपवर्जित नहीं करती । दाय अपवर्जन के आधार अब बदल दिये गये हैं । किसी व्यक्ति की हत्या करने वाला उस हत व्यक्ति की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में पाने में अपवर्जित कर दिया गया है । इसी प्रकार विधवा स्त्री यदि उत्तराधिकार के अयाय के प्रारम्भ होने के दिन पुनर्विवाह कर लेती है तो वह भी उत्तराधिकार के नियोग्य हो जाती है । इसी प्रकार धर्म-परिवर्तन किये हुए हिन्दू का काँज भी दायप्राप्त करने के नियोग्य हो जाता है ।

16- अधिनियम के अनुसार कोई भी हिन्दू {पुरुष} सहदायिकी सम्पत्ति में अपने हक को वसीयत द्वारा हस्तान्तरित कर सकता है ।

कोटिलीय अर्थशास्त्र में उत्तराधिकार की जो व्यवस्था की गई है वह अपने में एक आधार स्तम्भ है । पुरुष प्रधान भारतीय संस्कृति में कोटिल्य ने उत्तराधिकार की जो व्यवस्था प्रदान की है वह अपने समय की नीतियुक्त उच्च-कोटि की व्यवस्था थी । समय और परिस्थितियों के अनुसार समाज परिवर्तन-शील होता है, यही कारण है कि प्राचीन काल में जो परिस्थिति थी वह आधुनिक समय में परिवर्तित हो चुकी है । कोटिल्य के अर्थशास्त्र में स्त्रियों को सम्पत्ति का कोई अधिकार नहीं था, उनका अधिकार भरण पोषण तक सीमित था, केवल पुरुष वर्ग चौथी पीढ़ी तक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है । हिन्दी उत्तराधिकार अधिनियम-1956 में हिन्दू, जैन, बौद्ध, तथा सिक्ख सभी संकलित हैं । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्त्रियों को भी उत्तराधिकार से सम्बद्ध किया गया । पुरुष उत्तराधिकार की प्रथम श्रेणी में आता है, और वह प्रथम उत्तराधिकारी होता है, दूसरे नम्बर पर पुत्री का स्थान है । द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों में पुत्री प्रथम स्थान पर हैं । मुस्लिम विधि में भी स्त्रियों को यथोचित उत्तराधिकार प्रदान किया गया है ।

इस प्रकार यदि देखा जाय तो आज भी स्त्रियों की दशा चिन्तनीय है । स्त्रियों को आज भी किसी न किसी रूप में उत्तराधिकार से वंचित रखा जाता है । किसी व्यक्ति का पुत्र प्रथम रूप से उसके मरने पर उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है । पुत्र के उत्तराधिकार पा जाने पर सभी उत्तराधिकार

से वंचित हो जाते हैं । अब उनका सम्पूर्ण जीवन पुत्र के ऊपर आश्रित हो जाता है । आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन यह असमानता विद्यमान ही है । यही कारण है कि पुरुष आज भी भारतीय संस्कृति के क्षितिज पर एकछत्र शासन कर रहा है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, संशोधित अधिनियम-1976 सहित ।

इस अधिनियम ने विवाह के धार्मिक स्वरूप को बदल दिया । विवाह को अब पुनीत संस्कार के अर्थ में नहीं माना जा सकता जैसा कि पूर्व विधि में माना जाता था । पूर्व विधि में विवाह पति पत्नी में एक अविच्छिन्न सम्बन्ध उत्पन्न करता था, जिस सम्बन्ध को किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता है । विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गया है ।

अब हिन्दू विवाह अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत एक सविदा के समान हो गया है जिसके वैवाहिक जीवन की अवस्था में भी किया जा सकता है । वर्तमान अधिनियम में विवाह-विच्छेद, विवाह की अकृतता तथा न्यायिक पृथक्करण के जो अनुतोष प्रदान किये गये हैं, उसे विवाह के मूल रूप में परिवर्तन हो गया है । इस सम्बन्ध में विवाह विधि [संशोधन] अधिनियम 1976 के द्वारा और अधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाये गये जिसमें सहमति से विवाह-विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण के आधारों का एकीकरण अत्यन्त प्रमुख है । इससे विवाह का संस्कारात्मक स्वरूप पूर्णतया मलिन हो गया है ।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 के पारित हो जाने के उपरान्त वर और कन्या की वैवाहिक आयु निर्धारित कर दी गयी । अब विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए । इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि कन्या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वयस्क हो जायेगी और वह अपना जीवन साथी चुनने में समर्थ हो जायेगी । ऐसी स्थिति में

उसके संरक्षक की स्थिति अर्थहीन हो जायेगी । इस प्रकार संशोधित उपबन्ध के संदर्भ में यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसके संरक्षक द्वारा कन्या को दान में दिये जाने की बात, जो पूर्व हिन्दू विवाह की सार थी अब वह गौण हो गई है। इससे कन्या को अपना विवाह स्वयं तय करने की प्रेरणा मिलती है और यदि वह स्वयं इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करती है तो विवाह पूर्णरूप से एक सविदा ही होगी, संस्कार नहीं ।

विवाह विधि को सहिताब्द करने के साथ-साथ जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम में लाये गये, वे इस प्रकार हैं-

§ 1 § अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध नहीं किया गया । अधिनियम की धारा 29 के अनुसार पूर्ण-सम्पन्न अन्तर्जातीय विवाह को भी वैध करार दिया गया ।

§ 2 § एक-विवाह को विधि-मान्य बनाया गया । धारा 5 में यह कहा गया है कि यदि कोई विवाह इस अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है और विवाह के पक्षकारों को कोई स्त्री अथवा पति जीवित है तो वह विवाह शून्य समझा जायगा ।

§ 3 § बहु-विवाह को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध घोषित कर दिया गया ।

§ 4 § वैध विवाह की शर्तों एवं आवश्यकताओं को सरल बना दिया गया । सपिण्ड के सीमाक्षेत्र को कम कर दिया गया एवं प्रतिषिद्ध सम्बन्धों को सीमित कर दिया गया ।

- §5§ न्यायिक झलगाव, विवाह-विच्छेद तथा विवाह की अकृतता की सुविधायें प्रदान की गयीं ।
- §6§ शून्य तथा शून्यकरणीय विवाहों से उत्पन्न सन्तानों को भी वैधता प्रदान की गयीं ।
- §7§ वैवाहिक मामलों में नये अनुतोष प्रदान किये गये ।
- §8§ न्यायालयों द्वारा सन्तानों के संरक्षण तथा भरण पोषण के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गये ।
- §9§ सगोत्र विवाह के निषेध को स्वीकार नहीं किया गया । परिणामतः सब सगोत्रों के साथ विवाह विधिक रूप से हो सकता है ।

विवाह विधि §संशोधन§ अधिनियम 1976 के अन्तर्गत विविध विवाह विच्छेद के लिए और भी अतिरिक्त आधार प्रदान कर दिये गये ।

उदाहरणार्थ- अभित्याग, कूरता आदि । इसी प्रकार स्त्रियों को पति के विरुद्ध तलाक प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आधार प्राप्त हो गये हैं । तलाक को अधिक सरल बना दिया गया है । अब इस संशोधन अधिनियम 1976 में पति-आपस में परामर्श तथा सहमति से तलाक ले सकते हैं । इसके अतिरिक्त विवाह एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद ही तलाक की याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया ।

वैध विवाह की शर्तें - अधिनियम की धारा- 5 के अन्तर्गत -

वैध विवाह के लिए पाँच शर्तें उल्लिखित की गई हैं जो इस प्रकार हैं-

1- एक विवाह-

विवाह के दोनों पक्षकारों में किसी का पति अथवा पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए ।

2- अमूर्द्धता -

विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी-

§क§ मस्तिष्क-विकृति के परिणाम स्वरूप एक मान्य सहमति देने के योग्य

§ख§ यदि वह सहमति देने के योग्य है, किन्तु इस प्रकार की मानसिक अव्यवस्था से पीड़ित है, अथवा इस सीमा तक पीड़ित है कि विवाह तथा सन्तान उत्पत्ति के अयोग्य है ।

§ग§ पागलपन अथवा मृगी के दौरों से बार-बार पीड़ित होता रहता है -

3- आयु -

विवाह के समय वर-21 वर्ष का हो तथा कन्या-18 वर्ष की

4- विवाह के दोनों पक्षकार प्रतिषिद्ध सम्बन्ध के अन्तर्गत न आते हों ।

5- सपिण्ड न हो-

विवाह के दोनों पक्षकार एक-दूसरे के सपिण्ड न हों ।

न्यायिक-पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद

विवाह विधि §सौधन§ अधिनियम-1976 के पारित होने के उपर
अब न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधार समान हो गये । जो नि-
प्रकार है -

- § 1 § क्रूरता-जब याची के साथ दूसरे पक्षकार ने क्रूरता का व्यवहार किया है
- § 2 § जहाँ प्रत्युत्तरदाता ने विवाह के बाद स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति
साथ लैंगिक सम्भोग किया है ।
- § 3 § अभिर्याग
- § 4 § कोढ़ ।
- § 5 § रतिजन्य रोग ।
- § 6 § मानसिक विकृतता ।
- § 7 § धर्म परिवर्तन
- § 8 § संसार त्याग §सन्यास धारण कर लेना §

न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद में भिन्नता

न्यायिक-पृथक्करण की आज्ञा प्राप्त कर लेने पर याची प्रत्यु-
के साथ सहवास करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है । न्यायिक पृथक्करण
मुक्त हो जाता है । न्यायिक पृथक्करण से विवाह सम्बन्ध समाप्त नहीं हो

विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाह-सम्बन्ध समाप्त हो जाता है । न्यायिक सुधारण की अवधि समाप्त के बाद विवाह के दोनों पक्षकार आपस में फिर से पति-पत्नी की तरह रह सकते हैं । विवाह विच्छेद सदा के लिए होता है ।

दाम्पत्य अधिकार का पुनर्स्थापन-

हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 की धारा 9 के अन्तर्गत दाम्पत्य-अधिकार की पुनर्स्थापना का प्रावधान किया गया है । इस धारा के अनुसार दाम्पत्य-अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है । वास्तव में हिन्दू विवाह का उद्देश्य दाम्पत्य-जीवन के सुख एवं सुविधा से सम्बन्धित है । विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे के साथ रहने तथा सहवास करने का अधिकार है । वे एक-दूसरे से बिना किसी युक्तियुक्त कारण से अलग नहीं रह सकते । धारा 9 के अन्तर्गत इस अधिकार की पुनर्स्थापना के विषय में यह कहा गया है । जहाँ पर पति या पत्नी ने बिना युक्त-युक्त कारण के एक-दूसरे के साथ रहना त्याग दिया है तो ऐसा परित्यक्त व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका द्वारा दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना कर सकता है और यदि न्यायालय याचिका में वर्णित प्रार्थना तथा तथ्यों पर विश्वास करता है और उसकी दृष्टि में ऐसा अन्य कोई वैध अधिकार नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा सके तो ऐसा न्यायालय याचिका की प्रार्थना के अनुसार दाम्पत्य-अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए आज्ञापित कर सकता है । " इस प्रकार इस धारा के अनुसार दाम्पत्य-अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय तभी

आज्ञप्ति दे सकता है जब -

- §1§ दो में से किसी पक्ष ने बिना युक्ति युक्त कारण के दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो ।
- §2§ दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए दिये-गये प्रार्थनापत्र से न्यायालय सन्तुष्ट हो गया हो ।
- §3§ प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये जाने के लिए कोई वैध आधार न हो ।

हिन्दू विवाह के संस्कार -

- §1§ अधिनियम में विवाह के लिए किसी प्रकार के संस्कार का विवरण नहीं दिया गया है । धारा 7 में यह उल्लेख किया गया है कि हिन्दू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के प्रथागत आचारों और संस्कारों के अनुस्प किया जा सकेगा ।
- §2§ जहाँ ऐसे आचार एवं संस्कार के अन्तर्गत सप्तपदी आती है, जिसमें विवाह अग्नि के सम्मुख वर और वधु द्वारा मिलकर सात फेरे घूमना अनिवार्य है, वहाँ विवाह पूरा और अधिकारी तब होगा सातवाँ फेरा पूरा कर लिया जाता है ।

इस प्रकार की प्रथा होने के कारण विवाह को एक संस्कार का स्थ दिया गया है । वर्तमान अधिनियम विवाह के लिए कोई विशेष कृत्य पूरा करने लिए कोई बाध्य नहीं करता । यह पक्षकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वे किस की धार्मिक क्रियाओं द्वारा विवाह सम्पन्न करना चाहेंगे । विवाह की स्थिति में अनुष्ठानों का पूरा होना उपधारित कर लिया जाता है ।

प्राचीन भारत के राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था एवं विभिन्न नैतिक सिद्धान्तों की स्पष्ट व्याख्या करने वाला ग्रन्थ स्वयं में अप्रतिम है। पूर्ववर्णित षड् अध्यायों के सम्यक् अनुशीलन से यह तथ्य विद्वद्वरेण्यों के मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ देता है कि महामनीषी कोटिल्य के हृदय में साक्षात् सरस्वती का निवास था। इस अप्रतिम विद्वान ने किसी भी विषय को अपूर्ण नहीं छोड़ा है। इसी परम्परा का निर्वहन कोटिल्य ने विवाह एवं उत्तराधिकार विषयक अपनी विचार-धाराओं में भी किया है उक्त ग्रन्थ के अध्ययन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है कि भारतीय मानव जीवन से सम्बन्धित विवाह एवं उत्तराधिकार की व्यवस्था का वर्णन जिस भाँति कोटिल्य ने किया है उसका निदर्शन अन्यत्र दुर्लभ नहीं तो दुष्प्राप्य अवश्य है।

यद्यपि इस जगत का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि—“सर्वः सर्वं न जानाति, सर्वज्ञो नास्ति करचन” तथापि कोटिल्य के विषय में उक्त सिद्धान्त, सिद्धान्त न रहकर अपवाद रूप में सत्य जान पड़ती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कोटिल्य का दृष्टिकोण विवाह एवं उत्तराधिकार के विषय में अत्यन्त व्यापक था। जिसका परिणाम यह हुआ कि परवर्ती विचारक एवं शासन व्यवस्थापक ने भी न्यूनाधिक्य रूप में उनके श्रेणी हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

<u>सं०</u>	<u>ग्रन्थ</u>	<u>ग्रन्थकार</u>	<u>प्रकाशन संस्थान</u>	<u>प्रकाशन वर्ष</u>
-	ऋग्वेद संहिता	सातवलेकर	स्वाध्याय मण्डल पारडी	1980
-	तैत्तिरीय संहिता	सातवलेकर	स्वाध्याय मण्डल पारडी	1988
-	अथर्ववेद संहिता	सातवलेकर	"	1988
1-	ताण्डय महा ब्राह्मण	सापणभाष्यसहितम्	आनन्दाश्रम पुना	1900
3-	शतपथ ब्राह्मण	आचार्य सायण क्षेमराज बम्बई कृष्णदास		1987
6-	ऐतरेय ब्राह्मण	सा०भाष्य सहितम्	आनन्दाश्रम पुना	1900
7-	निरुक्त	यास्क टीकाकार उज्जराम	दिल्ली	1985
8-	मिताक्षरा	विज्ञानेश्वर	-	-
9-	तैत्तिरीयोपनिषद्	-	गीता प्रेस गोरखपुर	1987
10-	कात्यायन गृह सूत्र	-	-	-
11-	बौधायन गृहसूत्र	-	-	-
12-	गोमिल धर्मसूत्र	-	-	-
13-	आश्वलायन गृहसूत्र	-	-	-
14-	मनुस्मृति	टीकाकार पं०गणेशदास्त पाठक	वाराणसी	सं०203।
15-	ऋग्वेद पुराण	श्रीराम शर्मा	मथुरा	1983
16-	कादम्बरी	आणभट्टकृतार्णोराशास्त्र	इलाहाबाद	1985

17-	रामायण	पं०शिवदत्तशर्मा	विद्याभवन ग्रन्थमाला वाराणसी	1990
18-	याज्ञवल्क्य स्मृति	टीकाकार पं० गणेशदत्त पाठक	वाराणसी	सं०203।
19-	विहरण्यकेशी	-	-	-
20-	ब्रह्मत्याराशर	-	-	-
21-	स्मृतिचिन्द्रिका	-	-	-
22-	रघुवंश	कालिदास अनुवादक	चौखम्भा प्रकाशन वाराणसी	1979
23-	कामसूत्र	वात्सायन	राजस्थान	1984
24-	हर्षचरित	-	-	-
25-	आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन	वी०एल० फुडिया	आगरा	1980
26-	कौटिलीय अर्थशास्त्र	हि०व्याख्याकार वाचस्पति गैरोला	विद्याभवन वाराणसी	1977
27-	हिन्दू संस्कार	डा०राजबर्ला पाण्डेय	चौ०प्रकाशन, वाराणसी	सं०2014
28-	धर्मशास्त्र का इतिहास	डॉ०भा०डा०पा० वामन काणे० अनु० अर्जुनचौबे०	हिन्दी संस्थान पूना	1980
29-	वैदिक साहित्य और संस्कृति	आचार्यजलदेव उपाध्याय	शारदा संस्थान वाराणसी	1973
30-	हिन्दू विधि	डा०यू०पी०डी०केशरी	सेन्द्र ल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद	1985
31-	मुस्लिम विधि	अकिल अहमद	"	1982

32-	अदभुत भारत	ए०एल०वाशम	शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा	1988
33-	प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास	डा०जयकिर मिश्र	विहार हिन्दूी ग्रन्थ अकादमी	1974
34-	मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति	चौबे एवं श्रीवास्तव	लखनऊ	1979
35-	भारत वर्ष का सा- माजिक इतिहास	विमल चन्द्र पाण्डेय	-	-
36-	पूर्व कालीन भारतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था पर प्रकाश	रामभारण शर्मा	दिल्ली	1977
37-	प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था	डा०मनोरमा जौहरी	वाराणसी	1979
38-	द सोशल आर्डर	आर०वर्टेड	न्यूयार्क	1957
39-	कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया	जी०एस० धुर्ये	न्यूयार्क	1950
40-	हिन्दू सोसाइटी एण्ड इण्टरपटेशन	इरावती कर्वे	पूना	1968
41-	हिन्दू सोशल अर्ग- नाइजेशन	पी०एच० प्रभु		
42-	हिन्दू पालिटी	के०पी० जायसवाल	-	-
43-	ए-हिस्ट्री ऑफ इन्डियन पोलिटिकल आयडियाज	यू०ए० घोषाल	-	-

- 44- भारतीय संस्कृति डा० श्री०एन एस० यादव एवं एल०गोपाल
- 45- पौराणिक धर्म एवं समाज एम० एन० राय
- 46- प्राचीन भारत में वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य अधि
अतुलकुमार तिसन्हा
- 47- सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, सन्ध्या मुखर्जी
इन एन्सएन्ट इन्डिया
- 48- हिन्दू सिविलाइजेशन राधाकुमुद मुखर्जी
- 49- द सोशल इन्स्टीट्यूशन्स के०एल० दफ्तरी नागपुर, 1947
इन एन्सएन्ट इन्डिया
- 50- हिन्दू मैनर एण्ड कस्टम्स ए० डुजोइस
- 51- कान्ट्री व्यूहान्स टू इन्डियन डी०पी०काक एण्ड एल, ड्यूम्पड
सोशोलोजी
- 52- स्टडीज इन इण्डियन सोशल श्री०एन०दत्त, कलकत्ता - 1944
पालिटी
- 53- ओरिजिन एण्ड ग्रोथ ऑफ एन०के०दत्त कलकत्ता, 1944
कास्ट इन इण्डिया
- 54- ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन यू० एन० घोषाल- जाम्शे, 1966
पब्लिक लाइफ
- 55- स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री यू० एन० घोषाल अलकत्ता 1977
एण्ड कल्चर

- 56- स्टडीज इन पौराणिक रिकार्ड्स आर०सी० हजार डका, 1940
आफ हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टम्स
- 57- संस्कृत साहित्य एवं वैदिक संस्कृति डा० रामगोविन्द त्रिवेद चौखम्भा प्रकाशन
वाराणसी, 1987
- 58- ऋग्वैदिक इण्डिया अविनारा चन्द्रदास, कलकत्ता, 1967
- 59- एज आफ दि ऋग्वेद एम०एम० ला दिल्ली, 1985
- 60- रत्नपथ ब्राह्मण वेवर वीर्लेन 1855
- 61- रत्नपथ ब्राह्मण गङ्गा प्रसाद उपाध्याय, इलाहाबाद, 1982
" " सायणकृत क्षेमराज कृष्णदास बम्बई, 1987
- 62- पं० भगवतदत्त वैदिक वाङ्मय का इतिहास दिल्ली 1976
- 64- आर्कैटिक होम इन द वेदाज लोकमान्य तिलक 1968
- 65- संस्कृत साहित्य का इतिहास वाचस्पति गैरोला, चौखम्भा संस्कृत
प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1989
- 66- वैदिक साहित्य और संस्कृति वाचस्पति गैरोला 1989
- 67- अथर्ववेद कालीन संस्कृति डा० कपिल देव द्विवेदी, इलाहाबाद, 1985
- 68- हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर वेवर 1887
- 69- प्राचीन अदभुत भारतीय सांस्कृतिक एम० पी० श्रीवास्तव, इलाहाबाद, 1988
- संस्कृत
- 70- अथामरकोश श्रीमदमरसिंह, विधवाचित बम्बई, 1952

सूची-पत्रिका

- 1- आल इण्डिया ओरिएण्टल काङ्ग्रेस
- 2- आर्टिक्स एशिया
- 3- आवर हेरिटेज
- 4- इंडियी स्टूडियन
- 5- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, इलाहाबाद
- 6- गुस्कुल पत्रिका
- 7- भारतीय विद्या
- 8- वेदान्त केशरी
- 9- पूना ओरिएण्टल एम्लिस्ट
- 10- जर्नल आफ गद्.गानाथ झा इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद
- 11- जनरल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ अंगाल
- 12- जर्नल आफ जाम्शे यूनिवर्सिटी
- 13- तमिल कल्चर
- 14- कल्चरल इण्डिया
- 15- एशियाटिक रिव्यू
- 16- समाज धर्म एवं दर्शन

